लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, गुरूवार, 6 अप्रैल, 1972/17 चैत्र, 1894 (शक)

No. 18, Thursday, April 6, 1972/Chaitra 17, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
281. रूरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers of Rourkela Steel Plant ..	1—2
283. ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में अस्थायी दुकानों का हटाया जाना	Eviction of Temporary Shops in E. P. D. P. Colony, Kalkaji, New Delhi ..	2—4
284. इस्पात की रद्दी का वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात	Export of Scrap Steel through Barter Deals ..	4—5
285. औद्योगिक एककों को इस्पात की सप्लाई बंद करना	Suspension of Steel Supplies to Industrial Units	5—7
286. इस्लामी सम्मेलन	Islamic Conference	7—8
287. भारत-रूस दस्तावेजों का संकलन	Compliation of Indo-Soviet Documents	8—9
288. इस्पात निर्माण की 'भारती' प्रक्रिया	Bharati Process of making Steel	9—11
289. कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना, मैसूर	Kudremukh Iron Ore Project, Mysore	11—12
292. एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ	One Union for one Industry	13—14
293. संयुक्त राष्ट्र सेवाओं में कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिक	Indians working in U. N. Services	14—16
297. भारत पाक युद्ध से सम्बन्धित श्वेत पत्र	White Paper on Indo-Pak War	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

298.	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्रों और सरकारी खानों को आक्सीजन गैस की सप्लाई	Supply of Oxygen Gas by Indian Oxygen Limited to Plants under Hindustan Steel Limited and Government owned Mines ..	17—18
299.	अमरीकी सूचना सेवा का भारत के विरुद्ध प्रचार	Propaganda of USIS Against India	19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

282.	मैंगनीज अयस्क का उत्पादन	Manganese Ore Production	19—20
290.	भारत पाक विवादों को हल करने के लिए रूस द्वारा सहायता की पेशकश	Offer of help by USSR for settlement of Indo-Pak Disputes ..	20
291.	आवश्यक वस्तुएं मंगाने का कार्य अलग-अलग मंत्रालयों को सौंपना	Entrusting procurement of Requirements to Respective Ministries ..	20
294.	भारतीय राष्ट्रिकों की बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति के बदले में मुआवजा	Compensation to Indian Nationals in lieu of property left in Burma ..	20—21
295.	अलौह धातुओं का उत्पादन	Production of Non-Ferrous Metals	21
296.	श्रमिकों को बर्खास्त करने की उद्योगपतियों की निरंकुश शक्तियों को रोकना	Curbing of Arbitrary Powers of Industrialists to dismiss Workers ..	21
300.	एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना	Asian Collective Security Schemes	21—22

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2068.	लंका से स्वदेश आने वाले भारतीय	Repatriates from Ceylon ..	22
2069.	पश्चिमी जोन में रोजगार अवसरों की संख्या में वृद्धि	Increase in employment opportunities in Western Zone ..	22
2070.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिये पूर्ण कालिक अध्यक्ष	Full Time Chairman for EPF Organisation ..	22—23
2071.	संखा नदी की बाढ़ के रेत का जम जाना	Silting of sand by flood of river Sankha ..	23

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2072. कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों का केन्द्रीय बोर्ड	Central Board of Trustees of EPF	23
2073. सोवियत प्रतिनिधि मंडल	Soviet Delegation	24
2074. केरल में बाक्साइट निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Bauxite Deposites in Kerala	24
2076. बोकारो इस्पात कारखाने में आग लगने की घटना	Fire in Bokaro Steel Plant	24—25
2077. केरल में बालापट्टम सड़क पुल के लिये लोहे की छड़ों की सप्लाई	Supply of Iron Rods for Balapattam Road Bridge in Kerala ..	25
2078. रूरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में लोहे तथा इस्पात का अधिक मात्रा में इकट्ठा होना	Over stocking of Iron and Steel at Rourkela and Bhilai Steel Plants ..	25—26
2079. इस्पात संयंत्रों द्वारा माल डिब्बों की बिक्री	Sale of Wagons by Steel Plants	26—27
2080. भारत पोलैंड व्यापार आर्थिक सहयोग करार	Indo Poland Trade Economic Co-operation Agreement ..	27
2081. समाचारपत्रों के कर्मचारियों के लिए दिये गये पंचाट का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of award for Newspaper workers ..	27—28
2082. भारत ईरान का संयुक्त सर्वेक्षण दल	Joint Indo-Iranian Survey Team	28
2083. हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक अड्डे	Foreign Naval Bases in Indian Ocean	28
2084. पाकिस्तानी राष्ट्रपति की भारत के प्रधान मंत्री के साथ बैठक	Pak President's meeting with the Prime Minister of India ..	29
2085. दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए निश्चित प्लाटों की नीलामी	Auction of plots meant for West Pakistan Refugees in Delhi ..	29
2086. विस्थापितों के लिये छोटे प्लाटों की परिभाषा	Definition of Small plots for displaced Persons ..	29—30
2087. सरकार द्वारा अलौह धातु एककों को अपने हाथ में लेना	Taking over of Non-Ferrous Metal Units ..	30
2088. गुजरात का कपड़ा मिलों में हड़तालों के कारण व्यर्थ हुए श्रम घंटे	Loss of Man hours due to strikes in Textile Mills in Gujarat ..	30

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2089.	उद्योगों के लिये इस्पात की मांग	Requirement of Steel for Industries	30—31
2090.	इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Steel Plants	31
2091.	बंगला देश के शरणार्थियों के वापिस जाने के बारे में परिवहन संबंधी व्यय	Expenditure on Transport for Repatriation of Bangla Desh Refugees ..	31
2092.	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र फोकल प्वायंट से वित्तीय सहायता	Financial Assistance for U. N. Focal Point for Bangla Desh Refugees ..	31
2093.	संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति	Financial position of U. N.	32
2094.	पंजाब में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund in Punjab ..	32
2095.	अरब देशों में राजनयिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाना	Strengthening of Diplomatic Corps in Arab Countries ..	33
2096.	बोकारों इस्पात कारखाने के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों के योगदान का अंश	Share of participation of Indian Engineers in Fabrication of Bokaro Steel Plant ..	33
2097.	बोकारों इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों और ढांचों का स्वदेशी निर्माण	Indigenous production of equipments and Structurals for Bokaro Steel Plant ..	34
2098.	भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण सम्पत्ति की क्षति	Destruction of Property due to Indo-Pak War ..	34
2099.	बोकारों इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment for Bokaro Steel Plant ..	34—35
2100.	भिलाई स्टील प्लांट में उत्पादन	Production in Bhilai Steel Plant	35
2101.	भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते हेतु अमरीका की पेशकश	Offer of United States of America for reapproachment between India and Pakistan ..	35
2102.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का आयात	Import of Steel by Hindustan Steel Limited and Mineral and Metal Trading Corporation ..	36
2103.	कृषि मजूरी	Agricultural Wages	36
2104.	भारत पूर्ति मिशन, लंदन	India Supply Mission, London ..	36—37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2105. कोककर कोयला खानों की और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E. P. F. Arrears with coking Coal Mines ..	37—38
2106. श्रम संहिता का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Labour Code in Hindi	38
2107. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय इंजीनियरी एवं डिजाइन ब्यूरो	Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Limited ..	38
2108. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन का विस्तार	Expansion of Hindustan Aluminium Corporation ..	39
2109. हिन्द महासागर में अमरीका नौसैनिक अड्डे	U. S. Naval Installations in the Indian Ocean ..	39
2110. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारी जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता	Non-Transferable Employees in Indian Embassies Abroad ..	39—40
2111. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के पैरा का हटाया जाना	26 Deletion of Para 26 of E. P. F. Act	40
2112. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचलन संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of ARC regarding working of E. P. F. O. ..	41
2113. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार	Corruption in E. P. F. Organisation	41
2114. जिला हजारी बाग की गिरिडीह सब डिवीजन में श्रम विधियों का उल्लंघन	Evasion of Labour Laws in Giridih Sub-Division of District Hazaribagh ..	42
2115. भारत बर्मा सीमा संबंधी सम्मेलन	Indo Burmess Boundary Conference .	42
2116. तीन वर्षीय रोलिंग योजना बनाना	Formation of Three Year Rolling Plan	42—43
2117. दिल्ली में मकान बनाने के लिये इस्पात संबंधी आवश्कतायें	Steel Requirements for Construction of Houses in Delhi ..	43—44
2118. उड़ीसा में मैंगनीज खानों का वन्द होना	Closure of Manganese Mines in Orissa	44
2119. सेन्ट्रल ट्रीटी आरगेनाइजेशन के समक्ष श्री सिस्को का वक्तव्य	Mr. Sisco's Statement before Central Treaty Organisation ..	44

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2120. उड़ीसा में एल्यूमीनियम संयंत्र लगाया जाना	Setting up of Aluminium Plant in Orissa ..	44—45
2121. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में कर्मचारी भविष्य निधि की कटौतियां	E. P. F. deductions in Madhya Pradesh Small Scale Industries Corporation ..	45
2122. झांसी जिले में तांबे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey regarding copper deposits in Jhansi District ..	45
2123. सोवियत संघ पाकिस्तान विज्ञप्ति	Soviet Pak Communique	45—46
2124. अमरीका के राजदूत का अपने विमान का प्रयोग करने की अनुमति न देना	Refusal for use of own plane to U. S. Ambassador ..	46
2125. विदेशी शक्तियों द्वारा श्रीलंका में नौसैनिक अड्डे की स्थापना	Seetting up naval bases in Ceylon by foreign powers ..	46
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query)	46
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of urgent Public Importance ..	47—50
जाली डाक टिकट छापने वाले गिरोह के पता लगने का कथित समाचार	Reported unearthing of forged postal stamp racket ..	47—50
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	47—48
श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	47—50
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	50—51
राज्य सभा के संदेश	Messages from Rajya Sabha	51—52
विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Bills, as passed by Rajya Sabha	52
1. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	Maternity Benefit (Amendment) Bill	52
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक	Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill ..	52
विधेयक, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Bills, as Amended by Rajya Sabha	52
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में विस्तारण) विधेयक,	Prevention of Food Adulteration (Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill ..	52

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2. विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक	Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and production of Documents) Bill ..	52
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	53
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	Fourth and Fifth Reports	53
पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike in Sealdah Division of Eastern Railway ..	53—54
श्री के० हनुमंतैया	Shri K. Hanumanthaiya	53
चौथी योजना मध्यावधि-मूल्यांकन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourth Plan Mid-term Appraisal ..	54—83
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	55
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	56—57
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	58—63
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta	63—66
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Vardaraja Rao ..	66—68
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L Saksena	68—69
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	69—70
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	70—71
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	71—72
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	72—74
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	74—75
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	75—76
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	76—77
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	77—78
श्री कृष्ण राव पाटिल	Shri Krishnarao Patil	78—79
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	79—83

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 6 अप्रैल, 1972/17 चैत्र, 1894 (शक)
Thursday, April 6, 1972/Chaitra 17, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की छंटनी

*281. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूरकेला इस्पात संयंत्र के अनेक कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) 1 मार्च 1972 रूरकेला इस्पात कारखाने के सुरक्षा विभाग के 608 कर्मचारियों को जिन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल में जाने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी और जो आवश्यकता से अधिक थे, नौकरी से हटाना पड़ा।

श्री अर्जुन सेठी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन आया है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा दल में सम्मिलित न होने के कारणों का उल्लेख किया गया है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : भविष्य की अनिश्चितता के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु हमने काफी समय तक सोच-विचार के बाद उन्हें समझाया कि यदि वह इस दल में सम्मिलित होते हैं तो उनकी सेवा की शर्तों की सुरक्षा की जायेगी, बशर्ते कि वह शारीरिक दृष्टि से सक्षम हों और यदि वे शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं होंगे तो उन्हें इसी कारखाने में दूसरा रोजगार दिया जाएगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या औद्योगिक सुरक्षा दल के अलावा भी उन्हें नौकरी देने का अवसर देने पर विचार किया है ताकि उन्हें सेवा में रखा जा सके ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कारखाने के सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने की दशा में उनकी सेवा की शर्तों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था और उन्हें उस सेवा में शामिल होने पर उनकी नौकरियां पक्की बनी रहेंगी। यदि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने वाला कोई व्यक्ति अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे निश्चित रूप से कारखाने में दूसरी नौकरी दी जायेगी। इस प्रकार जिन लोगों ने दल में शामिल होने की स्वीकृति दी उन्होंने प्रबन्धकों द्वारा दिये गये विकल्प से लाभ उठाया और जो उक्त सेवा में सम्मिलित होने को तैयार नहीं हैं उनकी सेवाएं हमारे लिए आवश्यक नहीं रहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक सुरक्षा दल की सेवा की शर्तें सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से किसी प्रकार भी मेल नहीं खाती, इसीलिए अधिकांश कर्मचारियों ने दल में सम्मिलित होने पर सहमति नहीं दी, अपितु कारखाने में ही नौकरी का विकल्प दिया। क्या सरकार अब भी इस पहलू पर विचार करने को तैयार है और यदि किसी फालतू घोषित किये गये कर्मचारी का मामला आता है तो क्या मंत्री महोदय उसे संयंत्र की सेवा में ले लेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की सेवा की शर्तें सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से किसी भी प्रकार अलाभकर हैं और कई मामलों में पहले की शर्तों की रक्षा की गयी है। निश्चय ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और सुरक्षा विभाग की सेवा में एक मुख्य अन्तर यह है कि दल के कर्मचारी स्थानांतरित किये जा सकते हैं। माननीय सदस्य मानेंगे कि यदि स्थानीय व्यक्तियों को एक ही स्थान पर रखा जाता है तो हम सुरक्षा दल में अपेक्षित अनुशासन नहीं बनाए रख सकते जैसा कि स्थानान्तरित किए जा सकने वालों के मामले में कर सकते हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जिन्होने विकल्प नहीं दिया उन्हें भी अवसर दिया जाये यह विकल्प देने वाले उचित नहीं समझेंगे। परन्तु किसी भी दशा में प्रबन्धक इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य प्रश्नों की सूचना देने के बाद अनुपस्थित रहते हैं और इस प्रकार अन्य सदस्यों को अवसर नहीं मिल पाता है।

ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में अस्थायी दुकानों का हटाया जाना

*283. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने कालकाजी के निकट ई० पी० डी० पी० कालोनी में अस्थायी दुकानों को, जो इस कालोनी के निवासियों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करती हैं, हटाने के लिए कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कालोनी के निवासियों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने हेतु, नियमित दुकानें बनने तक, क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अस्थायी दूकानें खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। बस्ती में अनधिकार प्रवेश के रूप में कुछ अनधिकृत झोंपड़िया बनाई गई थीं, जिन्हें हटा दिया गया है। कुछ अनधिकृत अस्थायी झोंपड़ियां पुनः बनाई गई हैं जिन्हें हटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) बस्ती में दुकानों या मार्केट के लिए स्थान की व्यवस्था है। सरकार का प्रस्ताव है कि जैसे ही बस्ती में पर्याप्त संख्या में मकान बन जाएंगे, वह इन स्थानों को नीलाम कर देगी या दिल्ली नगर निगम से अनुरोध करेगी की वह इन स्थानों पर मार्केट और दुकान केन्द्र बनाए। पर्याप्त संख्या में मकानों के बन जाने या दिल्ली नगर निगम द्वारा मार्केटों और दुकान केन्द्रों के निर्माण हो जाने के बाद इन बाजार स्थलों का नीलाम होने तक यदि वहां के निवासी इच्छा प्रकट करेंगे तो सहकारी भण्डार के लिए उपयुक्त बाजार स्थल के एलाटमेंट के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार तैयार है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इसे ई० पी० डी० पी० कालोनी कहा जाता है, इसका अभी नाम नहीं रखा गया। 2,000 व्यक्तियों को उक्त कालोनी में प्लाट आवंटित किए गये हैं और शर्तों के अनुसार उन्हें लीज के दो वर्ष के भीतर मकान अथवा भवन बनाने थे। वास्तव में 700-800 व्यक्ति वहां पर मकान बना कर रहने भी लग गये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री बी० के० दासचौधरी : अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ लोगों ने वहां अस्थायी दुकानें खोल ली। मन्त्री महोदय से यह पता नहीं चला कि सरकार अथवा पुनर्वास मंत्रालय दुकानों के स्थल की नीलामी कब करेगी? शर्तों के अनुसार इमारतें दिये गये समय के अन्दर निर्मित की जानी चाहिए थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् हमें यह बताएंगे कि दुकानों के स्थलों की नीलामी अभी तक क्यों नहीं की गई? क्या वह अस्थाई दुकानों को वहां रह रहे लोगों की सुविधा को देखते हुए रहने देंगे?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह सच है कि कालोनी का अभी नाम नहीं रखा गया। हमने वहां निवासियों से सुझाव मांगे थे। कुछ सुझाव प्राप्त भी हो गये हैं। कुछ समय पश्चात् हम उन पर विचार करेंगे।

जहां तक प्लाटों का सम्बन्ध है उनका आवंटन इस शर्त पर किया था कि कम से कम 50 प्रतिशत अथवा अधिक निर्माण मई 1971 तक हो जायेगा, परन्तु अभी तक कुल 1,806 प्लाटों में से केवल 200 पर मकान तैयार हुए हैं। 200 अन्य मकान निर्माणाधीन हैं। इस समय स्थिति यह है। वहां पर बाजार अथवा दूकानों के लिये स्थल आरक्षित हैं परन्तु हम उनकी नीलामी तभी करेंगे जब कालोनी में पर्याप्त संख्या में मकान बन जाते हैं। अन्यथा उनसे उचित मूल्य नहीं मिलेगा। यह हम इस लिये कर रहें हैं क्योंकि यह कालोनी बिना किसी लाभ अथवा हानि के बनाई गई है। यदि हम प्लाटों की नीलामी अभी करते हैं तो यह उनके हित में नहीं होगा जिन्हें भूमि आवंटित की गई है क्योंकि इससे उनकी यहां—दर में कमी नहीं होगी। और निकटवर्ती कालकाजी कालोनी में इनकी आवश्यकताओं के लिये मार्केटें हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा मन्त्री महोदय से मतभेद है। कालकाजी में इस कालोनी के निकट कोई मार्केट नहीं है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कालोनी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली इन दुकानों को नियमित कर दिया जाये।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मुझे खेद है कि सरकार अनधिकृत भूमि-अधिग्रहण को स्वीकार नहीं कर सकती। यदि वे अपनी दुकानें चाहते है तो वे सहकारी प्रस्ताव रखें, जिन पर हम विचार करेंगे।

इस्पात की रद्दी का वस्तु-विनिमय के आधार पर निर्यात

*284. **श्री वेकारिया** :
श्री डी. पी. जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार इस्पात का आयात सुगम करने के लिए, वस्तु विनिमय के आधार पर रद्दी लोहे का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) दी मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने 50,000 टन मिल स्केल का निर्यात करने और इससे होने वाली आय से इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव रखा है। हिन्दुस्तान स्टील लि० से इस प्रस्ताव की शक्यता की जांच करने को कहा गया है।

श्री वेकारिया : क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से लाखों रुपए का अच्छा इस्पात रद्दी लोहे के रूप में बेचा गया है, और यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : लाखों रुपए के मूल्य का अच्छा इस्पात भिलाई से रद्दी लोहे के रूप में नहीं बेचा गया।

श्री वेकारिया : देश में इस्पात की भारी मांगों/आवश्यकताओं को देखते हुए तथा राज्यों की छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की मांग को देखते हुए, क्या सरकार अधिक छोटे इस्पात संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का अनुपूरक प्रश्नों से कोई संबन्ध नहीं है।

श्री वेकारिया : इस्पात का आयात करने के स्थान पर और दूसरे रद्दी लोहे के निर्यात के स्थान पर ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक पहले प्रश्न का संबन्ध है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें तो अच्छा हो। जहां तक रद्दी लोहे के निर्यात का प्रश्न है, निर्यात नीति का निर्धारण आंतरिक मांगों की पूर्ति के बाद ही किया जाता है और रद्दी लोहे की फालतू किस्मों की निर्यात की स्वीकृति दी जाती है।

श्री वेकारिया : क्या यह भारतीय मुद्रा में होगा अथवा विदेशी मुद्रा में।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जब हम निर्यात करते हैं तो निश्चय ही विदेशी मुद्रा कमाते हैं ।

श्री डी० पी जदेजा : किन देशों के साथ बातचीत चल रही है ? क्या यह प्रयत्न गैर-सरकारी उद्यमों द्वारा किये जायेंगे अथवा सरकारी क्षेत्र द्वारा ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि मुझे उत्तर के लिये वाघ्य न करें क्योंकि यह विषय वाणिज्यिक वार्ताओं से संबन्धित है जिनके संबन्ध में खुले रूप में कुछ न कहना ही उचित है । जहां तक उस संगठन का संबन्ध है मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि यह मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार का मुख्य भाग है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह हमें बताएंगे कि कितना रद्दी लोहा देश में उपलब्ध है और प्रस्तावित मिनी इस्पात संयंत्रों द्वारा कितने का उपयोग किया जा सकेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं माननीय सदस्य से पृथक प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मुख्य प्रश्न निर्यात के बारे में है । दूसरे इसमें रद्दी इस्पात के निर्यात की बात है, रद्दी लोहे की नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने प्रश्न को संशोधित करता हूं । क्या मैं जान सकता हूं कि देश में कितना रद्दी इस्पात उपलब्ध है...?

Dr. Laxminarain Pandeya : Is it not possible to utilise this type of steel scrap within the country ? If not, the reasons for not making any arrangement to utilise the same in our country so that we may not have to export it ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जैसाकि मैंने अपने पहले उत्तर में बताया है—निर्यात को इस प्रकार विनियमित किया जाता है कि पहले देश की अपनी मांग पूरी की जाय और उसके बाद स्क्रैप की जितनी मात्रा या किस्में फालतू हो उनका निर्यात करने की अनुमति दी जाय ।

औद्योगिक एककों को इस्पात की सप्लाई बंद करना

*285. **श्री +नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एककों को इस्पात की सप्लाई हाल ही में बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सप्लाई प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इस्पात सप्लाई करने से पहले इस बात का सत्यापन नहीं किया कि यह जाली संगठन अस्तित्व में हैं अथवा नहीं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां। कुछ ऐसी इकाइयों द्वारा इस्पात लेने के बारे में शिकायतें मिली है जिसका या तो अस्तित्व ही नहीं है अथवा जो काम नहीं कर रही है। और जांच होने तक उनमें से कुछ को इस्पात की सप्लाई स्थगित कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो/राज्य सरकारों को कई मामले जांच के लिए भेजे गये हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पूरी हो जाने तथा जिम्मेदारी निश्चित किये जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कुछ ऐसी औद्योगिक फर्मों को काफी बड़ी मात्रा में इस्पात वितरित किया गया है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और इस्पात वितरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है, कोई ऐसे उपाय निकाले हैं जिनके अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया में संशोधन किया जा सके। जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हों और सरकार इस बात का पता लगा सके कि औद्योगिक फर्मों का वास्तव में अस्तित्व है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : संभवतः माननीय सदस्य की यह बात ठीक नहीं हैं कि बहुत से इस्पात का दुरुपयोग किया गया है क्योंकि 'बहुत' एक सापेक्ष विशेषण है। हमने दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे मुख्य केन्द्रों में सहायक क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रकों को नियुक्त करने के समस्त तंत्र को अधिक कठोर बना दिया है। इन अधिकारियों द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरुप ही हम इस बात का पता लगा सके हैं कि किन फर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं है अथवा कौन सी फर्में बन्द हो चुकी हैं और उनको जितना इस्पात मिलता है उसका दुरुपयोग कर रही हैं। हमें विश्वास है कि इस संगठन की स्थापना के परिणामस्वरुप हम इस्पात के दुरुपयोग को काफी हद तक कम कर सकेंगे। परन्तु कुछ न कुछ तो दुरुपयोग होता ही रहेगा और उसे रोकना असम्भव है। नियंत्रण प्रणाली स्वयं भी कुछ हद तक के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार है। इस दुरुपयोग को कम से कम किया जाना चाहिये और अब हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या राज्य सरकारों के माध्यम से इस्पात वितरण की प्रक्रिया ठीक नहीं रहेगी क्योंकि वह उसी क्षेत्र में होती हैं और वह इस बात का भी अच्छी प्रकार ध्यान रख सकती हैं कि इस्पात का दुरुपयोग न हो ? इससे केन्द्रीय मंत्रालय पर काम का बोझ भी कम हो जायेगा।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित करने की कोई बात नहीं है। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा प्रायोजन के बाद उपभोक्ताओं को इस्पात दिया जाता है अर्थात जो व्यक्ति संयुक्त संयंत्र समिति को और फिर इस्पात प्राथमिकता समिति को इस्पात के लिये आवेदन-पत्र भेजता है, उसका प्रायोजन किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकारें भी कुछ व्यक्तियों का प्रायोजन करती हैं। दुरुपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित हो। अतः वितरण का काम राज्य सरकारों को सौंपना समस्या का समाधान नहीं है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : ऐसे एककों की कुल संख्या कितनी है जो वास्तव में नहीं हैं अथवा जो कागज़ात में हैं परन्तु चलते नहीं हैं। ऐसे एककों को कितना इस्पात सप्लाई किया गया और

क्या बड़े पैमाने पर इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : वर्ष 1970 और 1971 में सरकार को इस्पात के दुरुपयोग के 58 मामलों का पता चला है। इन 58 मामलों के सम्बन्ध में यह बताना अभी कठिन है कि कितना दुरुपयोग हुआ है क्योंकि अभी जांच चल रही है। 17 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा राज्य पुलिस अधिकारियों को जांच करने के लिए भेजे गये हैं और राज्य सरकारें और/अथवा क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक अन्य मामलों की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने और उत्तरदायित्व निश्चित होने के बाद ही सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : खुले बाजार में नियंत्रित दर की अपेक्षा अत्यधिक दर पर इस्पात काफी मात्रा में उपलब्ध होने के लिए इस्पात एककों द्वारा इस्पात का दुरुपयोग कहां तक जिम्मेदार है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं इस प्रश्न का मात्रा के रूप में उत्तर नहीं दे सकता परन्तु इसका प्रभाव अवश्य पड़ा है। यदि वर्ष भर के इस्पात के उत्पादन को देखा जाये तो खुले बाजार में उपलब्ध इस्पात कोई अधिक नहीं है।

Shri M. C. Daga : The. hon. Minister has stated that 58 cases have been registered May I know as to when these cases were registered and whether any enquiry has been held ; if so, the progress made in this regard ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये उत्सुक हैं तो वह बाद में मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि इस समय यह सब ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

इस्लामी सम्मेलन

\+
*286. **श्री पीलू मोदी** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में जेद्दा में हुआ था;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारत-विरोधी प्रचार के लिये उक्त सम्मेलन का लाभ उठाया; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सम्मेलन ने 'उप महाद्वीप में भारत-पाकिस्तान की स्थिति' सहित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया।

2. भारत सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता ने भारत के खिलाफ झूठे, अर्ध-सत्य एवं कटु वक्तव्य दिये और पाकिस्तानी मत पर सम्मेलन का समर्थन पाने की चेष्टा की।

यह दुःख की बात है कि कुछ प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारत की आलोचना की। जब कि कुछ अन्य लोगों ने नरमी एवं वास्तविक दृष्टिकोण पर बल दिया। दूसरा मत ही संयुक्त विज्ञप्ति में व्यक्त हुआ है जिसमें भारत की निन्दा नहीं की गई थी।

श्री राजदेव सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या उक्त सम्मेलन में दिये गये भाषणों से कुल मिलाकर क्या आभास मिलता था कि वे प्रभुसत्ता सम्पन्न बंगला देश के अस्तित्व का समर्थन करते थे या उसके विरुद्ध थे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आरम्भ में कुछ ऐसे भाषण दिये गये थे जिनमें इस संकट में भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की गई थी। परन्तु बाद में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया था और फिर उन्होंने संयत दृष्टिकोण अपनाया था। हमारे विचार में तथ्यों का गलत विश्लेषण करने और स्थिति का गलत मूल्यांकन करने के कारण उक्त देशों ने आलोचना की थी। बंगला देश बन जाने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया है।

श्री राजदेव सिंह : सम्मेलन में किन देशों ने संयत दृष्टिकोण अपनाया था ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसे देशों की सूची बहुत लम्बी है। इनमें से कुछ हैं, अफगानिस्तान, इन्डोनेशिया, मलयेशिया, मिश्र, सेनेगाल, गिन्नी, सीरिया तथा कुछ अन्य देश, जिन्होंने सम्मेलन में बहुत ही संयत दृष्टिकोण अपनाया था।

Shri Ishaq Sambholi : May I khow whether it is a fact that the countries which had criticised India, were Saudi Arabia and Jordan which belong to Anglo-American Bloc ?

Shri Surendra Pal Singh: We are being told this by the hon'ble Member himself.

भारत-रूस दस्तावेजों का संकलन

*287. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत-रूस दस्तावेजों को पुस्तकाकार रूप मे संकलित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक रूसी शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था, और, यदि हां, तो दौरे का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इन दस्तावेजों में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्धों के पिछले 25 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में भारतीय-सोवियत सम्बन्धों में हुई वृद्धि लक्षित होगी।

(ग) जी हां। शिष्टमंडल ने इन दस्तावेजों के संकलन एवं प्रकाशन की रूपात्मकता के बारे में प्रारम्भिक बातचीत की।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : भारत-रूस राजनयिक सम्बन्धों की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्या सरकार का विचार दो देशों के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ बनाने के लिऐ रूस को कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का है और यदि हां, तो क्या इस बारे में शीघ्र निर्णय किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी हां। भारत से एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय कर लिया गया है और इसे शीघ्र रूस भेजा जायेगा।

श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्या और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत और रूस के दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस अवस्था में यह कहना बहुत कठिन है कि नीतियों और मामलों के किन विशिष्ट पहलुओं को प्रमुखता दी जायेगी। ये ब्यौरे की बातें हैं।

इस्पात निर्माण की 'भारती' प्रक्रिया

*288. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात निर्माण की 'भारती' प्रक्रिया के बारे में अल्टेकर समिति के प्रतिवेदन की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस्पात उद्योग में निहित स्वार्थ और रूढ़ तकनीक को अपनाने वाले इस नई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं ; और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समस्त उपलब्ध डेटा पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् अल्टेकर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंच थी कि कोक ओवन टाइप चेम्बर में लौह अयस्क के रिडक्शन से और तदनन्तर पुशर द्वारा इसके डिस्चार्ज, जैसी कि भारती प्रक्रिया में परिकल्पना की गई है, तकनीकी तौर पर सम्भव नहीं है। सरकार चाहती थी कि इस विषय पर पूरी तरह विचार हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम रूप से कोई निर्णय लिया जाए। अतः देश के वैज्ञानिकों / धातुकर्मियों से इस पर राय देने

के लिए कहा गया था । तदनुसार 6 अक्तूबर 1971 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन द्वारा अल्टेकर समिति की सिफारिशों के सारांश का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया और वैज्ञानिकों धातुकर्मियों से इस प्रक्रिया की व्यवहारिका पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया और लौह धातु कर्मी, ऊष्मागति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों और क्रियाशील धातुकर्मियों ने जिन्हें जटिल इस्पात उपस्कर संयंत्र के परिचालन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, सरकार द्वारा की गई अपील पर अपने विचार भेजे परन्तु उन्होंने श्री भारती के दावे अथवा उसकी प्रक्रिया की शक्यता का समर्थन नहीं किया । वह आमतौर पर अल्टेकर समिति के निष्कर्ष से सहमत थे ।

अतः उपलब्ध जानकारी के आधार पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस प्रक्रिया का और उपयोग सम्भव नहीं है । 11 मार्च 1972 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया गया जिसमें वैज्ञानिकों / धातुकर्मियों से प्राप्त विचारों के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में बताया गया था । श्री भारती को भी सूचित कर दिया गया कि सरकार ने किन कारणों से वह निर्णय लिया था ।

यह सोचने की कोई गुँजायश नहीं है कि जिन वैज्ञानिकों / धातुकर्मियों ने श्री भारती द्वारा प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया था उन्होंने वास्तविकता और अच्छे इरादों को सामने न रख कर इस पर राय दी है ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात उद्योग में निहित स्वार्थ और रूढ़िवादी तथा परम्परागत तकनीक को अपनाने वाले देश में इस्पात बनाने के इस नये तरीके को लागू करने का विरोध कर रहे हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : वस्तुतः मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में हमें परामर्श देते हैं—जिनमें देश के प्रमुख धातु विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं—प्रतिवेदन देने में उनके ध्येय बहुत ऊंचे और निष्पक्ष होते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : "भारती" ने चुनौती दी थी कि यह प्रक्रिया कम खर्च वाली और अधिक उत्पादक है तथा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और विशेषकर इस्पात उद्योग के लिये अधिक सहायक है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इसका बड़े पैमाने पर कोई प्रयोग किया जा रहा है ? क्या समिति के सभी सदस्य इस विचार से सहमत हैं कि नई प्रक्रिया उपयुक्त नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख विवरण में है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस मामले को इस देश के प्रमुख धातु विशेषज्ञों की समिति को अपना परामर्श देने के लिये इसीलिये भेजा गया था ताकि सरकार इस प्रक्रिया की मान्यता के बारे में उचित निर्णय कर सके कि इस प्रक्रिया का प्रयोगात्मक स्तर पर परीक्षण किया जाना चाहिये या नहीं । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, इस समिति में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर के निदेशक—सभापति, डा० ब्रह्म प्रकाश, निदेशक, मेटलुरजी ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, डा० आर० वी० तमहंकर, निदेशक, रक्षा धातु विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद, प्रोफेसर टी० आर० अनन्तरमन, धातु विज्ञान विभाग अध्यक्ष, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और श्री के० सी० मोहन, उप-मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय इंजीनियरिंग और डिजाईनिंग ब्यूरो सम्मिलित हैं परन्तु इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी और इस समिति के परामर्श के बावजूद कि किसी प्रायोगिक संयंत्र लगाये जाने का कोई लाभ नहीं होगा, सरकार ने सतर्कता के तौर पर इस बात को

सुनिश्चित करने के लिये कि यह परामर्श ठीक है, 6 अक्तूबर, 1971 को समाचारपत्रों के माध्यम से इस बात का काफी प्रचार किया था कि सभी या कोई अन्य वैज्ञानिक और धातु विशेषज्ञ यदि इस प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वह हमें बता सकता है कि उसके इन प्रतिवेदन के बारे में क्या विचार है। बहुत से व्यक्तियों से उत्तर मिलने के बाद जिन्होंने मूल विचारों की ओर उक्त समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित विचारों की पुष्टि की, हमने निर्णय किया कि प्रायोगिक परियोजना पर कोई खर्चा न किया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : इस समिति के निष्कर्षों पर स्वयं भारती की क्या प्रतिक्रिया थी ? क्या वह इससे सन्तुष्ट थे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : आविष्कारकों को संतुष्ट करना कुछ कठिन ही होता है कि उनके आविष्कार का कोई ठोस आधार नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मन्त्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि लोक सभा में मैं ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने 'भारती' प्रक्रिया के बारे में यह बात उठायी थी, पश्चिम जर्मनी के मैसर्स कोपर्स ने सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया था, आप जानते हैं कि यह विश्व की एक प्रसिद्ध फर्म है। उन्होंने सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया था और जबकि 'भारती' विश्व भ्रमण कर रहा था . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या मार्गदर्शी संयंत्र के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय करना सम्भव है क्योंकि इस प्रक्रिया से हमें इस्पात 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन मिलेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक कोपर्स के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह इस अर्थ में सम्भाव्यता प्रतिवेदन है कि यह धातुकर्मी प्रतिक्रियाओं की जांच करता है, इसमें इंजीनियरिंग और प्रक्रिया नियंत्रण की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया गया है जो कि मार्गदर्शी संयंत्र के कार्य में भी अन्तर्ग्रस्त होगा और इससे भी अधिक वाणिज्यिक कार्य में अन्तर्ग्रस्त होगा। कोपर्स ने दो पत्रों में बताया है, जिनकी प्रतियां स्वयं भारती ने हमें दी थी, कि वे इस प्रक्रिया के और आगे के लिए अब और कम करने को तैयार नहीं है, उच्च धातुकर्मियों की समिति ने, जिनको हमने नियुक्त किया था, यह सलाह दी थी कि मार्गदर्शी संयंत्र चलाने की लागत 12 से 15 करोड़ रुपये आयेगी और यदि कोई छोटे पैमाने पर मार्गदर्शी संयंत्र लगाता है तो जैसा कि समिति ने बताया था इसमें निश्चय ही हमें लगभग 15 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे और इसलिए हमने सोचा कि यह ठीक नहीं है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना, मैसूर

*289. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के बारे में 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर की कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कुद्रेमुख लौह अयस्क निक्षेपों के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट अब सरकार को प्राप्त हो गई है और परीक्षणाधीन है ।

(ख) विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के सारांश का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1666/72]**

श्री पम्पन गौडा : इस प्रतिवेदन पर निर्णय करने में सरकार कितने दिन अथवा महीने लगायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें भारी व्यय करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन मार्च 1971 में प्राप्त हुआ था और इसके सम्पूर्ण ब्यौरा तथा विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपना भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिस पर विभिन्न मंत्रालय जांच कर रहे हैं और इसको शीघ्र ही मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री पम्पन गौडा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि सरकार इस पर कब निर्णय करेगी ।

श्री शाहनवाज खां : मै माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इसका मन्त्रिमण्डल के समक्ष संभवतः एक महीने में रखा जायेगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : कुद्रेमुख लौह अयस्क निम्न श्रेणी का है और चूंकि इस क्षेत्र में ऐसी कई अन्य परियोजनायें हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना की क्षमता, जो उस विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, बढ़ाई जायेगी ताकि उन अन्य लौह अयस्क परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिनके पास निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है ?

श्री शाहनवाज खां : इस क्षेत्र में मिला लौह अयस्क निम्न श्रेणी का है जो 33 और 39 प्रतिशत के बीच में है । यह चुम्बकीय किस्म का अयस्क है जिसका 66 अथवा 69 प्रतिशत तक परिष्करण किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है । यह बड़ा सीधा प्रश्न है, यह 7½ प्रतिशत है जो कि 10 प्रतिशत तक जा रहा है, आप एक मिनट में इसे निपटा क्यों नहीं देते ?

श्री शाहनवाज खां : प्रारम्भिक चरण में निर्यात 75 लाख मीट्रिक टन होगा जिसे 1 करोड़ मीट्रिक टन तक बढ़ने की क्षमता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह सीधी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुहम्मद शरीफ--अनुपस्थित

श्री अटल बिहारी वाजपेयी--अनुपस्थित

श्री चित्ति बाबू--अनुपस्थित

श्री लास्कर--अनुपस्थित

एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ

\+

*292. **श्री निहार लास्कर :**

श्री मूल चंद डागा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उद्योग के लिए एक कार्मिक संघ का उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह उद्देश्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) 13-15 मार्च, 1972 को हुई अपनी बैठकों में, तीन केन्द्रीय श्रमिक संगठनों अर्थात, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि, जो आपस में परामर्श करते रहे हैं, संयंत्र या उद्योग में, एकमात्र सौदाकर्ता अभिकर्ता की मान्यता के प्रश्न पर एक सीमित समझौते पर पहुंचे। मामले की आगे जांच की जा रही है।

श्री निहार लास्कर : मैं वस्तुतः यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार इस विषय पर इतने लम्बे समय तक चुप क्यों है क्योंकि यह प्रश्न कर्मचारियों की स्थिति सुधारने से संबन्धित है, यह मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में निर्णय कब लेगी।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : गत सम्मेलन में जब यह प्रश्न उठाया गया था, मैंने समय सीमा निर्धारित की थी। अक्तूबर के महीने में यह प्रश्न उठाया गया था और मैंने उन्हें कहा है कि इसकी अधिकतम सीमा 6 महीने है और 6 महीने के पश्चात् हम उनके निष्कर्षों की प्रतिज्ञा अनिश्चित समय तक नहीं करेंगे, इन वातों पर सहमति हो चुकी है कि गत सम्मेलन में अनुमोदित राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए हम आगे कार्यवाही करेंगे।

Shri M. C. Daga : It had been recommended in the Voluntary Code of Discipline that there should be one Union for one establishment. After this you stated, on 18 November, 1971, that we wanted to implement one Union for one establishment formula. Nearly a year has clapsed. When will your decision come? May I know whether the decision shall be taken without any time limit?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने वार्ता और विचार विमर्श के परिणामों के प्रति जो चिन्ता व्यक्त की है, उनको मैं पूरी तरह से समझता हूं, इस प्रकार के मामलों में आमतौर पर श्रम मन्त्रालय यदि सम्भव हो अथवा कम से कम विभिन्न कार्मिक संघों के मध्य सर्वसम्मिति से उनके परामर्श पर चलता है, यह अवधि अब लगभग समाप्त होने वाली है और मुझे आशा है कि हम इस पर शीघ्र ही निर्णय ले सकेंगे।

Shri M. C. Daga : What decision has been taken by A.I.T.U.C. and H.M.S. and whether Government know something about it ?

श्री आर० के० खाडिलकर : किसी प्रतिनिधि कार्मिक संघ को मान्यता देना एक बात है। यह एक प्रश्न है। जैसा कि पहले उत्तर दिया जा चुका है कि हमारे बीच में एक सीमित समझौता हुआ है क्योंकि वे उन दोनों को इससे बाहर रखना चाहते हैं जहां विभिन्न प्रकार के कानून हैं, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि में विभिन्न प्रकार के कानून लागू हैं, इन बातों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और हम इन बातों पर भी समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० वी० गिरि : गत 25 वर्षों से विभिन्न कार्मिक संघों में शत्रुता का हमें अनुभव रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ती है और औद्योगिक उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। क्या मन्त्री महोदय का विचार अपने अनुभव को देखते हुए कार्मिक संघ अधिनियम में संशोधन लाने हेतु कानून बनाने का है जिससे एक उद्योग के लिए एक कार्मिक संघ हो ?

श्री आर० के० खाडिलकर : ऐसा हमारा प्रयास रहा है परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारा विचार यह था कि हम किसी समझौते पर पहुंचने के बाद कानून बना सकते क्योंकि समझौता होने से कार्मिक संघों से अनुमति मिल जाती है और यही हमारा प्रयास है।

श्री के० मनोहरन् : इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मन्त्री ने भी तो एक सुझाव दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ समय पूर्व दिए गए उत्तर से क्या हम यह समझें कि यदि तीन केन्द्रीय कार्मिक संघों महाराष्ट्र, गुजरात आदि के बारे में शीघ्र ही समझौता नहीं कर पाते हैं तो क्या श्रम मन्त्रालय अन्य राज्यों के मामलों में स्वीकृत फार्मूला को स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : निश्चय ही हम स्वीकृत फार्मूला को कार्यक्रम देंगे परन्तु हमें यह देखना पड़ेगा कि यह न्यूनतम फार्मूला किस प्रकार कार्य कर सकता है, यदि मैं कहूं बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम को किस प्रकार स्थगित किया जा सकता है अथवा सीमित अवधि के लिए कार्य कर सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आप पर छोड़ा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सेवाओं में कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिक

*293. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक सेवाओं में इस समय कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या क्या है और इनमें से कितने भारतीय कार्यकारी पदों पर आसीन है ;

(ख) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक सेवाओं में भारत के प्रतिनिधित्व को पर्याप्त समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 31 अगस्त, 1971 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में नियोजित भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या 143 थी। इनमें से 56 व्यक्ति व्यावसायिक और उच्चस्तर वेतनमानों के पदों पर कार्य रहे हैं जिन्हें "कार्यकारी" पद कहा जा सकता है।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में व्यवसायिक और उच्चतर पदों पर भारतीय प्रतिनिधित्व को कुल मिलाकर पर्याप्त समझा जाता है। जब कभी मौका आता है, उपयुक्त और सुयोग्य भारतीयों के नामों की सिफारिश करके उच्चतर स्तरों पर भारतीय प्रतिनिधित्व को और अच्छा करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपमन्त्री महोदय ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रशासन सेवा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर पर्याप्त अथवा सन्तोषजनक समझा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्धारण किस आधार पर किया गया है। क्या भारतीयों का प्रतिनिधित्व वहां कार्य करने वाले अन्य देशों के राष्ट्रिकों की तुलना में समान है, अन्यथा सरकार ने किस मापदण्ड पर यह निश्चित किया है प्रतिनिधित्व की मात्रा पर्याप्त है अथवा नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विभिन्न देशों से कर्मचारी भर्त्ती करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा किसी प्रकार के स्पष्ट अथवा कठोर नियम नहीं बनाये गये हैं। परन्तु भर्त्ती करने से पूर्व कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है और वे यह है कि जहां तक सम्भव होता है, समान भौगोलिक आधार पर ही वितरण किया जाता है। परन्तु इसके साथ सेवा के लिए व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के बारे में विचार किया जाता है। ये ही कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न देशों के लिए अपेक्षित कोटा नियत किया है और इसके अनुसार हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में हमारा प्रतिनिधित्व कुल मिला कर पर्याप्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक हमारी सरकार द्वारा की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाती है ? जैसा कि हम जिन व्यक्तियों की सिफारिश करते हैं वे आमतौर से या तो पहले से ही सरकारी सेवा में होते हैं अथवा उन्होंने पहले सरकारी सेवा की होती है, जैसे कि असैनिक सरकारी कर्मचारी था क्या सरकार अपनी सिफारिशों में गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मुख्य मापदण्ड तो प्रस्ताविक सेवा के लिए अभ्यर्थी की योग्यता ही है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो केवल तथ्य का प्रश्न पूछ रहा हूं। क्योंकि पहले सरकार द्वारा सिफारिशें की गई थीं। क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों की मुख्य रूप से सिफारिश की गई है, वे पहले से ही सरकारी सेवा में होते हैं या जिन्होंने सरकारी सेवा की होती है या अधिकांशतः उन व्यक्तियों की सिफारिश की गई है जो या तो गैर-सरकारी व्यक्ति होते है और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अथवा प्रौद्योगिकी और कभी-कभी अन्य व्यवसायों के व्यक्तियों की भी सिफारिश की जाती है।

Shri Bibhuti Mishra: Sir, the Hon. Minister has said that the matter of competence and suitability of the person is taken into consideration for the services. I want to know who assesses this factor of competence and suitability ? Is there any organisation in India that undertakes the assessment regarding competence and suitability of a person for service or it is merely an inferiority complex?

Shri Surendra Pal Singh : My reply has been wrongly interpreted. I said that at the time of recruitment, while U. N. takes into account the quota of services for various countries, they also take into account that the person should be competent and efficient so that he may discharge his duties smoothly. The question of inferiority complex does not arise at all.

श्री एन० श्री कान्तन नायर : क्या यह अनुपात अथवा आवंटन संयुक्त राष्ट्र निधि में प्रत्येक देश द्वारा दिए धन की मात्रा के आधार पर होता है या किसी अन्य बात पर आधारित है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इसके लिए अनेक कारण हैं, जिनमें इस बात पर भी विचार किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में किस देश ने कितना योगदान किया है ।

श्री के० मनोहरन : इस बात के लिए सामान्यतः क्या कारण है ? क्योंकि उपमन्त्री महोदय ने कहा है कि यह भी कारण हो सकता है जब कि इसके साथ वह यह भी कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति भी एक कारण हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को प्रश्न करने से पहले मेरी अनुमति लेने की कृपा करनी चाहिए थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समय संयुक्त राष्ट्र में कार्य कर रहे भारतीयों में से कितने सरकारी कर्मचारी हैं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो इस मामले से पूर्णतया सम्बन्धित प्रश्न है जिसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था और मन्त्री महोदय को इसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिए था । यह बहुत खेद की बात है ।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या संयुक्त राष्ट्र के भर्ती नियमों में विभिन्न राष्ट्रजातियों के आरक्षण की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस बारे में प्रयत्नशील रहते हैं । जब कभी कोई पद रिक्त हुआ, हम भारतीयों के नाम प्रस्तावित करते हैं और यह प्रयास जारी रहता है । जहां तक नियम व विनियमों का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई पक्के नियम नहीं हैं ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : संयुक्त राष्ट्र सेवा में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं ? क्या संयुक्त राष्ट्र में और अधिक सुयोग्य महिलाएं भेजने के लिए हमारी सरकार की ओर से कोई प्रयास किए गये हैं जिससे विदेशों में हमारी महिला प्रतिनिधियों के सही आंकड़े रखे जा सकें ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं संयुक्त राष्ट्र में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या के बारे में सही स्थिति नहीं बता सकता । परन्तु मैं माननीया सदस्या से पूरी तरह सहमत हूं कि महिलाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

White Paper on Indo-Pak War

+
*297. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand for bringing out a White Paper containing all the facts regarding the Indo-Pak War has been made ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के सुझाव देते हैं कि इस विषय पर एक श्वेत-पत्र निकाला जाए। सरकार ने पहले ही "बंगला देश प्रलेख" के नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की है। सरकार ने कोई श्वेत-पत्र निकालना आवश्यक नहीं समझा है।

Shri Jagannath Rao Joshi : This question arises because this direct conflict took place after a long period and that immediately after liberation of Bangla Desh, cease-fire was declared. In this connection, an article was published in the newspapers by Lt. General Kandith under the caption "Cease-fire came as an Anti-climax". General Manekshaw also said that had the war continued for four or five days more we would have washed away the war-fever of Pakistan. I want to know from Hon. Minister whether we had any aim on the Western front where the Yahya regime forces attacked, as we had an aim on the eastern front for liberation of Bangla Desh ? If so, what was that aim ?

Mr. Speaker : You have asked regarding White Paper, this has no bearing to that. I am not going to give you permission of this question. Every victorious General says so. Please do not put him into trouble by asking such question. Kindly confine to the question of 'White Paper' only.

Shri Jagannath Rao Joshi : That Yahya regime forces openly attacked on our soil on the Western front and they have been occupying our land since 1948 which we have not been able to liberate so far from the international front and international pressure. Is it not the duty of our Government to liberate the land ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस प्रश्न का 'श्वेत-पत्र' से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : यही तो प्रश्न है। (व्यवधान)।...

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे प्रश्न न पूछिए।

Shri Jagannath Rao Joshi : Was that not our aim to liberate our own land on the Western front as was our aim of liberation of Bangla Desh on the eastern front ? (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : यह बात असंगत है।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्रों और सरकारी खानों को आक्सीजन गैस की सप्लाई

*298. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्रों और सरकारी खानों को आक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड अपनी एकाधिकार की स्थिति के कारण गैस के मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी ही शर्तें बनवाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन आक्सीजन लिमिटेड की एकाधिकार की स्थिति समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : सरकारी खानों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लि० का संबंध है—स्थिति इस प्रकार है :—

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के राऊरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों की आक्सीजन गैस की आश्वश्यकता की पूर्ति उनके अपने टनेज आक्सीजन कारखानों से की जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं का अधिकांश दुर्गापुर इस्पात कारखाने के टनेज आक्सीजन संयंत्र से प्राप्त होता है। परन्तु कभी-कभी इसकी थोड़ी मात्रा दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा इंडियन आक्सीजन लि० से तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान गैस एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० से खरीदी जाती है। यह खरीदारी पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के रेट कन्ट्रैक्ट पर की जाती है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सब संयंत्रो में गैस की सप्लाई का संकटकालीन अतिरिक्त प्रबन्ध है और इन सब संयंत्रों में यह प्रबन्ध इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया जाता है; और यदि हां, तो सरकार ने अभी तक वहां ऐसा अपना प्रबन्ध क्यों नहीं किया है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं समझता हूं कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन संयंत्रों की आवश्यकताएं टनेज आक्सीजन संयंत्र द्वारा पूरी की जाती है। जहां तक संकटकालीन अतिरिक्त प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इसका प्रयोग अत्यन्त आपातकालीन स्थितियों के अतिरिक्त किया जाता है। मैं यह बात बताने की स्थिति में नहीं हूं कि यह प्रबन्ध इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया जाता है अथवा किसी अन्य संयंत्र के द्वारा। मैं इसकी जांच करूंगा और इसका पता लगाऊंगा।

डा० रानेन सेन : क्या यह भी सच है कि इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई गैस का मूल्य हिन्दुस्तान स्टील के संयंत्रों में उपलब्ध गैस के मूल्य से अधिक है, और क्या यह भी सच है कि अन्य इस्पात संयंत्रों में गैस के वितरण के मामले में इंडियन आक्सीजन कम्पनी का पूरा एकाधिकार है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक अन्य इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मूल्यों का निर्धारण पूर्ति और निपटान के दर—ठेके के अनुसार होता है और हम समझते हैं कि उचित मूल्य निर्धारित करने के बारे में यह पर्याप्त आश्वासन है। इस्पात संयंत्रों में ऐसे मूल्य नहीं हैं। उत्पादन लागत के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी सरकार इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट है कि जब कभी गैस खरीदनी पड़ती है, तो इस बारे में सब प्रकार के उपाय कर लिए जाते हैं और गैस बहुत कम मात्रा में खरीदी जाती है और उचित मूल्य पर खरीदी जाती है।

अमरीकी सूचना सेवा का भारत के विरुद्ध प्रचार

*299. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सूचना सेवा गत कुछ समय से भारत के विरुद्ध प्रचार कर रही है जिसमें बंगला देश और उससे सम्बद्ध समस्याओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण की आलोचना होती है ;

(ख) क्या अमरीकी सूचना सेवा द्वारा यह प्रचार अब भी जारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) किसी भी सरकार की सूचना एजेन्सी अपनी सरकार के विचारों का प्रचार करती है। भारत तथा बंगला देश संकट पर अमरीकी सरकार के विचार सुविदित है और संयुक्त राज्य सूचना सेवा ने उन्हीं विचारों का प्रचार किया है।

(ग) इन मामलों में भारत सरकार का मूल्यांकन वैसा नहीं है जैसा अमरीकी सरकार का।

श्री राम सहाय पांडे : क्या यह सच है कि भारत और बंगला देश के सम्बन्धों के मामले को लेकर भारत, हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मन्त्री के विरुद्ध बहुत प्रचार हो रहा है और क्या इस प्रचार में सी० आई० ए० तथा अन्य अनेक एजेंसियां अन्तर्ग्रस्त हैं ? क्या आपके पास इस सम्बन्ध में कोई पुष्ट सूचना है और क्या आप इसके बारे में सदन को बता सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्तमान प्रश्न अमरीकी सूचना सेवा की गतिविधियों से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि मैंने इस बारे में उपयुक्त सूचना दे दी है।

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या सरकार को यह पता है कि एशोसियेटेड प्रेस अमरीका के एक संवाददाता ने विश्व में भ्रम और गड़बड़ी पैदा करने की दृष्टि से भारत से अमरीकी न्यूज नेटवर्क्स को ऐसी सूचना भेजी है और अमरीकी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रचार कि बंगला देश पर हिन्दुओं का प्रभाव है, और वहां हिन्दुओं का शासन है के बारे में भी समाचार भेजे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बात को समस्त विश्व जानता है कि बंगला देश की सरकार, वहां के लोगों और बंगला देश की जनता के मान्य नेता शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिनिधि सरकार है। इससे विपरीत किसी प्रकार का वक्तव्य विश्व के किसी भाग में भी मान्य नहीं हो सकता। **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

*282. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क का उत्पादन काफी घट गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्): (क) जी, नहीं। मैंगनीज अयस्क के कुल उत्पादन में 1969 से 1971 वर्षों के दौरान वृद्धि होती रही है जो निम्न प्रकार है—

वर्ष	मात्रा (हजार टनों में)
1969	1, 486
1970	1, 673
1971	1, 779

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

भारत-पाक विवादों को हल करने के लिए रूस द्वारा सहायता की पेशकश

*290. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक समझौता कराने में सहायता करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुएं मंगाने का कार्य अलग-अलग मंत्रालयों को सौंपना

* 291. **श्री सी० चित्ति बाबू :** क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों की भांति प्रत्येक मन्त्रालय और विभाग को अपनी-अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं मंगाने का कार्य सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Compensation to Indian Nationals in lieu of Property Left in Burma

*294. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India have held any talks with the Government of Burma for the payment of compensation in lieu of movable and immovable property left behind in Burma by the Indian Nationals who have been asked to leave Burma ; and

(b) if so, the outcome thereof and the total amount paid by the Burma Government on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The question of compensation of assets of Indian Nationals who have left behind their property in Burma is under consideration of the Governments of India and Burma.

अलौह धातुओं का उत्पादन

*295. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में देश में तांबा, जिंक और ऐल्यूमिनियम जैसी अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1972 के लिए इस बारे में क्या परियोजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) अलौह धातुओं के स्वदेशी उत्पादन में की गई वृद्धि की प्रगति को उपदर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1667/72**]

श्रमिकों को बर्खास्त करने की उद्योगपतियों की निरंकुश शक्तियों को रोकना

*296. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिकों को बर्खास्त करने की उद्योगपतियों की निरंकुश शक्तियों को रोकने के लिए एक विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो तैयार किए जा रहे उस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसके संसद् में कब तक पुरःस्थापित किये जाने की सभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) उद्योगपतियों के लिए अपने श्रमिकों को मनमाने ढंग से बरखास्त करना कठिन बनाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में समय-समय पर संशोधन किया जाता है । इसमें अन्तिम संशोधन दिसम्बर, 1971 में किया गया है । इस सम्बन्ध में और आगे कानून बनाने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना

*300. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मंत्री ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी अपने पहले प्रस्ताव को फिर दोहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आमतौर से भारत सरकार ऐसी सभी प्रकार की पहल के पक्ष में है जिनका उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना है । सरकार इस संबंध में किसी भी ठोस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है ।

श्रीलंका से स्वदेश आने वाले भारतीय

2068. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पुरी योजना" के अन्तर्गत श्रीलंका से भारतीयों की चरणवद्ध वापसी के संबंध में किसी प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत कितने भारतीयों को भारत वापस लाया जायेगा और इस समय कितने व्यक्ति स्वदेश लौट रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते, लेकिन जहां तक देश-प्रत्यावर्तन का प्रश्न है, 18 मार्च 1972 तक 53.563 व्यक्ति भारत वापस आए हैं ।

पश्चिमी जोन में रोजगार—अवसरों की संख्या में वृद्धि

2069. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रोजगार जोन अवसरों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख) पश्चिम क्षेत्र में (या इस संबंध में समस्त देश में) पैदा हुए अतिरिक्त रोजगार अवसरों के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र किए गए कच्चे आंकड़ों के अनुसार, जो संगठित* क्षेत्र के संबंध में हैं, अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 की समयावधि के दौरान पश्चिम क्षेत्र में रोजगार अवसरों में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उससे पिछले वर्ष 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । निर्माण कार्य, बैंकों, रेलवेज, जिला परिषदों के कार्यक्रमों, सूती वस्त्र उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तथा सड़क परिवहन में रोजगार में वृद्धि उल्लेखनीय थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष

2070. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन औद्योगिक श्रमिकों के हितों की देखभाल करता है;

*सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के ऐसे और कृषि प्रतिष्ठान जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों ।

(ख) क्या इस बड़े संगठन में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संगठन के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के एक पहलू नामशः भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन का ध्यान रखता है ।

(ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का, जो कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबन्ध करता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है ।

(ग) जी नहीं । पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

संखा नदी की बाढ़ के रेत का जम जाना

2071. **श्री गज धर माझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) मदिरा बांध के निकट लोगों की भूमि को संखा नदी की बाढ़ में आये रेत के जमने से बचाने के लिये सरकार ने वर्ष 1971 में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि इसी समय उचित कार्यवाही नहीं की गई तो, क्या संखा नदी के द्वारा अपनी धारा बदलने का भय है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों का केन्द्रीय बोर्ड

2072. **श्री वयालार रवि : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों का केन्द्रीय बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय हैं जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ख) क्या न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा फिर किये गए निर्णयों की सरकार द्वारा पुनः जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध और उसके अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजनाएं न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की शक्तियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और अधिनियम में यथा परिभाषित 'समुचित' सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देशित करती है । अधिनियम की व्यवस्था के नियमों के अधीन, जहां आवश्यक हो, न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों को केन्द्रीय सरकार को उनके अनुमोदन हेतु निर्देशित किया जाता है ।

सोवियत प्रतिनिधि-मंडल

2073. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 से फरवरी, 1972 तक कितने सोवियत प्रतिनिधि-मंडल भारत आए;

(ख) इन प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) इनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था और इनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केरल में बाक्साइट निक्षेपों का सर्वेक्षण

2074. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के नीलेश्वरम् क्षेत्र में बाक्साइट के नियमों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वाणिज्यिक स्तर पर इनका उपयोग करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, केरल के कन्नानौर जिले के नीलेश्वर क्षेत्र में बाक्साइट के लिये विस्तृत अन्वेषणार्थ चार ब्लाक अंकित किये गए हैं। ब्लाक I में व्यधन कार्य संपूरित हो गए हैं और ब्लाक II में प्रारम्भ किये गए हैं। ब्लाक III और IV में परीक्षण व्यधन कार्य प्रगति पर है। विश्लेषणात्मक कार्य के सम्पूरित होने के पश्चात् ब्लाक I में उपलब्ध राशियों और अयस्क की श्रेणी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ख) वाणिज्यिक समुपयोजन का कार्यक्षेत्र, क्षेत्र में किए जा रहे परीक्षणों से प्राप्त होने वाले परिणामों पर निर्भर करेगा।

बोकारो इस्पात कारखाने में आग लगने की घटना

2076. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने में दिसम्बर, 1971 में लगी आग की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। बोकारो इस्पात कारखाने के कोक ओवन क्षेत्र के रिफ्रैक्टरी शेड संख्या 2 में 39 नवम्बर 1971 को लगी आग की घटना की जांच करने के लिये गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(ख) समिति ने तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी जिन्होंने इसकी छानबीन की थी, आग के कारणों में किसी साजिश की संभावना का खंडन किया है। समिति का अनुमान है कि ऊष्मसह और स्टोरेज शेड आदि को क्षति के कारण लगभग 60 लाख रुपये की हानि हुई है। समिति ने सिफारिश की है कि बोकारो स्टील लि० में अग्नि शामक संगठन को सशक्त करना चाहिए।

(ग) इस सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उस ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है जिसे खाली बक्सों और पैकिंग सामग्री को वहां से हटाना चाहिये था।

केरल में बालापट्टम सड़क पुल के लिए लोहे की छड़ों की सप्लाई

2077. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोहे की छड़ों की कमी के कारण अधिकारिगण केरल के कन्नानूर जिले में बालापट्टम सड़क के पुल के निर्माण को आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण के लिये पर्याप्त लोहे की छड़ों की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केरल के कन्नानूर जिले में बालापट्टम सड़क पुल के निर्माण के लिए केरल सरकार के मुख्य इंजीनियर (सिंचाई) से जनवरी-मार्च 1972 की अवधि में इस्पात नियंत्रक के रिजर्व स्टाक में से 390 टन 6 मि० मी० से 25 मि० मी० साधारण इस्पात की छड़ों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। सभी स्पर्धी मांगों की पूर्ति के लिए उपलब्धि पर्याप्त न होने के कारण इस मांग को उसी अवधि में पूरा नहीं किया जा सका। परन्तु इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि या तो इस्पात प्राथमिकता समिति के आवंटन द्वारा या बिलेट पुनर्वेलक समिति के आवंटन द्वारा यथा सम्भव अप्रैल-जून 1972 की अवधि में इस मांग की पूर्ति कर दी जाय।

राऊरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में लोहे तथा इस्पात का अधिक मात्रा में इकट्ठा होना

2078. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राऊरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में 1971 में लोहा तथा इस्पात बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया था और इस समय भी है; और

(ख) यदि हां, तो कितना (टन तथा मात्रा दीजिए)?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जहां तक कच्चे लोहे का सम्बन्ध है भिलाई में इसके स्टाक में वर्ष 1971 में क्रमिक रूप से कमी हुई और यह कमी मार्च, 1972 तक होती रही जबकि राऊरकेला में वर्ष 1971 में इसका स्टाक बढ़ता रहा; परन्तु 1972 के पहले दो महीनों में स्टाक में कुछ कमी हुई है। जहां तक इस्पात पिण्डों का सम्बन्ध है भिलाई में जनवरी 1971 से फरवरी, 1972 की अवधि में इसके स्टाक में वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में राऊरकेला में इसका स्टाक कम हुआ है। जहां तक विक्रेय इस्पात का सम्बन्ध है दोनों कारखानों में 1971 के पहले नौ महीनों में स्टाक में काफी कमी हुई है। फिर भी 1971 की अन्तिम तिमाही में और 1972 के पहले दो महीनों में स्टाक में वृद्धि हुई है। मार्च 1972 में भिलाई के विक्रेय इस्पात के स्टाक में निश्चित रूप से सुधार हुआ है जबकि मार्च 1972 में राऊरकेला में इसकी स्थिति वही रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1-1-71, 1-10-71, 1-1-72 और 1-3-72 को कच्चे लोहे, इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात की कुल मात्रा और कुल मूल्य (मूवेबल स्टाक भी शामिल है) निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है :—

मात्रा (हजार टन)
मूल्य (दस लाख रुपये)

		भिलाई स्टाक की स्थिति				राऊरकेला स्टाक की स्थिति			
		1-1-71	1-10-71	1-1-72	1-3-72	1-1-71	1-10-71	1-1-72	1-3-72
कच्चा	मात्रा	55.9	51.2	50.3	36.7	11.9	36.2	44 2	32 5
लोहा	मूल्य	(17)	(16)	(15)	(11)	(15)	(16)	(19)	(14)
इस्पात	मात्रा	38.4	67.8	88.5	85.5	75.1	17.1	14.7	20.5
पिण्ड	मूल्य	(8)	(31)	(41)	(34)	(39)	(9)	(8)	(11)
विक्रेय	मात्रा	65.5	15.9	65.0	68.1	46.6	35.5	34.4	43.3
इस्पात	मूल्य	(48)	(12)	(47)	(50)	(70)	(46)	(52)	(65)

इस्पात संयंत्रों द्वारा माल डिब्बों की बिक्री

2079. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में माल डिब्बों की भारी कमी होते हुए भी राऊरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों द्वारा ऐसे सैकड़ों माल डिब्बों को बेचा जा रहा है जिनकी मरम्मत की जा सकती है और जिन्हें काम में लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। केवल ऐसे माल डिब्बे ही बेचने के लिए रखे जाते हैं जिनको मरम्मत करके इस्तेमाल करना मितव्ययी नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पोलैंड व्यापार आर्थिक सहयोग करार

2080. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1972 को भारत और पोलैंड के बीच हुए करार के अन्तर्गत दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग और व्यापार को काफी सीमा तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पोलैंड के उप-प्रधान मंत्री जान मित्रेगा की हाल की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, 14 जनवरी, 1972 को उनके साथ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था जिनके द्वारा आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक भारत-पोलैंड आयोग की स्थापना की गई थी। आशा की जाती है कि इस आयोग के कार्य करने से दोनों देशों के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे और इस तरह हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और हमारे उद्योगों तथा वैज्ञानिक संस्थानों को लाभ होगा।

(ख) यह सहमति हुई है कि भारत-पोलैंड सम्मिलित आयोग में दोनों सरकारों के मंत्रि-स्तर के प्रतिनिधि रहेंगे। वह आयोग अधिकारी स्तर पर ऐसी समितियों की स्थापना करेगा जो कि विचारार्थ मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श करने के लिए उपयुक्त समझी जाएंगी।

आयोग का मुख्य काम यह होगा कि उसके अधीन पड़ने वाले क्षेत्रों में सहयोग अधिकाधिक बढ़ाया जाए। यह कार्य विकास कार्यक्रमों के सम्मिलित अध्ययन और व्यापार, उद्योग, विज्ञान, तथा तकनीकी ज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी उपायों के विस्तार और सहकारिता के चालू कार्यक्रमों की सावधिक समीक्षा करके किया जाएगा।

समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए दिए गए पंचाट का क्रियान्वित किया जाना

2081. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न समाचार-पत्र उद्योगों ने समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के लिए दिए गए पंचाट को कहां तक क्रियान्वित किया है; और

(ख) पंचाट की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने पर हुए विवाद के

सम्बन्ध में न्यायाधीश, श्री बी० एन० बैनर्जी द्वारा दिये गये पंचाट को, 3 अगस्त 1970 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। पंचाट के परिपालन करवाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

भारत-ईरान का संयुक्त सर्वेक्षण दल

2082. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ईरान के एक संयुक्त सर्वेक्षण दल ने ईरान के रास्ते भारतीय निर्यात और आयात की संभावनाओं की जाँच की है और इस मार्ग को व्यवहारिक पाया है; और

(ख) क्या सर्वेक्षित मार्ग समुद्र-एवं-भूमि का मार्ग है और इससे स्वेज़ नहर के बन्द हो जाने से परिवहन-व्यय में हुई अत्यधिक वृद्धि में भी कमी हो जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत, ईरान संयुक्त आयोग के तत्वावधान में, एक संयुक्त सर्वेक्षण दल ने ईरान के मार्ग से भारतीय माल के निर्यात और आयात करने की संभावनाओं की जांच-पड़ताल पूरी कर ली है। संयुक्त सर्वेक्षण दल के भारतीय सदस्य ने इस जांच-पड़ताल की रिपोर्ट तैयार की है और मार्ग की व्यवहार्यता के उद्देश्य से इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) सर्वेक्षण मार्ग जल एवं स्थल पारगमन के लिए है। इस मार्ग के आर्थिक पहलू पर विचार किया जा रहा है।

हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक अड्डे

2083. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने इस बात के लिए सहमति प्रकट की है कि यदि पश्चिमी देश हिन्द महासागर से हट जाये तो वह भी अपना बेड़ा हटा लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वे पश्चिमी देश कौन-कौन हैं जिन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति हिन्द महासागर में जमा कर रखी है और कहां-कहां पर ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत सरकार ने इस प्रश्न का अध्ययन करने की तत्परता व्यक्त की है कि हिन्द महासागर के क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाया जाए और इसे अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर समान आधार पर हल किया जाए।

(ख) सरकार के पास जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमरीका के नौसेना पोत हिन्द महासागर में हैं ; लेकिन इन देशों के जहाजों की किसी समय विशेष पर सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति की भारत के प्रधान मंत्री के साथ बैठक

2084. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री भुट्टो ने भारत की प्रधान मंत्री से मिलने का कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने किसी भी समय, किसी भी स्तर पर और बिना किसी पूर्व शर्त के पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान सरकार के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए निश्चित प्लाटों की नीलामी

2085. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए निश्चित 4,000 रिहायशी प्लाटों की नीलामी करने की केन्द्रीय सरकार की योजना की आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) यदि प्रस्तुत संदर्भ दिल्ली के भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद श्री वी० के० मलहोत्रा के संबंध में है तो इसका उत्तर 'हां' में है और इस सम्बन्ध में 4 फरवरी, 1972 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1668/72]**। दिल्ली में विस्थापित अनधिवासी व्यक्तियों को एलाट करने के लिए इन प्लाटों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए श्री मलहोत्रा ने कुछ समय पहले भी यह प्रश्न उठाया था और उन्हें सूचित किया गया था कि बाजार-मूल्य के आधार पर भुगतान करने पर ही इन प्लाटों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा सकता है किन्तु उन्होंने अपनी आवश्यकता नहीं बताई। चूंकि स्थिति अब भी वही है इसलिए प्रेस विज्ञप्ति पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

विस्थापितों के लिए छोटे प्लाटों की परिभाषा

2086. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 में तथा इसके अधीन नियमों में छोटे प्लाटों की परिभाषा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह परिभाषा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा अलौह-धातु एककों को अपने हाथ में लेना

2087. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलौह-धातु एककों को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय सरकार के समक्ष कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

गुजरात की कपड़ा मिलों में हड़तालों के कारण व्यर्थ हुए श्रम घंटे

2088. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कपड़ा मिलों में मजदूरों की हड़तालों के कारण गत दो वर्षों में कितने श्रम घंटे व्यर्थ गए ; और

(ख) इस प्रकार की हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970 और 1971 के दौरान गुजरात में कपड़ा मिलों में हड़तालों के कारण खोए गए श्रम-दिनों की संख्या क्रमशः 1,37,207 और 63,873 (अनन्तिम) थी ।

(ख) जैसा आवश्यक होता है, वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत औद्योगिक सम्पर्क तंत्र काम बन्दियों को घटाने के लिए प्रारम्भिक बातचीत, समझौता और न्याय निर्णय या मध्यस्थता द्वारा प्रयास करना जारी रखता है । सरकार औद्योगिक सम्पर्क पद्धति में सुधार लाने के लिए सम्मत उपाय उद्भूत करने हेतु श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों सहित, संबंधित हितों से बातचीत भी कर रही है ।

उद्योगों के लिये इस्पात की मांग

2089. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक उद्योगवार बड़े उद्योगों, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए, विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की वर्षवार, राज्यवार मांग कितनी थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन लोहे और इस्पात का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। इस्पात प्राथमिकता समिति इस्पात का आवंटन करती है। यह समिति इस्पात के अंततः उपयोग, उसकी उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। फिर भी इसके वास्तविक आवंटन के बारे में जानकारी, जहां तक उपलब्ध हो सकेगी प्राप्त की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन

2090. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में भारत के इस्पात कारखानों में इस्पात के निर्माण का लक्ष्य क्या है ; और

(ख) 1972-73 के अन्त तक इस्पात की कितनी कमी पड़ने की संभावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीशाह नवाज खां) : (क) सरकार ने वर्ष 1972-73 में 72 लाख टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

(ख) 1972-73 के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य और तैयार इस्पात की अनुमानित आवश्यकता में लगभग 5-8 लाख टन का अन्तर होगा। यदि इस वर्ष में इस्पात के शुरू आयात को भी ध्यान में रखा जाय तो वास्तविक कमी बहुत कम रह जाएगी।

बंगला देश के शरणार्थियों को वापिस जाने के बारे में परिवहन संबंधी व्यय

2091. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश के शरणार्थियों को उनके देश वापिस भेजने के बारे में परिवहन संबंधी कितना व्यय सरकार को करना पड़ा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): शिविरों में रह रहे बंगला देश के शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने पर जो कार्य अभी केवल 25-3-1972 को पूरा हुआ है, परिवहन सम्बन्धी कुल व्यय विभिन्न राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय शिविर प्राधिकारियों द्वारा अभी संकलित किया जाना है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र "फोकल प्वायंट" से वित्तीय सहायता

2092. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र "फोकल प्वायंट" ने बंगला देश के शरणार्थियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): संयुक्त राष्ट्र "फोकल प्वायंट" द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए वचन दत्त सहायता के लगभग 150 करोड़ रुपये में से भारत सरकार को 107.02 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसमें 35.06 करोड़ रुपये की नकद राशि भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति

2093. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये किन्हीं ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) उसके प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) महासचिव ने गत वर्ष के अन्त में महासभा को सूचित किया था कि पिछले दस वर्ष के घाटे के कारण संयुक्त राष्ट्र के नकद प्राप्त साधन इतने कम हो गये हैं कि संगठन की वित्तीय स्थिति वस्तुतः विकट हो गयी है । 1971 के अंत तक, बजट अनुमानों के अनुसार 6 करोड़ 50 लाख डालर से भी ज्यादा की रकम ऐसी थी जो अदा नहीं की गई थी और जिसमें कम से कम 3 करोड़ 35 लाख डालर की रकम के बारे में तो यह समझा गया है कि उसकी उगाही नहीं हो पायेगी । इसके अतिरिक्त विगत और वर्तमान में शांति स्थापना के कार्यों की मद में 5 करोड़ डालर का जो उधार चढ़ गया है उसका भी अभी कोई निपटारा नहीं हुआ है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति ने, जिसका भारत भी एक सदस्य था, 1966 में रिपोर्ट दे दी थी जिसमें दूसरी बातों के अलावा बजट संबन्धी तरीकों और प्रक्रियाओं में सुधार करने और एक संयुक्त जांच एकक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी तथा लागत-प्रभविष्णुता को बढ़ाने के लिये बहुत से सुझाव भी दिये गये थे । संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर पुनः विचार करने के लिए अब एक नई समिति गठित की गई है जिसमें भारत समेत 15 सदस्य हैं ।

(ग) भारत की स्थिति बुनियादी तौर पर यही है कि वह पहले की सिफारिशों पर अमल करने की दिशा में अपना समर्थन देता रहेगा तथा नई समिति के काम में मूल्यवान सहयोग देगा ।

Arrears of Employees Provident Fund in Punjab

2094. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of Provident Fund of employees outstanding in Punjab at present ; and

(b) the steps taken and proposed to be taken for realisation of the outstanding amount of the Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund authorities have reported as under :

(a) and (b). The arrears of provident fund contributions in the Punjab region of the Employees' Provident Fund Organisation, comprising the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh, amounted to about Rs. 26.7 lakhs at the end of December, 1971. Legal action by way of prosecution and recovery proceedings under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 is taken against the defaulting establishments. Penal damages are also levied in the case of belated payments.

अरब देशों में राजनयिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाना

2095. **श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति हाल ही में अरब देशों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण को देखते हुये, क्या सरकार का विचार इस देशों में हमारे राजनयिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं में कुछ अरब देशों के रवैये से हम निराश हुये थे, तो भी कुल मिलाकर अधिकांश अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बिलकुल मैत्रीपूर्ण है, हम अपने विदेश स्थित मिशनों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या की निरन्तर समीक्षा करते रहते हैं। हाल में अरब संसार में हमने कुछ नये मिशन खोलने का और कुछ अन्य मिशनों को सशक्त बनाने का निर्णय लिया है । संयुक्त अरब अमीरी राज्यों और कातार में नए मिशन खोले गए हैं । इसके अलावा, औमान और बहरीन के मिशनों का दर्जा बढ़ा दिया गया है और लिबिया तथा सऊदी अरब के राजदूतावासों को सशक्त किया जा रहा है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों के योगदान का अंश

2096. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात कारखानों के निर्माण में सहयोग देने के पश्चात्, अब भारतीय इंजीनियरों में इतनी क्षमता हो गई है कि वे बिना विदेशी तकनीकी और इस्पात इंजीनियरी ज्ञान के इस्पात कारखानों का स्वयं निर्माण कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में हमारे इंजीनियरों का कितना योगदान रहा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय इंजीनियर अब उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि वे इस्पात कारखाने की विभिन्न इकाइयों के रूपांकन और इंजीनियरी के लिए परामर्श कार्य कर सकते हैं। संयंत्र और उपकरणों के रूपांकन और निर्माण के लिए विदेशी सहयोगियों के साथ किये गये विभिन्न जानकारी-समझौतों के फलस्वरूप अब भारतीय निर्माता इस्पात कारखाने के अधिकाँश उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं ।

बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए 90 प्रतिशत इमारती ढांचे 100 प्रतिशत प्रौद्योगिक ढाँचे 65 प्रतिशत मशीनी उपकरण 48 प्रतिशत विद्युत-उपकरण का और 80 प्रतिशत इन्स्ट्रूमेंट देश में ही निर्मित किये गए हैं। इस्पात कारखाने के उपकरणों में देशीय उत्पादन की मात्रा में क्रमिक वृद्धि के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं और वर्तमान अनुमानों के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने के 40 लाख टन वाले द्वितीय चरण के 80 प्रतिशत से भी अधिक उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जाएगा ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों और ढांचों का स्वदेशी निर्माण

2097. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने के विशाल समूह के निर्माण के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत उपकरण और 95 प्रतिशत ढांचे भारत में ही बनाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इतने प्रतिशत उपकरण और ढांचे तैयार हो रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बोकारो स्टील लि० के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में देश से प्राप्त किये जाने वाले उपस्करों और संरचनात्मकों की प्रतिशतता निर्दिष्ट नहीं है। फिर भी मूल अनुमानों के अनुसार कारखाने के प्रथम चरण (17 लाख टन पिण्ड का चरण) के लिए 64% उपस्कर और मशीनरी और 92% इस्पात संरचनात्मक देशीय स्रोतों से प्राप्त किये जाने थे। 65% याँत्रिक और 48% विद्युत उपकरण, 80% इन्स्ट्रूमेंट 90% इमारती ढांचे और 100% औद्योगिक ढांचे देश से ही प्राप्त किये जा रहे हैं। केवल ऐसा साज-सामान आयात करने की अनुमति दी गई है जो बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्यक्रम के अनुसार देश में प्राप्त नहीं हो सकता।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण सम्पत्ति की क्षति

2098. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के हाल के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिन लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुई उनकी ठीक-ठीक संख्या कितनी है ; और

(ख) उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई

2099. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिए भारी इंजीनियरी निगम, रांची और विदेशी स्रोतों से उपकरणों और सामान की सप्लाई अब समयानुसार वहां पहुंच रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी वस्तुयें समयानुसार नहीं पहुंचाई जा सकीं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जबकि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए विदेशी स्रोतों से उपस्करों तथा साज-सामान की सप्लाई प्रायः पूरी हो गयी है भारी इंजीनियरी निगम से उपस्करों की सप्लाई में कुछ कमी रह गई है। फिर भी इस कमी को उत्पादन में वृद्धि, कुछ संपूरक संघटकों के आयात तथा कुछ साज-सामान के लिए अन्य देशीय निर्माताओं को आर्डर देकर तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है।

Production in Bhilai Steel Plant

2100. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the present output and the total production capacity of the Bhilai Steel Plant ; and

(b) the value of steel exported to various countries from the said plant and the quantity of the steel consumed within the country during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The rated annual capacity of Bhilai Steel Plant is 2.5 million tonnes of ingot steel.

Production during 1971-72 was 1.953 million tonnes of ingot steel.

(b) Figures are available for the years 1969-70 and 1970-71 and are given below. The value of steel exported by the plant in these two years was as under ;

	(Figures in Lakhs of Rupees)
1969-70	22,91
1970-71	31,51

Actual sales of prime quality steel within the country from Bhilai Steel Plant during these two years were as follows :

	(in '000 tonnes)
1969-70	1,088
1970-71	1,151

Offer of United States of America for Reapproachment between India and Pakistan

2101. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the United States of America has made any offer for reapproachment between India and Pakistan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Import of Steel by Hindustan Steel Limited and Mineral and Metal Trading Corporation

2102. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Steel Limited and the Mineral and Metal Trading Corporation have formulated a Scheme to import more steel ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). Both HSL and MMTC import Steel as canalising agencies only in accordance with the Import Trade Control policy of Government Hindustan Steel Limited have, however, been entrusted with the task of operating a Steel Bank. The Bank will maintain stocks of specified critical categories of steel for catering to the requirements of priority users. The stocks of the Bank will be replenished from time to time by imports made on the basis of anticipated requirements. The users will be supplied the materials ex-stock against import licences. To start with the Bank will arrange for a stock of about 50,000 tonnes of steel.

Agricultural Wages

2103. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether the prevailing rates of agricultural wages in different States are lesser than those fixed for those States under the Minimum Wages Act, 1948 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Minimum Wages Act, 1948 has a very wide coverage. There may be cases here and there where wages actually paid are lower than those notified under the Act. 'The appropriate Government' has powers to take legal action against the defaulting employers.

India Supply Mission, London

2104. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government on the India Supply Mission in London during the years 1970-71 and 1971-72 ; and

(b) the commodities purchased by the said Mission in England and Western Europe during the years 1970-71 and 1971-72 together with the amount paid for each commodity ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan) : (a) The total expenditure incurred by Government on the India Supply Mission in London during

(i) 1970-71= £ 3,63,503.72

(ii) 1971-72 (upto Feb. 72) = £ 3,03,417.00

(b) The Mission made the following purchases

(i) Total purchases during 1970-71 = £ 24,546,433.00

(ii) Total purchases during 1971-72 (from April 1971 to Feb. 1972) = £ 34,846,338.00

(iii) The statement of the break up of the purchases made in (1970-71 and 1971-72 (up to Feb. 1972) in respect of commodities is given in Annexure 'A'.

Statement

Annexure 'A'

Statement of the break up of the purchases made in 1970-71 and 1971-72 (February, 1972) in respect of Commodity.

Sl. No.	Commodity Trade—Groupwise	Value 1970-71 Value in £	Value 1971-72 Value in £ (April 71 to Feb.72)
1.	Foodstuff	27,486	
2.	Tobacco	3,584	
3.	Textiles	5,591	
4.	Footwear Material (Heels etc.)	136	..
5.	Wool	1,151	23,390
6.	Paper and Paper Products	10,533	32,761
7.	Leather & Leather Products (Except footwear) ..	..	105
8.	Rubber Products ..	13,512	9,428
9.	Chemical & Chemical products including AMM ..	1,63,30,268	2,03,50,788
10.	Non-metalic Mineral products including products of Petrolium and Coal ..	31,334	1,61,997
11.	Basic Metal Industries Products (Except Machinery and Transport)	5,44,134	1,57,395
12.	Metal products (Except Machinery & Transport Equipment)	26,420	91,963
13.	Machinery (Except electrical Machinery)	2,69,964	10,26,322
14.	Electric Machines, Appliances including Radio and Sound Equipment	13,21,819	19,10,610
15.	Transport Equipment	53,76,213	1,04,53,455
16.	Railway Material and Engineering Stores	..	49,749
17.	Live animals	26,429	..
18.	Misc. Industrial products	1,74,201	2,87,111
19.	Hospital Equipment and Scientific Stores ..	3,83,658	2,91,264
	Total	2,45,46,433	3,48,46,338

E.P.F. Arrears with Coking Coal Mines

2105. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether huge arrears of the Employees Provident Fund amount of labourers were outstanding against the owners of 214 coking coal mines which have been taken over by the Government ;

(b) if so, the amount thereof ; and

(c) the action taken so far by Government to ensure payment of the said amount to the labourers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Coal Mines Provident Fund authorities have reported as under :

(a) to (c) Total Provident Fund dues in respect of 214 coking coal mines taken over by the Government as on the 31st December, 1971 were Rs. 2.8 crores. These dues do not include damages in respect of amounts for which Certificate Cases are yet to be filed and they mostly relate to the period prior to the taking over of management by the Bharat Coking Coal Limited. Custodians have been asked to arrange payment. The question of realisation of provident fund dues by adjustment against the compensation payable to the owners is under consideration. Legal action has also been taken against original owners for non-payment of the dues pertaining to the period prior to taking over of the management by the Government.

श्रम संहिता का हिन्दी में प्रकाशन

2106. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम संहिता को हिन्दी में प्रकाशित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सभी श्रम अधिनियमों और नियमों के साथ इसे हिन्दी में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) इस प्रकार की संहिता को हिन्दी में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय इंजीनियरी एवं डिजाइन ब्यूरो

2107. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी एवं डिजाइन ब्यूरो को एक पृथक कम्पनी बनाने का निर्णय लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपाँकन ब्यूरो की वर्तमान क्षमता, इसके द्वारा लिए कामों तथा देश में इस्पात उद्योग के भावी विकास के संदर्भ में इसके अधिकाधिक योगदान को देखते हुये सरकार ने हाल में इसे एक अलग कम्पनी के रूप में गठित करने का निश्चय किया है । अन्ततः यह कम्पनी उस होल्डिंग कम्पनी की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी होगी जो इस्पात तथा सम्बद्ध आदान उद्योगों जैसे कोकिंग कोयले, लोह अयस्क, मैंगनीज आदि के लिए बनाने का प्रस्ताव है ।

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन का विस्तार

2108. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन का विस्तार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें उपयोग करने के लिए बाक्साइट कहां से लाया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम निगम लिमिटेड अपने विस्तारण के लिए बिहार के पालामू में और मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित खानों से बाक्साइट प्राप्त करेगा।

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक अड्डे

2109. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका ने हाल ही में हिन्द महासागर में बहरीन द्वीप में नये नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के कथित प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, सरकार को मालूम है कि अमरीका ने फारस की खाड़ी में बहरीन पर अड्डा बनाने की सुविधायें प्राप्त की हैं।

(ख) इस विषय पर सरकारी नीति का निर्देश संसद के इस अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया जा चुका है। हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों के बेड़ों की उपस्थिति और परिचालन से तनाव और होड़ की वृद्धि होगी जो तटवर्ती राज्यों के हित में खासतौर से हानिकारक है। सरकार ने लुसाका घोषणा का समर्थन किया था और सभी राष्ट्रों द्वारा हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए 1 दिसम्बर, 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सं० 2832 (XXVI) के सह-प्रस्तावकों में भारत भी एक था।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारी जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता

2110. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में इस समय कितने ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता ; और

(ख) कर्मचारियों का ऐसा वर्ग अभी तक बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन/केन्द्र में कार्य करने वाला ऐसा कोई भारत अस्थायी कर्मचारी नहीं है जिसका स्थानान्तरण न

किया जा सकता हो । लेकिन, विदेश-स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में काम करने वाले स्थानीय रूप से भर्ती किए गए 1641 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता और जो विदेश मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं ।

(ख) हमारे मिशनों/केन्द्रों में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों को इस लिए रखा जाता है क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जिन्हें उस स्थान की पूरी जानकारी हो और इस लिए भी कि उन्हें रखने से खर्च में किफायत होती है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के पैरा 26 का हटाया जाना

2111. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक सामाजिक सुरक्षा विधानों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न एककों में कारखानों और खानों के कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक तीन मास के बाद वहां कर्मचारियों के नाम बदल दिए जाते हैं ताकि उन्हें भविष्य निधि का सदस्य बनने और बोनस पाने से वंचित रखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो नियोजकों द्वारा अपनाई जा रही कुप्रथाओं को रोकने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के पैरा 26 को पूरा हटा दिए जाने पर विचार किया गया है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अनिवार्यतः कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य बन सके ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) **कर्मचारी भविष्य निधि** : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की भारी संख्या की दशा में निर्दिष्ट अनियमितताएं सामान्यतः देखने में नहीं आयी । कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 26 को विलोप करने से ऐसी अनियमितताओं को रोकने में योगदान मिलने की संभावना नहीं है बल्कि इसके विपरीत इससे दूसरे रूपों में टालमटोल की संभावना है तथा उनका परिणाम अन्य जटिलतायें हो सकता है ।

(ii) **कोयला खान भविष्य निधि** : कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा कोकिंग कोयला खानों का काम काज संभाल लिए जाने के बाद और निरीक्षकों की गति तीव्र कर देने के फलस्वरूप इस समस्या का कुछ सीमा तक समाधान हो गया है । इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग की कुछ सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचालन सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

2112. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या विशेष सिफारिशें की हैं ;

(ख) ट्रस्टी बोर्ड ने कौन-कौन सी सिफारिशें आंशिक रूप से क्रियान्वित की हैं ; और

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं और वे कब तक लागू कर दी जायेंगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :-

(क) प्रशासन सुधार आयोग ने, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचालन से सम्बन्धित कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार

2113. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा शाखाओं में अधिकारी और कर्मचारी दावों के आवेदन पत्र इस आधार पर रोक लेते हैं कि दावों के सम्बन्ध में उचित फार्म नहीं भरे गए और बाद में जब कर्मचारियों से मिला जाये और उन्हें खुश किया जाये तो उन्हीं फार्मों पर भरे दावे पास कर दिए जाते हैं ;

(ख) क्या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी गई विवरणियां भी खो जाती हैं और बाद में नियोजकों को फिर से विवरणियां भेजने को कहा जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो दावों के आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान और ऋणों की शीघ्र मंजूरी के लिए किन-किन सुधारों पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है ?

(क) से (ग) सामान्यतः, दावा आवेदन पत्रों पर शीघ्र ध्यान दिया जाता है । तथापि, अपूर्ण और दोषी आवेदन पत्रों को, पूर्ण करने और दोष हटाने हेतु वापस भेज दिया जाता है । प्राप्त होने पर विभिन्न विवरणों को, क्षेत्रीय अधिकारियों के दस्तावेजों में रखा जाता है । तथापि, कुछ मामलों में, जहां प्राप्त विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं । उनकी प्रतिलिपियां मंगवानी पड़ेगी । दावों के निपटारे की प्रगति की नियत-कालिक समीक्षा-न्यायसियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की जाती है ।

जिला हजारीबाग की गिरिडीह सब-डिविजन में श्रम विधियों का उल्लघंन

2114. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला हजारीबाग (बिहार) की गिरिडीह सब-डिवीजन में श्रम विधियों का बड़े पैमाने पर उल्लघंन होता है, जहां पर हर तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक का नाम बदल दिया जाता है और सारा रिकार्ड दोहरा रख के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा जाता है ; ओर

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्रक खानों के श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के विचार से कोई उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केन्द्रीय सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-बर्मा सीमा सम्बन्धी सम्मेलन

2115. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा सम्बन्धी सम्मेलन बर्मा की सीमा पर मार्च के महीने में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तीन-वर्षीय रोलिंग योजना बनाना

2116. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के विरोध के बावजूद सरकार ने तीन-वर्षीय रोलिंग योजना बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) इस्पात विभाग ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल, फालतू पुर्जों, ऊष्मसह, रोल तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों के संबध में एक त्रिवर्षीय योजना तैयार की है। दूसरे तीन वर्षों में आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी। इस प्रयास से विशेष लाभ यह होगा कि परिचालन वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही वर्ष भर के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा पर एक ही बार विचार किया जा सकेगा। इस योजना के फलस्वरूप आयात प्रतिस्थापन की मात्रा की क्रमबद्ध रूप से खोज करने में सहायता मिलेगी और इससे थोक मूल्य के वे लाभ हो सकेंगे जो अल्पकालिक खरीद में नहीं मिल सकते। योजना के कारण अधिक मितव्ययी संधारण और अधिक कुशल संधारण के फलष्वरूप इस्पात कारखानों की उत्पादिता में सुधार हो सकेगा।

वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं किया था। प्रस्ताव में इस योजना के बनाने और इसे अंतिम रूप देने में उनका पूर्ण सहयोग रहा।

दिल्ली में मकान बनाने के लिए इस्पात संबंधी आवश्यकताएं

2117. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस्पात की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों द्वारा मकान बनाने के लिए इस्पात प्राप्त करने में अनुभव की जा रही कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस्पात की चोरबाजारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस्पात की आम कमी है और यह कमी राजधानी में भी अनुभव की जा रही है।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत दिल्ली में स्थिति की ओर है। अक्तूबर, 1971 से दिल्ली में मेन स्टील प्रोड्यूसर्स कमेटी के नाम से एक कमेटी काम कर रही है। यह समिति तीनों उत्पादकों के स्टाकयार्डों में मकान बनाने वालों के काम आने वाले उपलब्ध माल को इकट्ठा कर लेती है और उसे समन्वित ढंग से दिल्ली तथा इसके आस-पास मकान बनाने वालों में बांट देती है। इस्पात का कुछ प्रतिशत छोटे मकान बनाने वालों के लिए विशेष रूप से अलग रखा जाता है। इनमें वे लोग आते हैं जिनके प्लाट का क्षेत्रफल 250 वर्ग गज से अधिक नहीं होता और जिनको 3 टन से अधिक इस्पात की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) इस्पात के दुष्प्रयोग के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और ऐसे दुष्प्रयोग के रोकने के लिए कई उपाएं किए गए हैं। मार्च 1971 में लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 में किए गए संशोधनों में से एक संशोधन के अनुसार इस्पात का ऐसे किसी काम के लिए इस्तेमाल जिसके लिए उसका आवेदन अथवा आवंटन न किया गया हो नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करार दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत यह दंडनीय अपराध है। लोहा और

इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए हैं जिनका काम अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात के सही उपयोग पर नजर रखना भी है। ये कार्यालय जहां कहीं आवश्यक समझें मौके पर जाकर विस्तृत जांच भी कर सकते हैं। इस मामले में जब कभी आवश्यक समझा जाता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भी सहायता ली जाती है।

उड़ीसा में मैंगनीज खानों का बन्द होना

2118. **श्री गजाधर माझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में मैंगनीज की कितनी खानें बन्द पड़ी हैं और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में उनको फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय खान ब्यूरो को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1958 के अधीन प्राप्त जानकारी के अनुसार सुन्दरगढ़ जिले में 1971 में श्रम की कमी के कारण एक खान बन्द की गई थी। इससे पूर्व, इसी जिले में 1970 में एक अन्य खान बन्द की गई थी परन्तु इसे जनवरी, 1972 से पुनः चालू किया गया है।

(ख) 1971 में बन्द हुई खान से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सेन्ट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन के समक्ष श्री सिस्को का वक्तव्य

2119. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के उप-विदेश मंत्री श्री सिस्को द्वारा वाशिंगटन में 14 मार्च को सेन्ट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन के समक्ष दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका, भारत, पाकिस्तान और बंगला देश से 'ठोस सम्बन्ध' स्थापित करना चाहता है;

(ख) क्या भारत सरकार ने उक्त वक्तव्य के आशय का अनुमान लगाया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) 'ठोस सम्बन्ध' के लिए उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की है, उस पर मूल्यांकन करने में समय लेगा और उसके लिए एकमात्र मानदंड यही होगा कि अमरीकी प्रशासन दक्षिण एशिया की स्थिति की वास्तविकता के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाता है कि नहीं।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र लगाया जाना

2120. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित जेपुर में एल्यूमिनियम का एक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मैसर्स भारतीय एल्यूमिनियम निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उड़ीसा के कोरापुट जिले में जेपुर के समीप प्रतिवर्ष 30,000 टन एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए नये उपक्रम की स्थापना के लिए 16 फरवरी, 1971 को औद्योगिक अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी। फर्म से यह अपेक्षित है कि वह संयंत्र की स्थापना दिसम्बर, 1974 तक सम्पूरित करे।

E.P.F. Deductions in Madhya Pradesh Small Scale Industries Corporation

2121. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the amount of Provident Fund subscription is deducted from the salaries of the employees working in the Madhya Pradesh Small-Scale Industries Corporation ; and

(b) if so, the total amount so collected uptil now ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund Authorities have reported as under :

(a) Amounts of provident fund subscription are generally deducted from salaries of the employees working in the Madhya Pradesh Small Scale Industries Corporation. However, there are also instances of default.

(b) The total amount collected up to the end of February, 1972 is about Rs. 12 lakhs.

Survey regarding copper deposits in Jhansi District

2122. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct any survey to locate copper deposits at Madawra in Jhansi District ; and

(b) if so, the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Geochemical survey for copper-nickel-cobalt mineralization at Madawra in Jhansi District is being carried out by the Geological Survey of India since 1969-70. The indications so far obtained in a part of the potential area are not very promising. Further work is in progress in the adjacent sectors.

(b) The investigation is in a preliminary stage. First phase evaluation is scheduled to be completed by 1973-74.

सोवियत संघ-पाकिस्तान विज्ञप्ति

2123. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जैड० ए० भुट्टो और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री श्री अलेक्सी कोसिगिन द्वारा जारी की गई उस संयुक्त विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है जो कि श्री भुट्टो की हाल ही की यात्रा के बाद जारी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह विज्ञप्ति पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच एक द्विपक्षीय दस्तावेज है। भारत सरकार को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। फिर भी, सरकार पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इस वक्तव्य का स्वागत करती है कि वह इस उप-महाद्वीप में शांतिपूर्ण स्थिति रखने में सहायता देने के लिए कदम उठाने को तैयार है और यह कि वह भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार समाप्त करने को महत्वपूर्ण समझते हैं।

अमरीका के राजदूत को अपने विमान का प्रयोग करने की अनुमति न देना

2124. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राजदूत को देश के अन्दर ही अपने विमान का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार विमान की इस प्रकार प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) इस प्रकार की अनुमति देने की प्रथा को आरम्भ करने के क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) प्रत्येक उड़ान के लिए सरकार की अनुमति प्रादेशात्मक होती है और हरेक उड़ान के संगत कारणों पर विचार करने के बाद सरकार ने उसकी अनुमति दी है, या नहीं दी है।

(ख) पैंतीस बार।

विदेशी शक्तियों द्वारा श्रीलंका में नौसैनिक अड्डे की स्थापना

2125. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा श्रीलंका में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में **(प्रश्न)**
RE CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, हमने वियतनाम में भयंकर वमबारी के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। आप जब भी चाहते हैं तभी खड़े हो जाते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जाली डाक टिकट छापने वाले गिरोह के पता लगने का कथित समाचार

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमन्, मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जाली डाक टिकटों के घोटाले का पता लगाने तथा बड़ी संख्या में नकली डाक टिकटों का पकड़े जाने का समाचार"

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : 22 मार्च, 1972 को कोई आम व्यक्ति मेरे पास 20 पैसे वाले (16 अक्तूबर, 1967 को निकाली गई नेट सीरीज के) जाली डाक-टिकटों के 6 शीट लेकर आया। मैंने डाक-तार महानिदेशालय के सीनियर अधिकारियों को फौरन इसकी जांच करने की हिदायत दी, क्योंकि ये डाक-टिकट जाली थे।

30 मार्च, 1972 को डाक-तार महानिदेशालय की सतर्कता टुकड़ी ने पुलिस की सहायता से दिल्ली के अंसारी रोड डाकघर के 2 डाक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उन द्वारा दिए गए सुराग के आधार पर इस गिरोह के दो सदस्यों को उसी तारीख को रात के समय सोनीपत में गिरफ्तार किया। 31 मार्च, 1972 को प्रातः राधेपुरी, शाहदरा, दिल्ली—51 में डाक-टिकट छापने के फोटोग्राफी के साज-सामान समेत पूरा प्रेस और करीब 2 लाख रुपये के पूरे छपे और अध-छपे डाक-टिकट भी पकड़े गए।

उक्त गिरोह के कार्यालय और प्रेस में जो रिकार्ड कब्जे में लिया गया, उससे यह पता चला है कि इस गिरोह ने देश के विभिन्न राज्यों में जाली डाक-टिकटों की बिक्री के लिए अपने एजेंट नियुक्त किए हुए थे। इसलिए इन एजेंटों को पकड़ने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई। अब तक दिल्ली और देश के अन्य भागों में 22 व्यक्ति हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिनमें 5 डाक कर्मचारी भी शामिल हैं। विभिन्न स्थानों पर इन एजेंटों से 20 पैसे की सीरीज के जाली डाक-टिकट भी कब्जे में ले लिए गए हैं।

जांच से यह पता चला है कि केवल 20 पैसे वाले डाक-टिकट ही जाली छापे जा रहे थे। अन्य डाक-टिकटों की जालसाजी सामने नहीं आई है। छापा मारने और तलाशी लेने का काम अभी चल रहा है और आशा है कि इससे पूरे मामलें का पता चल जाएगा।

देश भर में सभी डाकघरों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इनमें असली और जाली डाक-टिकटों की खास-खास बातें बताई गई हैं। साथ ही उन्हें शतर्क रहने के लिए आम हिदायतें भी दे दी गई हैं।

इस सम्बन्ध में जनता के मार्ग-दर्शन के लिए एक प्रेसनोट भी जारी कर दिया गया है ।

श्री डी० के० पंडा : वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि माननीय मन्त्री को इस सम्बन्ध में जानकारी 22 मार्च, 1972 को प्राप्त हुई और वह भी किसी आम व्यक्ति द्वारा बताने पर जब कि वह 20 पैसों के जाली टिकटों की 6 पत्तरे उनके पास लाया जिसके परिणाम स्वरूप कि जाली टिकटें बनाने की फैक्टरी का पता चला ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री का ध्यान अप्रैल 1970 में राज्य सभा में हुई चर्चा की ओर दिलाना चाहता हूं । तब से सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाती रही है कि देश में जाली टिकटें बनाने का काम चल रहा है । इस सदन में भी 15 मार्च, 1972 को भी चिन्तामणि पाणिग्रही के प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया कि एक संगठित संस्था है और देश भर में छिपे रूप से सक्रिय है । उन्होंने यह भी कहा कि देश में नियमित डाक घर सेवा के समानान्तर एक अनधिकृत सेवा है । इसका अर्थ यह है कि यह समस्या काफी पुरानी है और सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी । सरकार ने सात व्यापारिक कम्पनियों के नाम भी इस सम्बन्ध में बताये थे ।

इन सब को देखते हुए यह बहुत दुःख की बात है कि वक्तव्य में सारी समस्या के प्रति एक उपेक्षा का रूख अपनाया गया है । इसमें केवल इतना बताया गया है कि डाकघरों को असली एवं नकली टिकटों के अन्तर की खास खास बातें बताई गई हैं ।

देश में काले धन के चलन को देखते हुए यह समस्या तो और भी गम्भीर प्रतीत होती है । काला धन सरकारी व्यवस्था से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है । रेलों में भी इसी प्रकार की बातें चल रही हैं । सोने में काला बाजार है । सिक्कों की भी यही स्थिति है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है । यदि यही हालत रही तो कल से संसद सदस्यों के पास भी जाली बनवा कर लोग मुफ्त सफर करेंगे । जांच के बारे में पक्का निश्चय होना चाहिये और सात व्यापारिक कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस बारे में असमर्थता का रूख क्यों अपनाया हुआ है । जब तक ऐसे के मामलों में कठोर सजा नहीं दी जाएगी तब तक इस प्रकार की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकेगा । क्या यह सत्य है कि वर्ष 1970 में लाखों जाली पोस्ट कार्डों के चलन में होने का पता लगा था तो अपराध शाखा ने कहा था कि निजी मुद्रणालयों को पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्र छापने का काम देने से इस बारे में जालसाजी बढ़ती है ? यदि हां, तो तब से लेकर डाक अधिकारियों ने कितनी बार तथा कितने मूल्य के पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्र छापने का कार्य किन-किन निजी मुद्रणालयों को दिया है ? क्या डाकघरों की नियमित सेवा के समानान्तर एक अनधिकृत सेवा को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? क्या इस बीमारी के बढ़ते हुए रूप को देखते हुए सरकार का केन्द्रीय जांच ब्यूरों से इस समस्या के बारे में जांच कराने का विचार है ? क्या स्थानीय पुलिस का भी इसमें हाथ है या नहीं ? इसका पता केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच से ही चल सकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक समानान्तर डाक सेवा का सम्बन्ध है मेरे विचार से माननीय सदस्य ने सारी बात समझी नहीं । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के प्रश्न के उत्तर में मैंने जिस समानान्तर डाक सेवा का उल्लेख किया था उसमें जाली टिकटों की बात नहीं थी । वे सात व्यापारिक कम्पनियां जाली टिकटों का उपयोग नहीं करती थी । वे अपने पार्सल आदि हवाई डाक से अथवा

अपने परिवहन अभिकरणों के माध्यम से भेजती हैं। फिर भी वह मामला सरकार के ध्यान में है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। मामला बम्बई के प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष है। सरकार इस विषय में असहाय अथवा निष्क्रिय नहीं है। बाईस व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जहां तक स्थानीय पुलिस की बात है मैं इस विषय में दिल्ली पुलिस के कार्य की सराहना करता हूं। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्दिष्ट किया गया था परन्तु उसके कार्य में होने वाले विलम्ब को देखते हुए स्थानीय पुलिस की सहायता ली गई।

यह सत्य है कि 1970 में जाली पोस्ट कार्डों के मामले का पता लगा था। वह मामला दिल्ली के न्यायालय में विचाराधीन है, अतः उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक जालसाजी का सम्बन्ध है भारतीय दंड संहिता की धाराएं 252 से 258 इस बारे में अत्यन्त स्पष्ट हैं। ऐसे मामलों के सिद्ध होने पर सात वर्ष से लेकर आयु कैद तक हो सकती है। अतः यह कहना उचित नहीं कि सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। तथ्यों को साबित करके कचहरी में लाने की बात है और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। जहां तक मेरी सूचना है, डाकटिकटें अथवा पोस्ट कार्डों के छापने का कार्य आज तक कभी किसी निजी मुद्रणालय को नहीं दिया गया है। जालसाजी का कार्य सारे संसार में हर क्षेत्र में चलता रहता है। कई लोग मन्त्रियों तथा संसद् सदस्यों के छद्मवेश के अपराध में पकड़े हैं।

हमें डाक विभाग और पुलिस की तत्काल कार्यवाही पर बधाई देनी चाहिये कि कितने कम समय में कार्यवाही करके उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार किया।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Such rackets are going on since 1969. A Money order racket was unearthed in Calcutta in 1969. Another case was detected in Bombay in January 1970 about Foreign Cheques and drafts. There have been other similar cases. But one thing was clear from all this that some postal employees were always involved in such acts. Is it not a fact that this time also this was brought to the notice of the Hon. Minister only when there was some altercation about distribution of the "booty" ?

Our stamps are printed in Security Presses. Theft of paper takes place in these presses and that paper is sold in the market and used again for printing false stamps. Such rackets have also been unearthed in Andhra Pradesh and Bombay. What effective steps have been taken by the Government in this regard? The problem is not going to be solved with the arrest of few a people by Police on the basis of clues provided.

Post offices in Britain were under the control of the Government for three hundred years but when such things started taking place, it was resolved by the Parliament there to convert the Department into a Corporation. If the Government was unable to solve the problem, was it willing to entrust the responsibility to a Corporation ?

The whole racket should be got enquired into either by a High-powered Committee of the House or a Committee of top officers of C. B. I.

Shri H. N. Bahuguna : Though it was not possible for me to say anything off-hand about what happened in 1969, I must assure the House that Government was keeping a close watch over foreign cheques etc.

There were about 6 lakh employees working in the Postal Department and about 700 crore rupees were handled through Money-orders and Saving Banks in Post offices. In view of

this, the percentage of forgery was very negligible. But I believe that even this should not be there, because even this small percentage could spoil the good work done by the rest.

If there were no dissensions about the distribution of booting them it might not be possible to catch the culprits. I do not want to say anything about any person. The whole thing would come up in a court of law. Not only a few people had been arrested, but the whole Press and stamps worth 2 lakhs of rupees had been recovered. The enquiries are going on in all the districts of the country. There was hardly any country in the work where Pass Ports and Stamps were not forged. However the Government was keeping a strict watch on the matter.

The Postal Department in Britain was not connected into a Corporation because of the reasons mentioned by the Hon. Member. We may absolve our responsibility by entrusting the work to a Corporation ; but it might not solve the problem of forgery. If it was the only solution of the problem, we could consider doing that.

Stamps etc. are printed at Nasik Press, which is under the control of the Ministry of Works and Housing. We pay the Department for the paper that it uses. If the Hon. Member has any information about the paper he should supply it to the Works and Housing Minister. That would help the Ministry in setting things right in the Department.

We had referred the matter to C.B.I. But when it was found that it might he delayed there, the work was entrusted to the local police.

I am sorry I made a slip. Printing press is not under Works and Housing Ministry but under the control of the Ministry of Finance.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1972

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 195 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1662/72]**

भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) अधिनियम, 1972 तथा पार-पत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय अर्थ विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं श्री सुरेन्द्र पाल सिंह की ओर से निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्प्रवास अधिनियम, 1972 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 66 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1663/72]

(2) पार-पत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 82 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1664/72]

राज्य सभा से प्राप्त संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 3 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 3 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 4 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में विस्तारण) विधेयक, 1971 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पास किया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाया है कि लोक सभा इन संशोधनों पर अपनी सहमति राज्य सभा को भेजें।

"अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "Twenty-second" (22वां) शब्द के स्थान पर "Twenty-third" (23वां) शब्द रख दिया जाये।"

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1971" शब्द के स्थान पर "1972" शब्द रख दिया जाये।"

(चार) कि राज्य-सभा ने 4 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा देस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक, 1971 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पास किया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाया है कि लोक-सभा इन संशोधनों पर अपनी सहमति राज्य सभा को भेजें।

"अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में Twenty-second year" (22वां वर्ष) शब्दों के स्थान पर "Twenty-third yeai" (23वां वर्ष) शब्द रख दिये जाएं।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1971" शब्द के स्थान पर "1972" शब्द रख दिया जाए।

खण्ड 2

3. पृष्ठ 4, पंक्तियां 1 से 3, "Two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following" (दो क्रमिक सत्रों, और यदि, उस सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें उसे सभा-पटल पर रखा जाए अथवा तत्काल पश्चात् होने वाले सत्र) शब्दों के स्थान पर "Two or more successvie sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid" (दो अथवा अधिक क्रमिक सत्रों, और यदि, तत्काल पश्चात् होने वाले सत्र अथवा क्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व) शब्द रखे जाएं।"

विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित्त रूप में
Bills as passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं निम्नलिखित दो विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1972

विधेयक, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में
Bills as Amended by Rajya Sabha

सचिव : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित दो विधेयक जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में विस्तारण) विधेयक, 1971

(2) विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक, 1971

अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : श्रीमन्, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) समाज कल्याण विभाग और भूतपूर्व स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग)—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास सुविधाएं–के सम्बन्ध में समिति के 16वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ; और

(2) शिक्षा संस्थाओं, तकनीकी और गैर-तकनीकी, में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश की सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति के 14वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* STRIKE IN SEALDAH DIVISION OF EASTERN RAILWAY

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया): 31 मार्च, 1972 को मध्यरात्रि के तत्काल बाद नवयुवकों का एक दल सियालदह स्टेशन के कंट्रोल में घुस गया और कर्मचारियों को सभी गाड़ियां रोक देने के लिए बाध्य कर दिया। इसके साथ ही छात्रों के अन्य दलों ने सियालदह स्टेशन की उपनगरीय गाड़ियों और चित्पुर, नैहाटी और अन्य यार्डों के कार्य को रोक दिया। अठ्ठाइस घंटों तक गाड़ियों का आना-जाना अव्यवस्थित रहा। चित्पुर और कलकत्ता के माल यार्डों में 1 अप्रैल, 1972 को दिन में काम फिर से होने लगा। 2 अप्रैल, 1972 की सुबह 4 बजे से माल और सवारी गाड़ियों का आना-जाना पुनः शुरू हो गया। रेल प्रशासन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं इस अवसर पर यह अपील करना चाहूंगा कि हमें अपने मुख्य राष्ट्रीय उपक्रम को ऐसी हानियों से बचाना चाहिए।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : मैं वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस दुर्घटना के कारणों के बारे में वक्तव्य में कुछ नहीं वताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ न बोलें। प्रश्नों की अनुमति नहीं है।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् : यह स्पष्टीकरण है प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोयय : माननीय मंत्रियों के वक्तव्यों के संबंध में नियम बहुत स्पष्ट हैं। उस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (श्रीरमापुर): परन्तु स्पष्टीकरण की व्यवस्था में तो आप अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट नियम होते हुए भी आप क्यों अनुरोध करते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलीपुर): उन्हें पूरे तथ्य बताने चाहिए। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri B. P. Maurya (Hapur) : This is a confusing statement. Such statements should not be made.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वक्तव्य में केवल इतना कहा गया है कि युवकों का एक दल कंट्रोल रूम में घुस गया और गाड़ियों को रोकने लगा। क्या यह सत्य है ? इस बारे में और अधिक जानकारी दी जानी चाहिये।

श्री बी० पी० मौर्य : इस सब के कारण क्या थे ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी यह बात क्यों नहीं सुनते। वक्तव्य में जो कमी है उसके बारे में मुझे लिखे। मैं वह विषय उन्हें लिख दूंगा।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : If such a confusing statement was made in the House during the Speakership of Shri Maulankan, he used to force the Government to clear the issue and take the Home into confidence. You should force the Minister to this case to give full facts.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस बारे में लिखें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): हमने वियतनाम में बमबारी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। विदेश मन्त्री इस बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अग्रिम सूचना क्यों नहीं देते।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आप को कई बार लिख चुका हूं। यह बहुत ही गंम्भीर मामला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने अभी हाल ही में उत्तर वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं। हमें इस बमबारी पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु किसी भी बात का उचित तरीका तो होना चाहिये।

चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में प्रस्ताव—(क्रमागत)
MOTION *RE* FOURTH PLAN MID-TERM APPRAISAL—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस चर्चा पर 3 घण्टे 50 मिनट लगाये थे और आज $4\frac{1}{2}$ घण्टे का समय दें। इस प्रकार हमें पहले निर्धारित अवधि से आधा घन्टा अधिक मिला है। मंत्री महोदय आज 5-30 बजे उत्तर देंगे। श्री निम्बालकर कल बोल रहे थे।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : कल मैंने कहा था कि बेरोजगारी दूर करने के लिये धन न होने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिये । वित्त मंत्रालय को चाहिये कि वह योजना मंत्रालय की मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें ।

महाराष्ट्र की "पग" योजना (Pag Yojna) एक बहुत अच्छी योजना है और सारे देश के लिये ऐसी योजना होनी चाहिये ।

समाजवादी अर्थ व्यवस्था कमी की नहीं बल्कि बाहुल्य की अर्थव्यवस्था है । आज ऐसा न होता तो हम अपने लोगों में अमीरी नहीं बल्कि गरीबी, स्वास्थ्य नहीं बल्कि बीमारी, शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता का वितरण करते । आर्थिक प्रगति तथा उत्पादनशीलता के बिना सामाजिक न्याय एक बेकार की बात है । गरीबी हटाने के बारे में अपनी दयानतयारी का सबूत देने के लिये मैं शीघ्र किये जाने वाले तीन उपायों की सिफारिश करता हूं ।

वैज्ञानिक समाजवाद की दिशा में एक अस्थायी कदम के रूप में एक न्यूनतम कल्याणकारी राज्य बनाया जाना चाहिये जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो तथा जिन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार पर नहीं लाय हो उन्हें रोजगार सहायता दी जाये । वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था हो और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप में शिक्षा प्रदान की जाये, गैर-सरकारी स्कूल भी निःशुल्क शिक्षा दें और इसके लिये उन्हें सरकार से सहायता मिले ।

दूसरे, ऐसे क्षेत्रों में जहां पूंजी-निवेश से तुरन्त आमदनी हो सके, वहां प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र बनाये जायें । पिछड़े क्षेत्रों को सहायता मिले परन्तु शीघ्र लाभ देने वाले क्षेत्रों की उपेक्षा करके नहीं । दोनों क्षेत्र यथासंभव एक दूसरे के पूरक हों । कोल्हापुर जिले से केन्द्र को 25 करोड़ रुपये के कर मिलते हैं । यह एक चीनी उत्पादक क्षेत्र है और सरकार को उत्पादन शुल्क के रूप में ही 13 करोड़ रुपया मिलता है । वहां एक राधानगरी बांध है परन्तु अभी 4 अन्य बांध भी वहां बनाये जाने है । यदि सरकार उन योजनाओं पर 300 करोड़ रुपया खर्च कर दे तो न केवल ये चारों बांध ही निर्मित हो जायेंगे बल्कि इसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल तथा गोआ एक राज्य क्षेत्र को भी बहुत लाभ पहुंचेगा और साथ ही 5 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का कर भी मिलेगा । परन्तु ऐसे बांधों का निर्माण चाहते हुए भी राजनैतिक कारणों से नहीं हो पाता । राज्यों में परस्पर सीमा अथवा क्षेत्रों संबंधी विवाद को लेकर ऐसी लाभप्रद परियोजनायें रुक जाती हैं । हालांकि अब तो वहां भी कांग्रेस की स्थायी सरकार है परन्तु फिर भी आप यह वचन नहीं दे रहे कि पांच वर्ष में यह कार्य पूरा लिया जायेगा । यही बात हीरनकेसी बांध में साथ हैं । कुचगाओ बांध का निर्माण भी राजनैतिक कारणों में नही हुआ परन्तु कहा यह गया कि इसके निर्माण के कारण बहुत से लोग बेघर हो जायेंगे और उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा । क्या सरकार उन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती ? इन्हीं कारणों से प्रगति में बाधा पड़ती है । तुलसी बांध के बारे में भी यही बात है । सरकार का कहना है कि विभाग की ओर से कराया जायेगा, टेंडर मांगे जायेंगे इस संबंध में भी कोई रचनात्मक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । इस तरह देश की प्रगति कैसे हो सकती है ?

औद्योगिक विकास के बारे में भी यही स्थिति है । कोल्हापुर में केवल चीनी का ही बाहुल्य नहीं बल्कि वहां की चप्पलें भी मशहूर हैं तथा यह क्षेत्र देश की 75% बोक्साईट की अध्यवस्था

पूरी करता है। परन्तु राजनैतिक तथा अन्य कारणों से पहला कारखाना बेलगांव को दे दिया गया। इसी प्रकार रत्नागिरी की भी यही दशा है। मैं चाहता हूं कि क्रमानुसार पहले कोल्हापुर को फिर रत्नागिरि को तथा इसके बाद बेलगाम को कारखाना मिलता। परन्तु हुआ ठीक उसके विपरीत है। कोल्हापुर विश्वविद्यालय में धातु विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वहां के ही लोग कारखानों का कार्य संभाल सके। बेलगाम के लोगों को तो इन कारखानों से कोई लाभ या सहायता नहीं मिल रही है। उनमें बेलगाम के लोग ही नहीं हैं, प्रायः सभी बाहर के हैं। कोल्हापुर में 9,000 व्यक्ति बेकार हैं। कोल्हापुर की सम्पत्ति बाहर जा रही है। हमें अधिक कठिनाइयों को राजनैतिक दृष्टि से हल करने का प्रयास नहीं करना चाहिये। योजना मंत्री महोदय मेरे इन दो सुझावों पर विचार करें।

यदि संबंधित सरकारें परस्पर समझौता न कर पायें तो स्वयं केन्द्र सरकार को ही बांधों का निर्माण करना चाहिये और इस संबंध में केन्द्र का ही निर्णय अन्तिम हो। यह बहुत जरूरी है। दूसरे, यदि राज्य केन्द्र की योजनाओं को क्रियान्वित न करें तो केन्द्र सरकार स्वयं करे। उसे इस योजना को पूर्णतया अपने अधिकार में लेने का हक हो। वह इसे पूर्ण करे, भले ही राज्य सरकारें इसे चाहे अथवा नहीं।

हमारी शिक्षा प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन तथा सुधार हो और इसे व्यवसाय पर आधारित किया जाये। अन्यथा हम सदा पिछड़े रहेंगे। विश्वविद्यालय तो केवल स्नातक दल को पैदा कर रहे हैं। मंत्री महोदय मेरे उन सुझावों पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया चर्चा के बीच में बोलना चाहते हैं। वह मध्याह्न भोजन काल के बाद बोलेंगे। अब श्री सतपाल कपूर।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I congratulate the Hon. Planning Minister for placing the mid-term plan in the beginning of the year. I would like to speak on some of the basic problems.

All of us wanted to abolish monopoly in the country but we do not find any step taken to do so ; also nothing has been said in this connection and on the other, the monopoly-houses are being given even undue concession. Whom then the big officers in the Planning Commission appear to be favouring all through ? What is then the hindrance in abolishing monopoly ? In fact these officers themselves are the hindrance. They have a lure to get good employment in big monopoly houses after their retirement. They are not depending upon Government salary of Rs. 3,500 or 4,000. That money is not enough even for the club-expenses of their children and wives. They are, in fact, serving these monopoly-houses but use Government offices for that purpose. Britishers had only to maintain law and order in this country and to collect revenues. But the Indian Government has to develop the whole country also. But the approach, way of working and the administration are not able to do all that.

Government do not lack resources but they lack courage and initiative in handling the employment problem. We are not enlightened of our goals. How is it that even in 25 years, we could not arrange for primary education for all when the teachers are unemployed ? Our engineers are job-less but you say that you do not have skill. So all these problems are because of the lack of interest or initiative which the country needs.

Much has been said here that despite very huge investments, the public sector is not making adequate profit whereas the private sector is making quite good dividends. My point is that these two sectors have two different aims. Whereas the private sector intends to make profits only without caring for the demands and needs of the people, the public sector is meant for looking

after the interest of the common masses. So public sector needs all sorts of encouragement. Then private sector is also having public money through L.I.C., and other financial institutions and still they are making black money at our cost and also threatening us now and then. They have got a sort of monopoly in the production of essential commodities e. g. cement, textiles, etc. The Government should take over the consumer goods industries. After all 80 per cent investment there is of the people at large.

Then, if we want to divert all our resources towards planning, we should immediately take over and nationalise gold.

It is a fun that in the name of control, the decontrol of sugar has resulted in great hardship to the common massess inasmuch as that sugar is selling Rs. 3.50 a kg. in the open market but still the farmer is not getting enough for his sugarcane. So, the sugar industries should be taken over forthwith.

In the case of administration, we have become the prisoners of rules and procedures. It is a great hindrancy in the advancement since the big bureaucrats look after the interests of the big monopoly-houses only.

In connection with agricultural economy, you insist people to grow more food but when the farmers ows more, you are not able to control it. Cotton is selling at Rs. 90 or Rs. 100 a quintal in Punjab, Gujarat and Maharashtra whereas it was Rs. 300 a quintal last year. The same is the case of oil seeds. So such sort of concept and planning has to be changed. You should fix up the prices of cash crops and foodgrains in five years. You increase these prices in case the input increases otherwise the Green Revolution is to fail thereby creating still more miseries to the masses and particularly the small farmers. You should have different organisations on different agricultural produces. Corporations should be set up in tobacco and coconut and many other things, and fix prices for the next year. I stand for reduction in the ceiling and tax of agricultural income, but I do not want that our agricultural economy should be destroyed. Due encouragement should be given to small farmers. Some money was allocated for setting up a machinery but that has not taken a practical shape so far. You had Rs. 50 crore for the small farmers but that has not been spent.

Mr. Speaker : He may now conclude.

Shri Satpal Kapur : Although the Government propose to procure about 95 lakh tonnes of foodgrains from Punjab and Haryana but they have neither enough railway wagons nor adequate storage facilities. Then they have not spent any money on the crash programme prepared last year for rural employment. About 10 lakh people are jobless in Haryana and western U. P. because of non-arrival of coal. Brick-kiln owners have also been severely affected.

Do you call it advancement of the nation ?

The Government should also pay adequate attention towards sick industries, and tourism. For black money, allow it to be used for building small houses. This would not only cause the black money to come out but also solve the housing problem of the people.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री मोहन धारिया : मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना है तथा योजना के प्रति उनकी जिज्ञासा और प्यार को समझा है।

कुछ वर्ष पूर्व निहित स्वार्थों ने बड़ा प्रयास किया कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था असफल हो जाये, वर्ष 1965 में उसके विरुद्ध एक देशव्यापी लहर भी उठी परन्तु हमारे प्रधान मंत्री, स्वर्गीय डा० गाडगिल तथा मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुब्रह्मण्यम् के नेतृत्व और प्रयासों के कारण योजना आयोग तथा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अधिक सफल हो कर रही।

प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूखा, बाढ़ इत्यादि के अतिरिक्त देश में राजनैतिक अस्थिरता का भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर न रहने देने में हाथ था। परन्तु अब सौभाग्य से समूचे देश में स्थिर रहने वाली सरकारें हैं और सरकार हमारे देश में आयोजन का कार्य अच्छे और सुचारु ढंग से चलेगा।

माननीय सदस्यों का बार-बार यह कहना सही है कि जनता ने हमें भारी समर्थन दिया है, अधिकार दिये हैं। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि गरीबी हटाओ, आर्थिक स्वराज्य तथा आत्म-निर्भरता की बातें—ये सब मात्र नारे हैं। परन्तु मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे आदर्श हैं, हमारे दृढ़संकल्प हैं और हम जो कुछ कहते हैं, वह करेंगे।

योजना भवन तथा योजना आयोग के कार्यकरण की आलोचना की गई है। अनेक सदस्यों ने स्थानीय तथा जिलेवार आयोजन का भी सुझाव दिया है। वस्तुतः योजना आयोग बहु-स्तरीय आयोजन में विश्वास रखता है। चौथी योजना में हमने सारे देश में जिलों को इकाई मान कर आयोजन करने का सुझाव दिया था क्योंकि जब तक हम स्थानीय स्तर तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी योजनायें क्रियान्वित न हो सकेंगी। साथ ही प्रारंभ में तो नेतृत्व देने के लिये कोई संस्थान या संस्था तो होनी ही चाहिये। योजना आयोग ने यह कार्य किया है अब हम समूचे आयोजन को विकेन्द्रित करना तथा जिला-योजनाओं पर जोर देना चाहते हैं। इसलिये हमने मुख्य मन्त्रियों तथा राज्य सरकारों को कहा है कि वे अपने यहां योजना निकाय बनायें और राज्य स्तर पर ही विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि जुटायें और जिला स्तर पर योजनायें बनायें। अनेक राज्यों ने राज्य स्तर पर योजनायें बनाना आरंभ कर दिया है परन्तु कुछ ने नहीं भी किया है। उन राज्यों के सदस्य अपने राज्य की सरकारों से ऐसा करने को कहें। सभी राज्यों के अपने योजना-विभाग हैं परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि वे किसी उपसचिव या सहायक सचिव द्वारा संचालित सामान्य विभाग हैं। उनमें एक योजना-निकाय हो, योजना समिति हो जिसमें मुख्य मन्त्री तथा अन्य विशेषज्ञ हों जो कि स्थिति का सही जायजा लेकर, सर्वेक्षण द्वारा समूची जानकारी एकत्रित करके योजना तैयार करें। संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजन वहां का प्रशासन करे। बाद में राष्ट्रीय योजना के साथ समन्वय के किये योजना आयोग हो।

एक प्रश्न था कि योजना आयोग क्या कर रहा है। मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि गत एक वर्ष से जब कि नया आयोग गठित हुआ है, हमने आयोग के कार्य चौथी योजना तथा तत्सम्बन्धी कमियों पर गम्भीरता से विचार किया है। हमने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया, तथा हमने श्री टन्डन की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक दल भी गठित किया। हमने देश के लिए एक त्रुटिहीन योजना-व्यवस्था बनाने के लिये सभी प्रयास किये।

उन दिन बेरोजगारों तथा 15 रुपये से कम मासिक आय पाने वालों की संख्या के बारे में भी पूछा गया था। अब क्योंकि इनकी संख्या का पता लगाने के लिये कोई सही तरीके नहीं हैं इस लिये इस संबंध में यथोचित आयोजन भी नहीं हो सकता, हालांकि हम चाहते हैं। अतः हमने सभी स्तरों पर सूचनासेल बनाने का निर्णय किया है तथा वहां से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर आयोजन करेंगे।

परन्तु हमारी समस्या तो यह है कि हम योजना तो बना सकते हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित करना हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है। हम इन योजनाओं को अपने हाथ में तो नहीं रखना चाहते हैं परन्तु हमें पता रहना चाहिये कि क्या कुछ हो रहा है। इसके लिये राज्य सरकारें यथोचित सहयोग दें तथा समन्वय स्थापित करें। कुछ राज्य ऐसा नहीं करते। अब यदि सभा यह जानना चाहती है कि हमारी योजनाओं की सही स्थिति क्या है तो इन योजनाओं के संचालन का अधिकार भी योजना आयोग को ही दिया जाना चाहिये। इस दिशा में भी हम मुख्य मन्त्रियों से बातचीत करेंगे।

सभी का विश्वास प्राप्त करने के लिये हमने विपक्षी दलों के सदस्यों कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों, बैज्ञानिकों, उद्योगियों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, उन्हें योजना-भवन दिखाया तथा मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन साथियों की सलाह से हमें कुछ निर्णय लेने में बड़ी सुविधा मिली।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू की दूरदर्शिता के फलस्वरूप हमने देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अपनाया है परन्तु मुझे खेद है कि अब तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और आयोजन के मध्य कोई उचित तालमेल नहीं हो पाया था। आज हमारा योजना मंत्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। इससे ये तीनों क्षेत्र परस्पर समन्वित होकर कार्य कर सकेंगे।

आज हमारे वैज्ञानिक नित्य-नये संसाधन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह खोज कर रहे हैं कि पैट्रोलियम के स्थान पर कोयले का उपयोग कैसे हो सकता है जो कि हमारे देश में बहुत है। यीजना आयोग इस संबंध में हर प्रकार का नेतृत्व दे रहा है।

सरकारी क्षेत्र के बारे में सभी चिन्तित हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकारी क्षेत्र होता है, गैरसरकारी क्षेत्र नहीं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी क्षेत्र अपने इस अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह संभाले। साथ ही इस सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता पर भी निगाह रखती है।

हमने विभिन्न सरकारी उपक्रमों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगाई है। यदि इसमें रेलवे, डाक व तार विभाग जैसे सरकारी उपक्रमों का निवेश भी जोड़ दें तो यह राशि 8,000 करोड़ होती है। अतः यह निश्चय करनां बड़ा जरूरी है कि सरकारी उपक्रम पूरी कार्यकुशलता से कार्य

करें । यह ठीक बात है कि हमें सरकारी क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के सामाजिक उद्देश्यों के बीच भेद करना है । परन्तु हमें यह भी देखना है कि जो कुछ पूंजी लगाई गई है उसका जनता के हितों में उपयोग हो । हमने इस उद्देश्य से श्री पाठक की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति की नियुक्त की है जो कि योजना आयोग में उद्योग का कार्य देख रहे हैं । इस समिति ने निश्चय ही बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है । इस समिति ने 12 संस्थानों का दौरा किया तथा हम कार्यवाही कर रहे हैं । इसी दिशा में प्रधान मंत्री ने एक आर्थिक समन्वय समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षा स्वयं प्रधान मंत्री हैं तथा वित्त मंत्री, योजना मंत्री तथा सम्बन्धित उद्योगों के मंत्री इसमें सदस्य हैं । यह समिति लालफीताशाही बाधाओं आदि के बारे में विचार करके निर्णय देगी ताकि उत्पादन की गति तेज रहे ।

सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त हमें गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यकारण की भी चिन्ता है । जहां सरकारी क्षेत्र की आलोचना की जाती है वहां यह भी याद रखना चाहिये कि इस क्षेत्र के सामाजिक उद्देश्यों का भी बहुत महत्व है । हाल ही में मेरे एक मित्र तथा सरकारी क्षेत्र के आलोचक एक अमरीकी ने मुझ से देश की प्रगति के बारे में पूछा । मैं उसे अपने हाथ पर बंधी एच० एम० टी० की घड़ी दिखाई और कहा कि मैंने यह घड़ी 1961 में 106 रुपये की ली थी जब कि बाजार में एक ऐसे घड़ी का मूल्य 300 रुपये था । मैंने उससे कहा कि यदि वह एच० एम० टी० के लाभों का अनुमान करना चाहते हैं तो इस घड़ी के मूल्य के फर्क को देख लीजिये ।

मुझे अच्छी तरह याद है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स संयंत्र की स्थापना से पहले एन्टीबायोटिक्स की एक बोतल की कीमत 5 रुपये थी और पिम्परी में इस संयंत्र के उत्पादन शुरू कर देने से इसकी कीमत एक दम 14 आने प्रति बोतल हो गई । आज यद्यपि पिम्परी स्थित इस एन्टीबायोटिक्स संयंत्र को घाटे में चलता दिखाया जा रहा है, फिर भी जनता को पहुंचने वाले लाभ को दृष्टि में रखते हुए इसे घाटे की संज्ञा नहीं दी जा सकती । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ही सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है । योजना आयोग ने भी इस सम्बन्ध में अध्ययन प्रारम्भ कर दिए हैं कि किस प्रकार सरकारी क्षेत्रों के कार्यकरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ।

तत्पश्चात् आर्थिक अनुशासन का प्रश्न आता है । राज्यों द्वारा लिए गए अधिक धन के बारे में काफी शोर मचा हुआ है । हमने मुख्य मंत्रियों के साथ बात चीत की है और उन्हें अनुशासन बनाए रखने के लिए सहमत कर लिया है । हमें प्रसन्नता है कि इसे आपस में स्वीकार कर लिया गया है कि राज्यों को आज तक जो अधिक धन मिला है उससे आगे और अधिक धन न दिया जाए । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे अपने संसाधनों में ही वृद्धि करेंगे । आज यह जो नया अनुशासन देश में लागू किया गया है, वह योजना-आयोग और केन्द्रीय सरकार के प्रयासों से ही हुआ है ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी समस्याएं हैं । हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें उसी ढंग से काम करें जैसा कि केन्द्र सरकार चाहती है ताकि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो सके । साथ ही हमें भूमि सुधार अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने तथा योजनाओं के उचित ढंग से क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं को भी सुलझाना है । इस वर्ष के दौरान इस दिशा में काफी उपाय किए गए ।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, हम गंगा नदी को कावेरी के साथ मिला रहे हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के एक दल ने इस मामले की जांच की है और उन्होंने इस परियोजना को एक व्यवहार्य परियोजना बताया है । इस परियोजना के आरम्भ होने से हम न केवल लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगें वरन् बिजली का उत्पादन भी कर सकेंगे इसके कारण महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु, तथा आंध्र

प्रदेश आदि राज्यों में उत्पन्न विवाद भी समाप्त हो जायेंगे। हजारों इन्जीनियरों को काम मिलेगा। इस परियोजना का धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है। दक्षिण के लोगों को गंगास्नान के लिए अब काशी तक नहीं जाना पड़ेगा। गंगा उनके क्षेत्र से होकर बहेगी।

आज देश को बेरोजगारी तथा गरीबी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सदस्यों ने भी इस बात पर बल दिया है कि गरीबी का उन्मूलन किया जाए और हमारे नवयुवकों को कार्य करने का समुचित अवसर दिया जाए। इस बात पर दो राय नहीं हो सकती। सरकार को संसाधनों का उपयोग करना है ताकि हमारे नवयुवकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके द्वारा जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं यथा, भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की पूर्ति हो सके।

हम कई योजनाओं को हाथ में लेते है, किन्तु कई बार उनका उचित क्रियान्वयन नहीं होता। पिछले वर्ष शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये 25 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी किन्तु इसमें से उस वर्ष के दौरान 13 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय न की जा सकी।

इसी प्रकार मध्यम कृषक योजनाएं, लघु कृषक योजनाएं, सूखा सहायता योजनाएं ग्रामीण रोजगार योजनाएं आदि अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। हमें यह देखना है कि इन योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो तथा इसके लिए उपयुक्त तन्त्र न केवल केन्द्रीय स्तर पर अपितु राज्य स्तर पर भी स्थापित किये जाएं ताकि उचित रूप से योजनाए बनाई जा सकें और कार्यान्वित की जा सकें। इस कार्य में सफलता तभी हाथ लग सकती है जबकि जनता इसमें सहयोग दे। विश्व का कोई भी देश सामाजिक बिचारधाराओं का क्रियान्वयन जनता के सहयोग के अभाव में नहीं कर सका। अतः जनता का सहयोग भी बराबर आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि योजनाओं को कार्यान्वित कराने में वह क्या भूमिका निभा सकता है और इसी ढंग से समूची शक्ति का उपयोग करके योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो सकता है।

जहां तक गन्दी बस्तियों का संबंध है, इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी प्रत्येक स्थानीय संस्था पर है। उसका कर्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाकर उसे केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत करें। स्थानीय संस्थाओं को इस कार्य के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उद्योग और कृषि में उत्पादन की दर में वृद्धि किए बिना बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इस दिशा में सरकार भरसक प्रत्यनकर रही है।

जहां तक औद्योगिक शांति का संबंध है, यह हड़ताल किए बिना शांतिपूर्ण और सहानुभूति पूर्ण ढंग से लाई जा सकती है। सरकार हड़तालों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती किन्तु इस देश में कम से कम आगामी दश वर्षों के लिए हड़ताल और तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमें देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए। यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा कोई अन्य उपबंध कर्मचारियों को समुचित न्याय दिलाने में बाधा डाल रहे हैं, तो संविधान में संशोधन करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से तुलना करते समय कई बार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुचित आलोचना की जाती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दस्तावेज तथा तुलना पत्र सभी को पता लग जाते हैं, वह गोपनीय नहीं होते ; जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दस्तावेजों पर कभी संसद में चर्चा नहीं होती ; अतः तुलना करते समय एक पक्ष के तथ्यों की बिल्कुल जानकारी नहीं रहती ; अतः समुचित तुलना नहीं हो पाती ।

हम एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते । सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है अतः एकाधिकारी प्रवृत्तियों के दमन के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे ।

हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम सरकारी क्षेत्र को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं परन्तु हमें इस बात पर भली भांति विचार करना चाहिए कि किन किन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के नियंत्रणाधीन लाया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संयुक्त क्षेत्र के कारण एकाधिकार की नीति को प्रोसाहन न मिलने पाए। दुर्भाग्यवश औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । देश में सहकारी क्षेत्र बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इस संकल्प पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करना नहीं चाहती । यदि हम अपने प्रौद्योगिक विकास को बढ़ाना चाहते हैं, तो यही उचित समय है कि छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों के सम्बन्ध के बारे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए, और इसके लिए हमें अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना होगा, किन्तु मेरे कहने का यह अर्थ न लगाया जाए कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रभुत्व नहीं चाहते अपितु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने हेतु दोनों में उचित सम्बन्ध स्थापित किया जाए । यदि हम बड़ी परियोजनाओं की सहायता से बेरोजगारी को दूर करके राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना चाहते है तो इस सम्बन्ध में हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा । उदाहरण के लिए राजस्थान नहर को लीजिए । यदि इस नहर के काम को द्रुतगति से पूरा किया जाए, तो उस भूमि पर खेती की जा सकेगी जो अब तक बेकार पड़ी है । आजकल देश में कपास का अभाव है । पिछले वर्ष हमने 18 करोड़ रुपये की कपास का आयात किया और यदि राजस्थान नहर परियोजना के काम को जल्दी समाप्त किया जाएगा, तो निश्चय ही हम कपास के उत्पादन में आत्म निर्भर हो सकेंगे । राजस्थान की भूमि तथा वहां की जलवायु लम्बे रेशे वाली कपास के लिए बहुत उपयुक्त है ।

जहाँ तक देश के पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हमें यह देखना है कि वहां के उपलब्ध संसाधनों का किस ढंग से प्रयोग किया जा सकता है ताकि इससे हमारी उत्पादिता बढ़े ।

तत्पश्चात् पश्चिमी घाटों का प्रश्न आता है । हमें उनका भी सर्वेक्षण करना है । किन्तु यह सभी कार्य तभी संभव हैं जबकि इनके क्रियान्वयन में हमें जनता तथा इस सदन का सहयोग मिले ।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सभा में ठीक ही कहा गया है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए असंतुलन वाले आधारभूत ढांचे को दूर करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है । मध्यावधि मूल्यांकन के खण्ड I में हमने उन जिलों की सूची प्रकाशित की है, जिन्हें पिछड़े जिले स्वीकार किया गया है तथा जो वित्तीय रियायतों और 10 प्रतिशत राज-सहायता के हकदार हैं । परन्तु इस मामले में संसद सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । उन्हें अपने जिलों में छोटे उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को 10 लाख रुपये का पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । इस स्थिति में एक लाख रुपये सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाएंगे । यह एक नवीन योजना है और इसमें भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता है ।

जहां तक मध्यावधि मूल्यांकनों का सम्बन्ध है, हमने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में कमियों को भी स्पस्ट रूप से दर्शाया गया है ताकि सदन को पता लगे कि हमारी कठिनाईयां क्या क्या हैं ?

कीमतों का लगातार बढ़ते रहना वस्तुतः एक भारी समस्या है और हम इस विषय में अत्यधिक चिन्तित हैं। जब तक हम समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं करते, तब तक मूल्यों को कम करना संभव नहीं होगा और न ही हम लोगों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये हैं। सरकार इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रही है ताकि कुछ ऐसे उपाय अपनाये जा सकें, जिससे लोगों को उचित मूल्य पर जीवन आवश्यक सम्बन्धी वस्तुओं की सप्लाई की जा सके।

पांचवीं योजना बनाने के सम्बन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हाथ में ली जाएं ताकि आम जनता के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्री का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सके। लेकिन यह सारा उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के जिम्में नहीं डाला जा सकता। जनता के प्रति किये गये वायदे हम भूले नहीं हैं। सरकार की नीति यह है कि समाज की आवश्यक जरूरतों को अवश्यमेव पूरा किया जाए और यदि इस बारे में कहीं पर्याप्त मुनाफाखोरी की जा रही हो, तो उस उद्योग या ऐसे उत्पादन को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

हम देश में प्रजातंत्र के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु हमें अपने भौतिक तथा माननीय संसाधनों का समुचित ढंग से उपयोग करना होगा। अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से चलाना होगा, अन्यथा उन कठिनाईयों को हम कभी दूर न कर पाएंगे, जिनका देश को आज सामना करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्षी दल तथा कांग्रेस दल के कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की है। विरोधी दल के सदस्यों को नियत समय प्रदान किया जाएगा। जहां तक कांग्रेस दल के सदस्यों का प्रश्न है, प्रत्येक सदस्य यदि अपने भाषण को 10 या 15 मिनट तक सीमित रख सके, तो बहुत अच्छा हो क्योंकि इस प्रकार मैं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान कर सकूँगा।

संसदीय कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत से माननीय सदस्यों ने अभी इस पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। अतः समय कुछ और बढ़ा दिया जाए।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : सभापति महोदय, चूंकि चर्चा चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में हो रही है, योजना के सभी पहलुओं को इसमें शामिल करना संभव नहीं है। अतः मैं केवल विकास की दर, कीमत, बेरोजगारी, आवास तथा जल-सप्लाई आदि मुख्य समस्याओं के विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

मंत्री महोदय ने योजना की त्रुटियों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने योजना के बारे में केवल अपनी कल्पना का उल्लेख किया है। चौथी योजना में असफलता का किस कारण सामना करना

पड़ा, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है कि चौथी योजना इस वर्ष प्रारम्भ होगी। चौथी योजना तो वर्ष 1966-67 में ही आरम्भ हो गई थी इन सब वर्षों में योजना के फलस्वरूप क्या लाभ पहुंचा है, इसका उल्लेख नहीं किया गया।

सरकार ने स्वीकार किया है कि विकास की दर घटी है। यह हम सबके लिए चिन्ताका विषय है। 1969-70 में विकास की दर 5.3 प्रतिशत थी और 1970-71 में घटकर यह 4.8 प्रतिशत रह गई और लगता है कि 1972-73 तक यह अपने मूल स्तर तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा क्यों हुआ, तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस बात का भी मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है।

विकास की दर प्रतिवर्ष कम होती गई है और इसमें कमी आने का कारण यह है कि संसाधनों तथा अधिष्ठपित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया। यहां तक की विनियोग की दर भी काफी कम रही है। योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हुआ। अतः सरकार को अपनी नीतियों में भौतिक परिवर्तन करना होगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में सर्वथा असफल रही है। विकास की उपयुक्त दर बनाए रखे तथा उचित स्तर पर पूंजी निवेश कायम रखे बिना मूल्यों की वृद्धि को रोकना कठिन है। इसके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद प्रायः हर वस्तु की कीमत, चाहे वह कपड़ा है या मिट्टी का तेल, बढ़ी है। यदि आप लोगों के वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, तो कीमतों को बिलकुल नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में भी कहा गया है कि मूल्यों में वृद्धि के कारण गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। मूल्यों को रोकने के लिए सरकार को अविलम्ब ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सरकार इस पर विचार करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त कर सकती है।

योजना के प्रथम वर्ष में मूल्य सूचकांक 3.7 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 5.5 प्रतिशत और 1971-72 के पूर्वार्द्ध में फिर 3.5 प्रतिशत बढ़ा। जैसाकि मध्यावधि मूल्यांकन में सरकार ने स्वीकार किया है कि 1969-70 में धन की सप्लाई में 10.5 प्रतिशत तथा 1970-71 में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे सामान्य अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा है। सरकार को अधिक धन की सप्लाई के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि वह काले बाजार की बढ़ती हुई गति को रोकने में असफल रही है।

मुद्रास्फीति और घाटे की अर्थव्यवस्था वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि आखिर वह कब तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेती उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर विचार करना होगा। श्रमिकों को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये। यदि इन सभी वर्गों पर एक साथ ध्यान दिया जायेगा तो ऊंचे मूल्यों से उत्पन्न कठिनाइया दूर हो सकेंगी।

सर्वसाधारण की सामान्य हालत बहुत खराब है। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का यह निष्कर्ष रहा है कि करोड़ों लोगों का जीवन स्तर मानव जीवन स्तर से बहुत नीचा है। इस पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या के लिए सरकार की दोषयुक्त योजना भी एक कारण है। रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर आवेदनों की संख्या 1966 से 30 जून, 1971 तक बढ़कर 3,33,000 हो गई तथा ऐसे ही अन्य वर्गों की संख्या भी बढ़ गई।

देश में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवकों में आक्रोश व्याप्त है। उन्हें लम्बी-चौड़ी बातों में विश्वास नहीं है। उन्हें उचित रोजगार दिया जाना चाहिए।

हमने सिद्धांततः काम पाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया है परन्तु यह सरकार, जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं दे सकी है। सरकार को नीति में बुनियादी परिवर्तन करने चाहिए तथा बिना और अधिक विलम्ब किये उचित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : मेरे विचार में आर्थिक सर्वेक्षण तथा मध्यावधि योजना मूल्यांकन में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को, उन समस्याओं को जिनका इसे सामना करना पड़ा है तथा जिन समस्याओं को अभी सुलझाया जाना है, सही ढंग से रखा गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था ने 1965 की तुलना में काफी लचीलापन दिखाया है। 1965 की तुलना में 1971 मे कई तरीकों से स्थिति असमान रही है परन्तु अर्थव्यवस्था की शक्ति ने सर्वथा भिन्न परिणाम दिए हैं। योजना मन्त्री द्वारा कृषि क्रान्ति की सफल क्रियान्विति से देश में खाद्यान भण्डार इतना पर्याप्त रहा कि देश को युद्ध की स्थिति का सामना करने में भी सहायता मिली।

मैं सरकार को आर्थिक क्षेत्र में यथार्थवाद का नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए बधाई देता हूं।

मैं सरकार तथा योजना आयोग को योजना के समूचे विषय को सुव्यवस्थित करने के लिए बधाई देता हूं जिनका यह निश्चय है कि ये समस्यायें केवल आशा दिलाने मात्र से नहीं हल की जा सकती अपितु उनका विस्तृत अध्ययन करना होगा। आज लोग महसूस करते हैं कि कुछ किया जाना है। आज उनमें विश्वास है।

जहां तक 1972-73 से आगे चौथी योजना का सम्बन्ध है, देश शक्ति की स्थिति से—मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति की—स्थिति आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है। अब मुझे इस बात की आशा हो गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्षों की तुलना में अब कुछ किए जाने की संभावना है।

गंगा को कावेरी से जोड़ने के बारे में कहा गया है परन्तु यह एक बहुत बड़ी योजना है जिसे आरम्भ आर्थरकाटन द्वारा कई वर्ष पहले किया गया था।

सरकार को इस बारे में यह कहना चाहिए कि परीक्षण किए जा रहे हैं। यदि इस बारे में कुछ हुआ नहीं तो स्थिति बदतर हो जायेगी।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से समस्याएं दूर हो गई हैं। यह सभी जानते हैं कि केवल कृषि उपज बढ़ाने से बेरोजगारी की विकट समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए विश्व में सभी स्थानों पर औद्योगीकरण आवश्यक उपाय है। यहां क्या हुआ है? सरकार की नीति क्या है? योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है। परन्तु औद्योगिक विकास के लिए हम क्या करने जा रहे हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी का प्रमुख मूल कारण यह है कि यहां बचत दर बहुत कम है। इस बारे में योजना आयोग क्या कर रहा है ? आर्थिक विकास दर जो, 15, 16, 17 या 18 प्रतिशत होनी चाहिए, उसके लिए बचत बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? क्या वह थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की नीति अपनायेगी ? क्या वह समूचे देश में उचित दर दुकाने खोलने जा रही है ? मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार क्या ठोस कार्य करेगी ?

वास्तविक लक्ष्यों में गिरावट के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह योजना के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने जा रहे हैं। वह योजना के पांचवे वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। योजना आयोग ने 1969 में जब प्रतिवेदन तैयार किया था तब उनके दिमाग में इतना खर्च करने की बात भी और मध्यावधि मूल्यांकन से स्पष्ट है कि वास्तविक लक्ष्यों में किस प्रकार गिरावट हो रही है। इस सभा को योजना आयोग से न केवल वित्तीय स्थिति अपितु वास्तविक स्थिति के विषय में भी जानने का अधिकार है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में वास्तविक लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के रूप में क्या किया जायेगा और हमें बाद की योजनाओं के बारे में क्या आशाएं हैं ? रूई, तिलहन, दालों इत्यादि के लक्ष्यों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। सरकार इस्पात, उर्वरक तथा सामाजिक सेवाओं के बारे में क्या करने जा रही है ?

वार्षिक योजना सरकार के इरादों का सूचक है। यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि किसी न किसी दिन ये इरादे पूरे होंगे।

योजना मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : वार्षिक योजना इरादा नहीं, वास्तविकता है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : मन्त्री महोदय बहुत योग्य व्यक्ति हैं परन्तु उन्होंने कल हमें वार्षिक योजना के बारे में बताया था जब कि वास्तविक चर्चा मध्यावधि योजना मूल्यांकन के बारे में हो रही थी। वार्षिक योजना को तो यह बताने के लिए बीच में लाया गया था कि योजना आयोग की विचार धारा पर मध्यावधि मूल्यांकन का क्या प्रभाव है ? इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसे नई दिशा दी गई है। मन्त्री महोदय ने दावा किया है कि योजना को नई दिशा प्रदान की गई है। यदि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया गया तो यह नई दिशा और पूर्ण हो जाएगी। राष्ट्रीय आय के लक्ष्य को वर्गों के आधार पर अलग क्षेत्रों के लक्ष्यों में कैसे विभाजित किया गया है ? सरकारी कर्मचारियों की आय का लक्ष्य क्या है ? औद्योगिक श्रमिकों की आय का लक्ष्य क्या है ? मुझे आशा है कि पाँचवी योजना में वर्गों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर।

संसाधन जुटाने के मामले में इस बात की जांच की जानी चाहिए कि मूल्य स्तर अथवा बचत अथवा निवेश पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। 3,000 करोड़ रुपये के आंकड़े आंकड़े हैं। केन्द्रीय सरकार लक्ष्यों से आगे बढ़ गई है। परन्तु अब उचित समय आ गया है कि इस बात की जांच की जाय कि संसाधनों के जुटाने का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

अब प्रश्न यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था के संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे का पुनर्नवीकरण किस प्रकार करने जा रही है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और समाजवादी समाज के

लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काले धन की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या संरचनात्मक परिवर्तन करने का विचार है ?

सीमान्त लाभ अर्जित करने वाले मालिकों और भूमिहीन श्रमिकों को भूमि उपलब्ध कराने के मामले में सरकार क्या करने जा रही है ? मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भूमि सुधार के अन्तर्गत पुनर्वितरण के लिए 400 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए । यदि ऐसा हो जाता है तो हम इस देश में समाजवादी समाज स्थापित करने में और ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने में काफी समर्थ हो सकेंगे ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यय में मितव्ययिता बरतने के लिए दिखावे के स्थान पर कार्य करना होगा । निस्संदेह, निरर्थक व्यय वास्तव में इस देश में सबसे बड़ा अपव्यय है । उत्पादन प्रयोजनों से संसाधनों को लेना, उन्हें व्यर्थ जाने देना और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालने में निरर्थक व्यय काफी काम करता है ।

औद्योगिक शान्ति का वातावरण लाने के लिए केवल भाषण ही पर्याप्त नहीं है । औद्योगिक शान्ति के वातावरण को पैदा करने के लिए कौन से संरचनात्मक और ठोस परिवर्तन किए जा रहे हैं? क्या इसके लिए किसी कानूनी दंड की व्यवस्था की जायेगी ? क्या सरकार कम्पनी के भीतर श्रमिकों को ऐसी शक्ति देने जा रही है जिससे वे स्वयं पर नियंत्रण कर सकें ।

अफसरशाही द्वारा सामाजिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए क्या संस्थागत परिवर्तन करना है । अफसरशाही से मेरा मतलब केवल सरकारी कर्मचारियों से ही नहीं है अपितु संसद् सदस्यों सहित हम सभी से है । सामाजिक वचनबद्धता तथा कार्य वचनबद्धता के लिए हम किस प्रकार का संस्थागत तथा संरचनात्मक परिवर्तन लाने जा रहे हैं ?

हम भावी जीवन को श्रेष्ठतर बनाने की दृष्टि से देश में संस्थागत परिवर्तन, मितव्ययिता तथा बचत का वातावरण लाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

यदि हम वास्तव में पांचवी योजना को पुनर्नवीकृत करना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूँगा और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय उन पर विचार करेंगे ।

हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक समस्या यह है कि उत्पादन को बढ़ाया जाये तथा उस वृद्धि में छोटे उद्यमकर्ताओं, तथा छोटे दस्तकारों तथा छोटे लोगों को शामिल किया जाये और संसाधन इस प्रकार जुटाये जायें जिससे मुद्रास्फीति न होने पाये । वास्तविक बचत की दर में काफी वृद्धि होना भी इसमें शामिल है । इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

इस कार्य को करने के लिए यदि विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग से मेरा तात्पर्य मंत्री से नहीं है, समाज के सभी वर्गों में से कोई हो सकता है, उचित नेतृत्व प्रदान करता है तथा भाषणों और नारों पर नहीं चलता है तो जीवन तथा आचरण के सम्बन्ध में सब कुछ हो सकता है ।

मैं जानता हूं कि भारत में योजना की तकनीकी दक्षता में सुधार करने के लिए कुछ किया जा रहा है परन्तु साथ ही वित्त सम्बन्धी हेरा फेरी भी हो रही है जो अच्छी नहीं है । ऊंचनीच की विषमता को दूर करने, उत्कृष्ट उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने, आय और व्यय पर प्रभावी

अधिकतम सीमा लगाने और जब आवश्यकता हो तो गरीबी का वितरण करने की इच्छा व्यक्त करने तथा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की शक्तियों को बल देने के लिए गांधी दर्शन को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता हो।

"गरीबी हटाओ" की समस्या का अकेले सरकार समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए जनता को ठोस सहयोग देना होगा।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मंत्री महोदय ने कहा है कि योजना का आकार बढ़ा है। किन्तु अवमूल्यन के पश्चात् मैं नहीं जानता यह वृद्धि कहां तक हो पाई है। ओवरड्राफ्ट पर नियन्त्रण करने के कदम का मैं स्वागत करता हूं।

रुई के आयात पर 18 करोड़ रुपये की हमारी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है। हम तिलहन का भी आयात करते हैं। इन वस्तुओं का हमें उत्पादन करके आयात बन्द करना चाहिए।

हम श्रेष्ठतर योजना तथा सिंचाई द्वारा कृषि सम्बन्धी उत्पादन के मामले में स्थिति में सुधार कर सकते थे परन्तु हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, हमें इस बात की बड़ी निराशा है कि यद्यपि हमारे पास बहुत भारी इस्पात संयंत्र हैं फिर भी हमें इस्पात का आयात करना पड़ता है। मुझे आशा है कि योजना मंत्री एक कार्यवाही समिति नियुक्त करेंगे जो यह सुनिश्चित करेगी की इन इस्पात संयंत्रों में लगे हुए पूंजी-निवेश से पूरा लाभ मिले तथा यह संयंत्र वास्तव में अधिक आय दिखाये, न कि घाटा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सप्लाई, आवास आदि पर ध्यान दिया जायेगा। शिक्षा के लिये 125 करोड़ रुपये की राशि बहुत थोड़ी है। संविधान के अन्तर्गत 1960 तक हम 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिए यदि हम अधिकाधिक विद्यालय खोलेंगे तो न केवल नवयुवकों और नवयुवतियों को शिक्षा दे पायेंगे अपितु कुछ सीमा तक शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को भी सुलझा सकेंगे।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में कुछ कमियां हैं। गोरखपुर जिले में लगे शिविर में नसबन्दी करते समय 13 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 75 प्रतिशत नसबन्दी उन लोगों की, की गई, जो लोग 60 वर्ष से ऊपर थे। इस कार्य के लिए पूरे एक महीने तक पटवारी से लेकर सब-डिवीजनल आफिसर तक सब व्यस्त रहे जिससे प्रशासन का काम उक्त महीने में बन्द हो गया। लोगों को नसबन्दी करवाने के लिए बाध्य किया गया। इस कार्य के लिए जब पूरा विभाग है तो मजिस्ट्रेट आदि को अपना समय क्यों खर्च करना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की परवाह किये बिना नसबन्दी की गई जिससे मृत्यु भी हुई। उचित आयु वाले लोगों की नसबन्दी की जानी चाहिए। परिवार नियोजन का कार्यक्रम समुचित रूप से चलाया जाना चाहिए और इसके लिए जो धन निर्धारित किया गया है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए तथा उसे बेकार न जाने दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए धनराशि व्यय की जायेगी। मंत्री महोदय को अपना वचन पूरा करना चाहिये। मूल्य-वृद्धि से श्रमिकों की अवस्था बदतर होती जा रही है।

अब राज्यों में एक ही दल की सत्ता है अतः बड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में विवाद को वे सुलझा लेंगे। छोटी सिंचाई योजना का भी विस्तार किया जाना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की अवस्था में सुधार करना, देश में स्थिरता लाना तथा गरीबी हटाना है।

[**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

अब मंत्रालय ने चौथी योजना का मूल्यांकन कर लिया है तथा आंकड़े दिये हैं। उदाहरणार्थ, जिन संसाधनों की आशा की गई थी उनसे कहीं अधिक संसाधन बढ़ाये गये हैं। योजना के आकार में वृद्धि की गई है। मैं थोड़ा कमियों के बारे में बोलूंगा जिससे हमें थोड़ी सहायता मिले।

देश में बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। रोजगार के साधनों का पता लगाने के प्रयासों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी कमी बढ़ती हुई जनसंख्या की है। यद्यपि हमारा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है परन्तु जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से हमारी जनता की स्थिति में सुधार करने के सभी प्रयास असफल हो गये हैं। हमारी योजना में इन दो कमियों को दूर किया जाना है।

देश में जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकने का समय आ गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ न कुछ बल डाला जाना चाहिये कि जनसंख्या की दर में कमी हो तथा इतनी वृद्धि न हो कि हमारे विकास के सभी प्रयास निरर्थक हो जायें। गत दस वर्षों में दस करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ गई है तथा आर्थिक विकास इस वृद्धि की तुलना में उतना नहीं हो पाया है।

मंत्री महोदय तथा योजना आयोग को बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के उपाय निकालने चाहिये। यदि जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार चलती रही तो सम्भवतया चौथी, पांचवीं तथा छटी योजना की भी वही स्थिति होगी जो पहली योजनाओं की हुई हैं। आर्थिक उन्नति तथा औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि के उपरान्त भी जनसंख्या वृद्धि ने सभी योजनायें विफल कर दी हैं और प्रति व्यक्ति आय में नाममात्र की वृद्धि हो पाई है। अतः योजना आयोग को कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिये अथवा कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि हमारे आर्थिक विकास में बाधक न बने।

जहां तक रोजगार अवसरों का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने पुरानी पद्धति का ही अनुसरण किया है। उसने मूलतः सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था करने पर बल दिया है। योजना आयोग को शायद पता नहीं कि प्रत्येक छात्र को अथवा प्रत्येक युवक को सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिए योजना को नया रूप देने की आवश्यकता है। नागरिकों की एक ऐसी श्रेणी बनानी होगी जो स्वयं नये रोजगार, नए एकक स्थापित करें। स्कूलों तथा कालिजों में छात्रों को नये रोजगारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें रेडियो, वायरलैस सैट्स बनाने तथा छोटी-छोटी डेरियां चलाने की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कालिज से बाहर आते ही उन्हें रोजगार दफ्तर की ओर न जाना पड़े और वे अपने एकक स्थापित करने में सफल हो सकें। इस ढंग से बहुत सीमा तक बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है।

स्कूलों तथा कालिजों में छात्रों को अपने हाथ से काम करने की शिक्षा दी जानी चाहिये। जिससे कालिज से बाहर आते समय वे सरकारी नौकरियां ढूंढ़ने में न जुटे अपितु अपनी कोई वर्कशाप अथवा रोजगार चालू कर सकें अन्यथा पहले से ही बेरोजगार व्यक्तियों तथा नये युवकों को रोजगार प्रदान करना असम्भव हो जायेगा।

हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और 50 से 60 प्रतिशत लोगों के पास केवल 5 से 6 एकड़ भूमि है। यदि ऐसे व्यक्तियों के चार लड़के हो जाते हैं तो प्रत्येक के हिस्से में $1\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि आती है जो जीवन उपार्जन के लिये बहुत ही अपर्याप्त है। योजना आयोग ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। योजना आयोग को राज्य सरकारों से कहना चाहिये कि वे ऐसा विधेयक लायें जिसके अन्तर्गत एक निश्चित आर्थिक इकाई से परे भूमि जोतों का बंटवारा न किया जाये। जो व्यक्ति कृषि के क्षेत्र से बाहर आयें उन्हें छोटे एकक स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाये।

योजना आयोग के एक सदस्य ने कृषि के क्षेत्र का प्रति एकड़ उत्पादन 6,000 रुपये के मूल्य का बताया है। मैं हजारों ऐसे व्यक्ति योजना आयोग को लाकर दे सकता हूं जो योजना आयोग के सदस्य द्वारा बताये गये उत्पादन के आधे मूल्य पर अपनी भूमि योजना आयोग को देने के लिये तैयार हो जायेंगे। योजना आयोग एक फार्म में कृषि कार्य करे और तब कृषि की लागत का पता लगाकर योजना बनाये।

योजना आयोग को सरकार से कहना चाहिये कि कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सुविधायें दें। उर्वरकों पर जो शुल्क लगाया गया है उससे छोटे किसानों को कठिनाई होगी बड़ों को नहीं। उर्वरकों पर शुल्क लगाने के स्थान पर योजना आयोग को सिफारिश करनी चाहिये थी कि 5 एकड़ अथवा उससे कम भूमि वाले किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिये राज्य सहायता दीजिये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मंत्री महोदय को योजना के वास्तविक महत्व को पहिचानते हुये इस क्षेत्र की अब तक की उपलब्धियों की ओर ध्यान देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने समाजवादी व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा मजदूरों और गरीब किसानों के प्रति न्याय का आश्वासन दिया है। उत्पादन के केवल 10 प्रतिशत साधन सरकार के नियंत्रण में है। इस समस्या को सुलझाने के लिये किस समय तक क्या विशेष कार्यवाही की जायेगी ?

आज जनता समस्याओं तथा कठिनाइयों को जानने की इच्छुक नहीं है। लोग तुरन्त कार्यवाही के तुरन्त परिणाम देखना चाहते हैं। मैंने देखा है जब कभी भी तथा जहां कहीं भी योजना के विषय में चर्चा होती है बुद्धिजीवी देश के सम्मुख अनेकों समस्याओं का उल्लेख करके देश को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं। वे समस्याओं के सुलझाने वाले उपायों की चर्चा नहीं करते। उदाहरणार्थ आज देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि की बहुत सी समस्याएं हैं। योजना आयोग को बताना चाहिये किन मदों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह निश्चित किया जाना चाहिये कि अमुक वर्ष में अमुक राज्य के अमुक कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी। और इस प्रकार यदि हम अपनी पूरी शक्ति उस अमुक कार्य के सम्पन्न करने में लगा दें तो कम से कम आधी समस्या तो सुलझ ही सकती है शेष समस्या पर फिर किसी समय ध्यान दिया जा सकता है। परन्तु हम करते क्या हैं ? हम देखते हैं कि देश में स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

होनी चाहिये; जब हम देखते हैं कि सिंचाई की समस्या है तो सिंचाई सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं । परिणाम यह होता है कोई समस्या 1 प्रतिशत सुलझ जाती है तो कोई 2 प्रतिशत । परन्तु देश की मांग पूर्णतया नहीं होती ना ही समस्या का पूर्णतया अन्त हो पाती है जिससे देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके ।

कहा गया है कि हमें किसी भी समस्या पर सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखकर विचार करना चाहिये; यह ठीक है । परन्तु योजना आयोग जब तक देश के सम्पूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों पर विचार नहीं करता तब तक योजना आयोग समस्याओं के अध्ययन में सफल नहीं हो सकता ।

वर्ष 1967 से 71 तक के गत चार वर्षों में हमने देखा है कि आर्थिक अनुशासनहीनता तथा सामाजिक तनात्र वार्षिक औसतन वृद्धि में बाधक नहीं रहे हैं अपितु राजनैतिक अस्थिरता बाधक रही है । अब, जब हमने राजनैतिक स्थिरता प्राप्त कर ली है, तो हमें एक वर्ष में उक्त चार वर्षों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये और तत्पश्चात् बाद की कार्यवाही करनी चाहिऐ, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है ।

शक्ति तथा आयोजन का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये । जिला तथा स्थानीय स्तर पर सुनियोजित अर्थव्यवस्था लाई जानी चाहिये ।

सुनियोजित अर्थव्यवस्था का एक सामाजिक पहलू भी है । देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है । देश की प्रगति के नाम पर एच० एम० टी० तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के उदाहरण दिये गये हैं । परन्तु देश की प्रगति उन उपलब्धियों से नहीं आंकी जा सकती जो सदन में बतायी जाती हैं । घटती हुयी आय तथा समाज की अत्यधिक अधोगति कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये । यह सच है कि हम विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, शिक्षा सुविधाओं का प्रसार कर हैं । परन्तु यह भी सच है कि जितना शीघ्र भौतिक विकास होगा, उतनी शीघ्र ही शराब की दूकानों की वृद्धि होगी, कानूनी ढांचे के अन्तर्गत कदाचार तथा भ्रष्टाचार अधिक पनपेगा । यही आज हो रहा है । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । यदि योजना आयोग उन बातों पर विचार करे जो भौतिक विकास के अन्तर्गत नहीं आती हैं तो सुनियोजित अर्थव्यवस्था की विचारधारा सफल सिद्ध हो सकती है ।

यह कहना गलत है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती । मैं अब भी जनशक्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों में, जो हमें पहाड़ी तथा उपेक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जहां भूमि का उपयोग वैज्ञानिक तकनीकी विकास साधनों से नहीं किया जाता है, विश्वास है । यदि इन संसाधनों का उपयोग किया जाये तो रोजगार की सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त लोगों को नये रोजगार भी मिल सकता है ।

नौकरशाही भी देश की एक सरदर्दी है । योजना मंत्री को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह सुझाव देना चाहिये कि वे अपना कार्यभार सम्भालने से पहले सत्तारूढ़ दल के घोषणा पत्र को पढ़ें तथा निष्ठा और बुद्धिमता से कार्य करें जिससे जनता के सामने किये गये वायदे पूरे किये जा सकें ।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : यह आश्चर्य की बात है कि चौथी योजना की जांच किये बिना ही हम चौथी योजना की मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं । प्रत्येक योजना में लक्ष्यों के

लिये नियतन किया जाता है परन्तु धनराशि बहुत सी ऐसी मदों पर व्यय की जाती है जो योजना में शामिल नहीं है।

प्रत्येक योजना में पद-दलित वर्ग के कल्याण के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं परन्तु धन राशि उन उद्देश्यों के लिये व्यय नहीं की जाती जिनके लिये निश्चित की गई है। दोनों मंत्रियों को भी इस बात का पता है। अतः एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो योजना को कार्यरूप दे। इसके लिये राज्य तथा जिला स्तर पर तंत्र स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामों में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी हैं ? बहुत से ग्रामों में, और वह भी पिछड़ी जातियों के ग्रामों में ये सुविधायें क्यों उपलब्ध नहीं हैं ? पिछड़ी हुई जातियों के ग्रामों में पीने के पानी की सुविधाओं के लिये जो धनराशि नियत की गयी उन्हें अन्य मदों पर व्यय किया गया है।

ऐसे ग्राम भी हैं जहां बिजली तो लगा दी गई हैं परन्तु पिछड़ी जातियों की बस्तियों मे जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारा देश गावों का देश है और इन गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित हैं। किन्तु हमारी योजनायें सदैव आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखकर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में आर्थिक सुझाव की बजाये सामाजिक सुझाव होना चाहियें।

देश में अत्यधिक आर्थिक विषमतायें हैं। गरीब और अमीर के बीच की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। योजना आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिये कि यह अन्तर कितना होना चाहिये तथा वर्तमान विषमता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

क्या सरकार ने एकाधिकार रोकने का प्रयास किया है ? क्या सरकार ने मजूरी मूल्य सम्बन्धी नीति निर्धारित की है ? यह एक बार सदैव के लिये निश्चित किया जाना चाहिये।

जितने अशिक्षित लोग देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे आज उनसे कहीं ज्यादा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही डांवाडोल है। शिक्षा और रोजगार की समस्या पर नये ढंग से विचार किया जाना चाहिये। इसमें ऐसा सुधार किया जाना चाहिये जिससे हम गौरव का अनुभव करके यह महसूस कर सकें कि हमारा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : मैं तेलगू में बोल रहा हूं इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : बताया गया है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुयी है परन्तु कृषि उत्पादन की अपेक्षा औद्योगिक विकास की दर कम रही है। कृषि उत्पादन से देश सन्तुष्ट है। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है उसमें हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इससे हमें मानसिक गौरव प्राप्त हुआ है। अब हमें खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक विकास में तेजी से कमी आयी है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष के रूप में मेरा अनुभव है कि नौकरशाही पूंजीपतियों से मिलकर सभी औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त कर रही है जिसके

परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में औद्योगिक स्थिरता आ गई है। देश की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं के अनुरूप क्षिप्रगति से औद्योगिक विकास करने का सच्चा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

हमारी योजना में कई रुकावटें पैदा हुई हैं। एक ओर तो चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुयी है किन्तु इसकी कीमतें बहुत बढ़ गई है। इस वर्ष कपास के मूल्य बहुत गिर गये हैं। किसान के सामने बड़ी कठिनाई है। उन्होंने कपास उगाई परन्तु कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति दृष्टिगोचर होती है। खनिजों पर निर्भर उद्योग भी अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं। खनिज पदार्थ उद्योगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वैगन उपलब्ध न होने के कारण खनिज पदार्थ उद्योगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उत्पादन में वृद्धि लाने से पूर्व इन रुकावटों को दूर करना होगा।

संसाधन जुटाने की एक और समस्या सामने आई है। मंत्री महोदय ने बताया कि संसाधनों में वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आयी है। यह इस बात के कारण नहीं कि लोग धनवान हो गये है तथा केन्द्रीय सरकारों को करों का भुगतान कर रहे हैं अपितु इस कारण है कि लोगों को यह विश्वास है कि सरकार अपने कार्यक्रमों को कार्यक्रम देने के प्रति सजग है। लोगों के इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये। कराधान की एक युक्तिसंगत योजना होनी चाहिये। साधन जुटाने का यह अर्थ नहीं होना चाहिये लोग जो कुछ बचत करें उसे सरकार करों के रूप में छीन ले।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

काले धन का देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ा है। काले धन को बाहर लाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। देश में बड़े पैमाने पर जाली मुद्रा का परिचालन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस परिचालन तथा अर्थव्यवस्था पर इसके कुप्रभाव की जानकारी नहीं है।

प्रशासन अधिकारियों को क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के प्रयास करने चाहिये अन्यथा असंतुलन में वृद्धि ही होगी।

पिछड़े क्षेत्रों की अधिक सहायता नहीं की गई है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर 10 प्रतिशत राज सहायता देना, एक अच्छी बात है और इसको लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। परन्तु जहां तक वास्तविक कार्यान्वियन का सम्बन्ध है, छोटे उद्यमी लालफीताशाही तथा सरकारी तंत्र के अमैत्री-पूर्ण रवैये के कारण उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अतः ये उद्योग फिर बड़े-बड़े एकाधिकारियों के हाथों में चले जाते हैं। इससे पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की प्रगति में रुकावट पैदा हो रही है। यह भी दुःख की बात है कि वित्तीय संस्थाओं के रवैये में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जनसाधारण की दशा सुधारने के लिए, सामाजिक सेवाओं जैसे ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण और पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था से सम्बद्ध उद्देश्यों को भी पूरा नहीं किया गया। इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है और अभी भी अनेक ऐसे स्थान है जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है। यद्यपि इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाई गई है, लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं

हुई है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह सांविधिक निकाय स्थापित करे और नियत की गई धनराशि को उन्हीं क्षेत्रों तथा उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाये ।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में एक जल ग्रीड तथा एक विद्युत ग्रीड बनाने का उल्लेख किया था । यह एक महत्वपूर्ण बात है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन्हें बनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे । इससे देश के विकास में काफी सहायता मिलेगी ।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सभी प्रकार से भरसक प्रयत्न करना चाहिये । देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए हमें अपने देश की प्रतिभा का विकास करना होगा । मुझे आशा है कि जिस प्रकार योजना मंत्री ने इस कार्य को करने की योजना बनाई है, उसे अपने सहयोगियों के सहयोग से वह क्रियान्वित करने में भी सफल होंगे और वह दिन दूर नहीं होगा जबकि हम लोगों को दिये गये अपने आश्वासन पूरे कर देंगे ।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सेलम) : सभापति महोदय, नियोजन का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त कर व्यापार के क्षेत्र में देश को समृद्ध बनाना है जिससे कि इस देश के 55 करोड़ लोगों का कल्याण हो सके ।

अभी तक प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं पर हम क्रमशः 1,960 करोड़, 4,672 करोड़ और 10,400 करोड़ रुपया खर्च कर चुके है । देश की अर्थ-व्यवस्था पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी अभी तक हमारे देश के समक्ष गरीबी अभाव और बेरोजगारी की समस्यायें मुंह खोले खड़ी हैं । चौथी योजना पर 24,882 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा जिसमें कि सरकारी क्षेत्र पर 15,902 करोड़ और गैर-सरकारी क्षेत्र में 8,985 रुपया खर्च करने की व्यवस्था है । हमारी योजनाओं के विफल रहने का एक मुख्य कारण यह है कि इनका आयोजन केन्द्रीयकृत है । हमारी सम्पूर्ण योजनायें विशेषज्ञों द्वारा दिल्ली में बैठ कर तैयार की जाती है परन्तु दिल्ली में बैठकर ही राज्यों की समुची जरूरतों का ठीक पता लगा लेना संभव नहीं है । तमिलनाडु में वहां की सरकार द्वारा राज्य के लिए एक योजना बोर्ड गठित किया गया है । मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों में भी राज्य और जिला स्तर पर इसी प्रकार के बोर्डों का गठन किया जाना चाहिये । श्री सुब्रह्मण्यम, केन्द्र की सम्पूर्ण नियोजन मशीनरी का पुनर्गठन करना चाहते हैं । अतः इस सम्बन्ध में मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में जिस टंडन समिति का गठन किया गया था, उस द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं ?

यह ठीक है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है परन्तु मध्यावधि मूल्यांकन में कहा गया है कि 40 से 70 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की कमी होगी । इसी प्रकार कपास, पटसन, गन्ना तथा तिलहन के उत्पादन में भी कमी होने की संभावना है । उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से कम हो रहा है ऐसे संकेत दिए गये हैं कि हमारे अज्ञात आयात तथा निर्यात व्यापार में भारी असंतुलन पैदा हो जायेगा । अतः यह आवश्यक है कि इनके उत्पादन के बारे में हम नई नीति अपनाये । अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के प्रयास किये जानें चाहिये । ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम को भी तेज किया जाना चाहिये ताकि कृषकों को अधिकाधिक पम्पसैटों की सप्लाई की जा सके ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

जहां तक फास्फेट, पोटाश तथा नाइट्रोजन जैसे रसायनों के उर्वरकों का मामला है, उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्त करने की संभावना नहीं है। केन्द्रीय आयोजित योजनाओं के लिए राज्यों को भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिये। इसी भांति सिंचाई योजनाओं के कार्य नियंत्रण के लिए राज्यों को 10 प्रतिशत सहायता देना प्रर्याप्त नहीं है। जो राज्य ईमानदारी से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे है, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये। तमिलनाडु जैसे राज्यों को जिसमें योजना में निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक सफलता प्राप्त की है, और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये ताकि वे विकास के लिए नई परियोजनायें आरम्भ कर सके।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि एकाधिकार को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा अपने भाषण में कहा गया कि एकाधिकार वाले उद्योगपतियों की अधिक लाईसेंस देने से ही देश का विकास सम्भव है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के मामलों में भी मत्रियों के विचार परस्पर-विरोधी क्यों होते हैं।

इस समय जबकि सरकार योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में लगी हुई है तो बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। ऐसा करना बहुत आवश्यक है ताकि जन-साधारण पर इसका कुप्रभाव न पड़े। मध्यावधि मूल्यांकन में यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक अन्याय तथा असमानता अभी भी विद्यमान है। यदि हम इस समस्या को हमेशा के लिए हल करना चाहते है तो लघु उद्योगों तथा खादी और कुटीर उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

आज "गरीबी हटाओ" का नारा सम्पूर्ण देश में गुंजायमान है। जब तक अधिक रोजगार के अवसर पैदा नहीं किये जाते तब तक यह नारा अपने क्रियान्वित रूप में उभर कर नहीं आ सकता। परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक बृहद रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : श्रीमान जी, मैं अपनी बात बिजली के उत्पादन से आरम्भ करता हूं। तीन वर्षों में बिजली का उत्पादन 1 करोड़ 45 लाख किलोवाट से बढ़ कर 1 करोड़ 65 लाख किलोवाट हो गया है परन्तु इस वर्ष उसमें कठिनता मुश्किल से 5 लाख किलोवाट बिजली की वृद्धि की गई है। जब तक बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष 20 लाख किलोवाट नहीं हो जाता, तब तक रोजगार तथा औद्योगीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

इस समय देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार स्नातक हैं। देश में राज, मिस्त्री, लोहार, बढ़ई और घरेलू नौकरों या बावर्चियों आदि का नितांत अभाव हो गया है। मैं समझता हूं कि लोगों कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

मूल्यांकन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। वहां इसके लिए सरकार के पास तथा सामान्य निकाय के पास लेखों को पेश करने की प्रणाली है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है।

सरकार प्रत्येक वर्ष मुद्रा स्फीति के कारण 5 प्रतिशत की दर से मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि मुद्रा का मूल्य घटाने की बजाय बढाया जा सके।

आज उद्योगों का विकास दर 1.8 प्रतिशत है जिसका मुद्रा स्फीति द्वारा सफाया हो जाता है। पूंजीगत उपकरण की लागत में 80 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से, अत्याधिक मुद्रा स्फीति हुई है और जब तक पूंजीगत उपकरण को सुदृढ़ नहीं किया जाता तब तक न केवल प्रगति की दर में ही कमी होगी अपितु उत्पादन दर में भी गिरावट हो आयेगी।

हमने देखा है कि रूई का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है परन्तु इसका क्षेत्र सरकार को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। किसानों को ऋण आदि की सुविधायें देने के लिए भी कुछ किया जाना चाहियें।

मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र में बचत होनी चाहिये जिससे समाज के हितार्थ प्रयोग में लाया जा सके। एकाधिकार चाहे सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता को तो इससे हानि ही होती है। अतः लोगों के हित के लिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जो भी पूंजी लगाये उससे लाभ होना चाहिये और इस प्रकार अर्जित किया गया लाभ अतिरिक्त सुविधाओं को, जिन्हें सरकार लोगों को देने का विचार रखती है, पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिये।

पोत-परिवहन के मामले में अभी हमें बहुत कुछ करना है। जापान में 40,000 टन माल से लदे हुए पोत में से माल को उतारने में केवल 3 दिन का समय लगता है जबकि भारत में हमें इतना माल उतारने के लिए छः सप्ताह का समय लगता है। वैगनों से माल उतारने की स्थिति भी यही है। परिवहन विकास के लिए कोई समन्वित व्यवस्था नहीं है।

देश में बिजली की स्थिति को ही लीजिये। हमारे भारी बिजली इंजीनियरी उद्योग में आज प्रर्याप्त क्षमता फालतू पड़ी है। विद्युत पैदा करने की क्षमता का भी अभाव है क्योंकि विद्युत पैदा करने वाले सेट उपलब्ध नहीं है।

प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में एक निकाय का गठन किया गया है। इसके परिणाम अभी सामने नहीं आये हैं। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इसका समन्वय किया जाना चाहिये। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोई तेल शोधक कारखाना नहीं लगाया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष हम 6,00,000 मीटरी टन मिट्टी के तेल का आयात कर रहे हैं। हमारे आयात और निर्यात में भी कई अभाव हैं। इसी प्रकार आय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यदि कोई अमीर बनता है, तो वह भले ही बनता रहे। हमारे जीवन में वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिये। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर देश के लोगों को समद्ध होने का पूर्ण अवसर होना चाहिये।

निवेश के बारे में हमें विश्लेषण मूल्य प्रणाली अपनानी चाहियें। जब तक हम मूल्य विश्लेषण प्रणाली नहीं अपनाते तब तक हमें लगाई गई पूंजी से आशानुकुल उपलब्धि नहीं होगी।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of pleasure that we have got an opportunity to discuss Mid-Term Appraisal of Fourth Plan with an open mind.

One year back at the time of Parliament and Assembly elections, we had promised socialism to the people.

Because of paucity of time I would like to take up main points only. It is an undisputed fact that our economy has gone down as compared to that of the year 1962 and 1965. In this connection I want to stress that agriculture and industry are two major factors for the development of a country. It is a matter of satisfaction that in the field of agriculture we have become self-sufficient. It is high time a uniform policy towards land legislation is adopted and a criterion laid down for fixing the land ceiling. If it is not done early, it will widen the gulf between the haves and the have-nots. The entire surplus land should be distributed among the landless.

It is apparent from the figures that our industrial progress has slowed down. Its main reason is shortage of power. The Government should take some remedial measures in this regard. The crop planning should also be taken up by the Government. It should also be ensured that there is no diversion of funds to other purposes. Money allocated should be spent for the specific purpose it was meant for.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

If we are really keen on ushering an era of socialism in the country, we should first remove all regional imbalances. Our present system of education needs a change. We should be able to provide employment to our young men as soon as they come out of schools or colleges. Education itself should be job-oriented. The rural sector in Punjab is vulnerable. The administration should be streamlined and the Panchayati Raj should be re-shaped. A Block Service Station should be formed for 10-20-50 villages.

Our population is increasing rapidly. Government should see that the growth of population is checked.

What is the effect of Planning ? The rate of growth in the industrial sector has been registering a decline. At the same time I must praise the public sector for earning more profits than the private sector. Government should ensure the gradual take over of the industries in private sector.

There is a huge amount of black money in our country. Government should plan to divert this black money for development purposes.

In spite of the efforts made by the Government, unemployment is mounting day by day. Government should take some urgent and concrete steps to solve the problem. As regards the prices of the foodgrains, these should be fixed at least one year in advance so that un-agriculturists could be assured of a fair price.

The condition of Harijans specially in the backward regions is very deplorable. Government should take immediate steps to improve their lot.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, मैं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का स्वागत करता हूं। हाल ही में हमें मध्यावधि चुनाव और मार्च 1972 में हुये बाद के चुनाव में हमने एक ऐसी योजना के लिए भारी बहुमत प्राप्त किया है जिससे कि समाज के समाजवादी ढांचे को स्थापित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश 20 या 25 वर्षों में हमारे समाज में कुछ विषमतायें आ गई हैं और इसका सब से अधिक खराब भाग काला धन और चोर बाजारी का रहा है।

पिछले 20 वर्षों के दौरान हमने गांधी जी के समाज और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी आदर्श को भुला दिया है। आज हमारे मन में किसी प्रकार से यह स्पष्ट धारणा नहीं है कि हमारा कौन सा वैकल्पिक आदर्श होगा यद्यपि हम आये दिन समाज के समाजवादी ढांचे की बात करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि अब हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में फंस गये हैं। इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में हमारे पास, सरकारी क्षेत्र है। इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में हमारे यहां एक संयुक्त क्षेत्र है और इसमें भी हमारे यहां तथाकथित गैर-सरकारी क्षेत्र, संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र है, जो कि वास्तव में काले धन के ही क्षेत्र है।

सभापति महोदय, चाहे छोटे, मध्यम या बड़े किसान हो या बड़े व्यापारी उन सब में से तीन चौथाई स्वनियोजित हैं। हम अपनी सभी राष्ट्रीय बुराईयों के लिए अचूक उपाय के रूप में राष्ट्रीयकरण का ही सहारा लेते हैं किन्तु किसी भी मूल समस्या का समाधान इससे नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि गत 20 या 25 वर्षों में हमारा सम्पूर्ण आयोजन तन्त्र मुख्यतः एक साधन पर निर्भर रहा है। यह साधन रहा है सरकारी तन्त्र और यह तन्त्र कभी बचनवद्ध नहीं रहा। यह निश्चय ही अपने कार्य निष्पादन में सैद्धान्तिक अंश देने में समर्थ नहीं हो पाया यद्यपि उसने कुछ सीमा तक अच्छे कार्य करने का भरसक प्रयास भी किया है।

अतः इन परिस्थितियों में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी वैकल्पिक संसाधन की खोज करनी पड़ेगी। हमारी सत्तारूढ़ कांग्रेस समाज में आधारभूत परिवर्तन लाना चाहती है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर दूं कि समाज का परिवर्तन रूढ़िवादी व्यक्तियों के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। यह परिवर्तन गैर-रूढिवादी व्यक्तियों के एक गुट को सौंपा जाता रहेगा तब तक समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अन्त में मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिये कि हमारी योजना दलगत नीति में न फंस जाये। योजना आयोग को इस पहलू पर विचार कर, सभी प्रकार के विचारों की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि योजना का जो समय व्यतीत हो गया है, उसे समाजवाद के महान् आदर्श की आधारशिला रखने का समय मानना चाहिये। हमें आशा है कि इस दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदा उचित प्रयास करते रहेंगे।

श्री कृष्णराव पाटिल (जलगांव) : सब से पहले मैं योजना मंत्री और उनके साथियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की चर्चा का अवसर सदन को दिया। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें भारतीय अर्थ-व्यवस्था का चित्र बहुत स्पष्ट है। यद्यपि गत 20 वर्षों में हमारी आयोजना प्रक्रिया में कई प्रकार की त्रुटियां रही हैं और कई बार हमें असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ा है परन्तु फिर भी समूचे रूप से हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की जड़ सुदृढ़ हो गई है। अब हमारी अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां कि वह स्वयं ही आवश्यक संसाधन जुटा सकती है एवं अब उसे एक सबल अर्थ-व्यवस्था कहा जा सकता है।

मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस गंभीर आर्थिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि छिपे हुए संसाधनों का उपयोग करके अतिरिक्त संसाधन जुटाने के

लिए निरन्तर कठोर प्रयास किये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सम्पूर्ण कार्यान्वयन तन्त्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि वह कार्यक्रमों को अत्याधिक दक्षता से क्रियान्वित कर सके। तीसरा सुझाव यह है कि निवेश प्राथमिकतायें उचित रूप से निर्धारित की जानी चाहिये। प्रथम प्राथमिकता प्रतिरक्षा को, दूसरी सिंचाई और विद्युत को तथा तीसरी पेय जल सम्भरण ग्राम्य आवास, सम्पर्क का निर्माण, छोटी सिंचाई तथा लघु उद्योग जैसे ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को दी जानी चाहिये।

अब एक ऐसी स्थिति आ पहुंची है, जब कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार सुनिश्चित करना होगा। यह बड़ी खेदजनक बात है कि इस बारे में ठीक प्रकार से आयोजन नहीं किया गया और न कोई उचित सर्वेक्षण ही किया गया कि इस विराट जन शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया जाये।

महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने अपने संसाधनों का विकास करके कुछ अच्छे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पहल की है। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय सरकार को ऐसे राज्यों को एक मुश्त अनुदान या बराबर की राशि के अनुदान के रूप में सहायता देनी चाहिए।

देश की अर्थ-व्यवस्था और बढ़ती हुई कीमतों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए देश के व्यापार और बिक्री-व्यवस्था पर नियन्त्रण आवश्यक है। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ उत्पादकों को भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। उत्पादन और विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए यह सन्तुलन आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र का विस्तार भी समय की मांग है। अन्तिम बात है योजना का विकेन्द्रीकरण। क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है।

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): सभापति महोदय, मुझे इस बात पर हर्ष है कि सदस्यों ने इस चर्चा में काफी रुचि ली है।

उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में आम सहमति है। वे जनता के समक्ष प्रकट किये जा चुके हैं। जनता को दिये गये वचनों में सर्वप्रथम है 'गरीबी हटाओ' का कार्यक्रम। दूसरा है बेरोजगारी का समाधान करने का कार्यक्रम। तीसरा वचन, जो पहली दो समस्याओं से सम्बन्धित है, वह है असमानताओं को समाप्त करना, चाहे वे क्षेत्रीय असन्तुलन की असमानता हो अथवा दो व्यक्तियों के बीच आर्थिक असमानता हो। चौथा कार्यक्रम है आत्म-निर्भरता का कार्यक्रम। पिछले साल के अनुभव के बाद यह कार्यक्रम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

सभी राजनैतिक दलों और विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के व्यक्तियों द्वारा इन उद्देश्यों का समर्थन किया जाता है, परन्तु इन समस्याओं के समाधान के सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। पहले की सभी योजनाओं में हमने इस तथ्य पर जोर दिया था कि सम्पूर्ण जनता के जीवन-स्तर में सुधार होना चाहिए और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने से इन समस्याओं का भी अपने आप समाधान हो जायगा।

हमें अनुभव से पता चलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में तो वृद्धि हुई, परन्तु गरीबी दूर नहीं हो सकी। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने से जनता को भी अन्ततोगत्वा विकास का परिणाम उपलब्ध हो सकता है, परन्तु अब जनता ज्यादा दिनों तक चुपचाप नहीं रह सकती।

इसलिए गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सक्रिय आक्रमण करने के लिए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, 'गरीबी हटाओ' केवल एक नारा ही रहेगा। इस समस्या के समाधान में मार्गदर्शन करने के लिए मैं चाहता हूं कि सदन अपने विचारों से हमें अवगत कराये।

गरीबी को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनता की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय। इसलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विकास और उत्पादन की गति में तीव्रता आनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा जो आम जनता के उपयोग की वस्तुयें हैं। आम जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध करने के लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता भी लेनी होगी। विज्ञान का प्रयोग करने पर समुदाय प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम पांचवीं योजना तैयार कर रहें हैं और इस काम में पहली चार पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभवों से भी लाभ उठाया जायगा।

इस सम्बन्ध में डा० वी० के० आर० वी० राव के सुझाव सराहनीय हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जहां उत्पादन महत्वपूर्ण है, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करते हैं। साथ ही उत्पादन का लाभ आम जनता को मिले। यह तभी सम्भव है, जब कि आम जनता को क्रय-शक्ति उपलब्ध की जाय। क्रय-शक्ति रोजगार की व्यवस्था करके ही उपलब्ध की जा सकती है। रोजगार-कार्यक्रम हमारे उत्पादन और विकास-कार्यक्रम से सम्बन्धित होना चाहिए। इस नीति को हम पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाने जा रहे हैं।

जब हम चाहते हैं कि पांच से दस वर्ष की लघु अवधि में आम जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय, तो यह तभी सम्भव हो सकता है जब उच्चतर स्तर पर उपयोग की सीमा पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। बचत तभी हो सकती है, जब कि अधिक उपभोग को नियन्त्रित किया जाय। मैं चाहता हूं कि सभा इस विषय पर अपने विचार प्रकट करे।

एक माननीय सदस्य ने लाइसेन्स-प्रणाली का उल्लेख किया। बड़ा उद्योगगृह हो, छोटा उद्योगगृह हो अथवा सरकारी क्षेत्र, वे सभी जिन वस्तुओं का उत्पादन करें, उनकी बिक्री के लिए हमें क्रय-शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में छोड़नी होगी। अन्यथा उद्योग में मन्दी आ जाने की आशंका है। इसलिए उत्पादन तरीके को भी निर्धारित करना होगा।

मूलभूत आवश्यकता भोजन है। इसलिए हमें खाद्य-उत्पादन को प्राथमिकता देनी होगी—इसमें केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि सन्तुलित भोजन के सभी अंग--दालें, सब्जियां, फल, मांस और मछली सभी सम्मिलित हैं। हमने ऐसी तकनीक का विकास किया है जो न केवल खाद्यान्नों, बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी अपनाई जा सकती है। अधिक उपज देने वाले बीजों से कपास ही नहीं, बल्कि खाद्यान्नों आदि के उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है।

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता कृषि उद्योग में लगी हुई है। इसलिए इन 70 प्रतिशत व्यक्तियों की गरीबी दूर करने का तात्पर्य यह होगा कि इन व्यक्तियों की क्रय-शक्ति में इसी स्रोत से वृद्धि की जाय। डा० राव ने सुझाव दिया है कि बेरोजगारी की समस्या तभी हल हो सकती है जबकि औद्योगिक विकास में तीव्रता आए। मैं भी इस विचार से सहमत हूं, परन्तु इसमें समय लगेगा। इस समय पूंजी विनियोजन की क्षमता और औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अगर हम सारी शहरी आबादी को भी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार दे सकें, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी के बहुत बड़े भाग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं और उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो हमें भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक के कारण प्रति एकड़ उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए क्या जोत की सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए? जापान और ताईवान में 2 अथवा 3 हेक्टेयर भूमि सीमा निर्धारित की गई है परन्तु क्या वहां की कृषि सम्बन्धी प्रगति में कोई कमी आई है? अगर हम 20 एकड़ और 30 एकड़ की प्रति व्यक्ति भूमि सीमा बनाए रखें, तो क्या गरीबी की समस्या हल हो सकती है अथवा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं? इसलिए 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के प्रति यदि हम ईमानदार हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखना होगा।

इसलिए इस कार्यक्रम के प्रति हमारी ईमानदारी का पता भूमि सुधारों, भूमि सीमा निर्धारित और जोतदार को भूमि देने की नीति के प्रति दृष्टिकोण से चलेगा। अगले दो वर्षों में, मुझें आशा है कि एक ऐसा वातावरण देश के अन्दर तैयार होगा, जिसके अन्तर्गत मौलिक भूमि सुधार लागू किये जायेंगे।

दूसरी बात यह कि आधुनिक कृषि के लिए औद्योगिक आधार भी होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास उन्नत उर्वरक कारखाने, संयन्त्र संरक्षक, रसायन, नये उपकरण आदि हों। इसके पश्चात्, मन्दारण, परिवहन, परिष्करण और वितरण की सुविधायें भी महत्व रखती हैं। इसलिए कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये भी औद्योगिक आधार का होना आवश्यक है।

सर्वसाधारण को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करने के लिये उद्योगों की स्थापना अनिवार्य है। उदाहरणतः ईंधन की आवश्यकताएं उपलब्ध करने के लिये भी उद्योगों की स्थापना जरूरी है ताकि लोगों को स्पष्ट करके उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कपड़ा अथवा आवास सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये भी उद्योगों की स्थापना अनिवार्य है।

अतः औद्योगिक उत्पादन न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपितु जन-साधारण को उनकी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी जरूरी है तथा यह स्वाभाविक है कि हम औद्योगिक निवेश को, जिससे जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन हो, न कि विलासिता की वस्तुओं को प्राथमिकता दें। हमने अपनी यह नीति बनाई है कि देश में सरकारी क्षेत्र को सर्वोच्च स्थान दिया जाये, हालांकि देश की अर्थ-व्यवस्था को सहारा देने के लिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को भी अनुमति दी जा सकती है। हम सरकारी क्षेत्र के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। अतः यदि हम सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि उसका सुधार हुआ है न कि इस समय यह समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। हमें सरकारी क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और गैर सरकारी क्षेत्र की ओर जाना चाहिये। इसके कार्य में सुधार करने के

लिये हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये। हमारे सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार करना सम्भव है और इसके लिए पहले ही संकेत है कि इसमें सुधार होगा और सुधार होता रहेगा।

यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त विषमता को दूर करना चाहते हैं, तो शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। न केवल स्वामित्व के संदर्भ में वरन् उत्पादन के ढांचे के संदर्भ में हमें अपनी औद्योगिक नीति पर ध्यान देना होगा, उसका पुनरीक्षण करना होगा और इन उद्देश्यों के संदर्भ में सुसंगत औद्योगिक नीति बनानी होगी, जिन्हें हम यथाशीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं।

बढ़ती हुई कीमतों के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है, जो उचित भी है, क्योंकि यदि कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रही, तो क्रयशक्ति में कमी हो जायेगी। इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, समाहार और वितरण के मामलों के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन महत्वपूर्ण योजना बना रही है। अन्य वस्तुओं के मामले में यह क्रय-क्षमता पर और कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने तथा अधिक भुगतान के लिए लोगों की पसंदगी और नापसंदगी पर छोड़ दिया गया है।

उत्पादन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जहां सभी संस्थागत परिवर्तन आवश्यक है वहां अन्ततोगत्वा केवल मानवीय प्रयास ही इन चीजों के उत्पादन करने में सहायता कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, हमें बहुत से कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये कारण हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में हैं। किन्तु इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एक कारण समान रूप से रहा है। यह कारण उद्योग सम्बन्धी है। अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाये। इस समस्या के समाधान में सहायता करने के लिये जहां तक श्रम-सम्बन्धी विधान का सम्बन्ध है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हम श्रम-सम्बन्धी विधान में पिछड़े हुए है। श्रम-सम्बन्धी विधान के सम्बन्ध में प्रगतिशील देशों के बीच हम भी आये हैं। किन्तु औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने में यह असफल रहा है। हम कतिपय संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं। अधिक उत्पादन के लिये श्रमिकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। किन्तु उस आवश्यक गम्भीर चिंतन और राष्ट्रीय राय को कैसे लाया जाये। इस मामले में राजनीति खेलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। देश में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नया औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करना है। अधिकाधिक उत्पादन करने में संशोधित औद्योगिक सम्बन्ध के सिवाय अन्य किसी से सहायता नहीं मिल सकती।

जहां तक हड़ताल या तालाबन्दी के बारे में सरकार द्वारा की गई अपील का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह अल्पकालिक उपाय है, जिसमें राजनैतिक दलों के सहयोग की बड़ी आवश्यवता है क्योंकि श्रमिक वर्ग राजनीतिक दलों के हाथों में है। हमें उत्तम औद्योगिक संबंध बनाने हैं।

जहां तक प्रशासनिक तन्त्र की त्रुटियों का सम्बन्ध है, इसके लिए व्यक्तिविशेष पर दोष लगाने से कोई लाभ नहीं है। ये लोग विशेष पद्धति में काम करते हैं और जब तक यह प्रणाली है, तब तक हम व्यक्ति विशेष पर दोष लगा सकते हैं। हमें इस प्रणाली में परिवर्तन करना है और इस हेतु हमारे पास प्रशासनिक सुधार आयोग है। हमें विभिन्न स्तरों पर, विशेष कर निचले स्तर पर सुधार करना है।

हमें इन समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना है, जिसके लिए सभी दलों के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार इस बात की इच्छुक है कि सदस्य राजनैतिक दल

और अन्य विशेषज्ञ आयोजन में शामिल हों। पांचवी योजना के बारे में यदि आवश्यक समझा जाए तो माननीय सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के पश्चात् इस पर पुनः विचार किया जायेगा।

प्रादेशिक विषमताओं का भी जिक्र चला है। इस सम्बंध में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ है। इस प्रदेश की विशेष राजनैतिक समस्याओं के कारण आर्थिक तथा सामाजिक समस्यायें काफी सीमा तक बढ़ी हैं लेकिन अब स्थिति भिन्न है। इस क्षेत्र में अब राजनैतिक स्थिरता है और अब वहाँ परिस्थितियों में सुधार होगा। यदि इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़े, तो हम इसे प्राथमिकता देंगे।

कहा गया है कि पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में योजना में कम धन आवंटित किया गया है। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इस राज्य को भी किसी अन्य राज्य से कम धन नहीं मिला है।

बंगला देश के अभ्युदय होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग पूर्वी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देगा। पांचवीं योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी योजनायें और कार्यक्रम हैं।

निरन्तर योजना बनाये जाने के परिणाम-स्वरूप हमने औद्योगिक क्षमता तथा कृषि क्षमता प्राप्त कर ली है और अन्य अनेक आधारभूत ढांचे स्थापित किये हैं तथा हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं पर सीधा हमला करने की स्थिति में पहुंच गये हैं। आशा है कि देश में राजनैतिक स्थिरता होने के कारण, इन समस्याओं को हल किया जा सकेगा ताकि हमारे उत्तराधिकारियों के लिए सुखद स्थिति पैदा हो सके।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1972/18 चैत्र 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 7,1972/Chaitra 18,1894 (Saka)

(राजा) राम कुमार प्रेस लखनऊ, 5-7-72—490